खण्ड २ — अंक २९
३१ मार्च, १९५६, (शनिवार)

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग १ — प्रश्नोत्तर)

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha
(XII Session)

(खण्ड २ में अंक २१ से अंक ४० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

चार आने (देश में) एक शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १००१, १००३, १००६, १००७, १०११ से १०१३, १०१५, १०१७ से १०२२, १०२४, १०२६ से १०२८, १०३० से १०३२, १०३४ से १०३७, १०३९ और १०४० ... ९७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या १००२, १००४, १००५, १००८ से १०१०, १०१४, १०१६, १०२३, १०२५, १०२९, १०३३, १०३८ और १०४१ ... ... ९९४–९८

अतारांकित प्रश्न संख्या ६०३ से ६२९ ... ... ९९८–१००८

दैनिक संक्षेपिका १००९–११

लोक-सभा

शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

उत्तर प्रदेश में शिक्षितों में बेरोजगारी

*१००१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **शिक्षा** मंत्री २३ मार्च, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में शिक्षित बेरोजगारों की सहायता के लिये उत्तर प्रदेश सरकार को कितनी आर्थिक सहायता दी गई; और

(ख) ऐसी सहायता के फलस्वरूप कितने शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिया गया ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) २६,५०,४७२ रुपये की स्वीकृति दी गई है ।

(ख) ३,५५०

श्री भक्त दर्शन : जहां तक मुझे याद है, यह योजना केवल तीन वर्ष के लिये स्वीकार की गई है। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अगली पंच वर्षीय योजना में भी इस को स्थान दिया गया है और क्या इसके लिये कोई रकम रक्खी गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : जी, हां । १९५४-५५ के दौरान में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगभग ३,००० अध्यापकों को नियुक्त किया गया था । जहां तक अनुदानों का सम्बन्ध है, उत्तर प्रदेश सरकार को पिछले तीन वर्षों में जिस रकम की स्वीकृति दी गई थी, दुर्भाग्यवश, वह उस पूरी रकम को खर्च नहीं कर सकी है । १९५३-५४ के वर्ष में इस प्रयोजन के लिये १४,९५,००० रुपयों की मंजूरी दी गई थी जिनमें से सरकार केवल १,७३,५०० रुपये खर्च कर सकी । १९५४-५५ में ३२,२८,५३७ रुपयों की मंजूरी दी गई थी जिनमें से सरकार केवल २४,१६,८३५ रुपये खर्च कर सकी ।

श्री भक्त दर्शन : मैं जानना चाहता हूं कि चूंकि यह योजना केवल तीन वर्ष के लिये स्वीकार की गई है, यानी ३१ मार्च, १९५६ तक, तो क्या अगली पंच वर्षीय योजना में काई रुपया इस के लिये रक्खा गया है और क्या उसके लिये स्वीकृति दी जा रही है ?

†मूल अंग्रेजी में

†**डा० एम० एम० दास** : यह एक आपात-कार्यवाही थी और केवल तीन वर्षों के लिये योजना की स्वीकृति दी गई थी । परन्तु यह योजना जारी रहेगी और तीन वर्ष बाद योजना को चलाने का संपूर्ण वित्तीय उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर होगा ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह** : इस प्रयोजन के लिये जिस रकम की मंजूरी दी गई थी सरकार उस सारी राशि को क्यों खर्च नहीं कर सकी है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे विचार में यह प्रश्न उत्तर प्रदेश सरकार से पूछना लाभकारी होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या संसदीय सचिव महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो रकम शिक्षित बेकारों के लिये दी गई थी उसमें से क्या प्रशिक्षण का कार्य भी किया गया है ? और यदि हां, तो किस-किस विषय में यह प्रशिक्षण दिया गया है ?

†**डा० एम० एम० दास** : हम ने राज्य सरकारों से इन भर्ती किये जाने वालों को कम से कम एक महीने से डेढ़ महीने तक प्रशिक्षण देने की प्रार्थना की थी ।

†**श्री ए० एम० थामस** : क्या १९५६-५७ में इस राज्य को और अन्य राज्यों को भी ऐसी ही बांट देने के प्रश्न का निर्णय हो चुका है और यदि हां, तो केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि सभी राज्यों को कुल कितनी रकम दी जायेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं बता चुका हूं कि मूलतः यह योजना तीन वर्ष के लिये थी जिसके बाद केवल राज्य सरकारों द्वारा ही योजना को जारी रखा जायेगा । हमने प्रथम वर्ष में कुल खर्च की ७५ प्रतिशत; द्वितीय वर्ष में ५० प्रतिशत और तृतीय वर्ष में २५ प्रतिशत रकम दी थी । चतुर्थ वर्ष से केवल राज्य सरकारों द्वारा ही योजना का कार्य जारी रखा जायेगा । इस योजना के सम्बन्ध में जहां तक मुझे पता है, इस सम्बन्ध में द्वितीय योजना में कुछ नहीं है ।

†**श्री कामत** : विभिन्न राज्यों में शिक्षित बेरोजगारी को कम करने के प्रयोजन से केन्द्र द्वारा जो अनुदान दिये गये हैं क्या वे उन राज्यों में शिक्षित बेरोजगारों की संख्या के अनुपात से दिये गये हैं या किसी अन्य आधार पर ?

†**डा० एम० एम० दास** : मेरे विचार में जिस समय प्रत्येक राज्य के लिये अध्यापकों की संख्या की बांट की गई थी उस समय इन सब बातों पर विचार किया गया था ।

†**श्री कामत** : किन बातों पर ?

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : प्रत्येक राज्य को जो रकम बंटित की गई थी क्या वह पूरी खर्च कर ली गई थी और यदि नहीं, तो क्या पूरी रकम खर्च न करने का कारण शिक्षित बेरोजगारों की कमी था या इसके अन्य कुछ कारण थे ?

†**डा० एम० एम० दास** : राज्यों को इस योजना के लिये जिस रकम की स्वीकृति दी गई थी वे उस सारी रकम को क्यों खर्च नहीं कर सके हैं इसका कारण बताना मेरे लिये कठिन है । परन्तु जो एक कारण मुझे ज्ञात है वह यह है कि हमारे शिक्षित बेरोजगार गांवों में जाने और वहां सेवा करने से हिचकिचाते थे ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री कामत ने यह प्रश्न पूछा था कि विभिन्न राज्यों को किस आधार पर ये अनुदान दिये जाते हैं । सम्भवतः यह अनुभव किया गया था कि अनुदान केवल जन संख्या के आधार पर ही नहीं दिये जाते हैं । मुझे विश्वास है कि माननीय शिक्षा मंत्री लोक-सभा पटल पर इस सम्बन्ध में

†मूल अंग्रेजी में

पर्याप्त जानकारी रखेंगे ताकि सदस्यों को यह जानकारी दी जा सके कि यह बांट किस आधार पर की जाती है ।

†**श्री कामत** : मुझे आशा है कि वह ऐसा करेंगे ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो धन राशि राज्य सरकार ने व्यय नहीं की है क्या वह लैप्स हो जायेगी या वह फिर से दी जायेगी ? और क्या इस विषय में कोई लिखा-पढ़ी सरकार कर रही है कि जिस काम के लिये वह धन राशि दी गई थी, उसी के लिये व्यय की जाये ?

†**डा० एम० एम० दास** : योजना में तीन वर्षों के दौरान में ८०,००० अध्यापकों और ८,००० विशेष कार्यकर्ताओं को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है । १९५४-५५ के अन्त तक लगभग ५५,००० अध्यापकों को रोजगार दिया जा चुका है और शेष २५,००० अध्यापकों को ८०,००० की कुल संख्या पूरी करने के लिये विभिन्न राज्यों में बांट दिया गया था ।

भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†*१००३. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के जिन पदाधिकारियों को इन सेवाओं में युद्ध आरक्षित रिक्त स्थानों में युद्ध-सेवा उम्मीदवारों के रूप में भर्ती किया गया था उनकी संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : भारतीय प्रशासन सेवा : ९७; भारतीय पुलिस सेवा : १६ ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : युद्ध से लौटे व्यक्तियों के लिये जो अभ्यंश निर्धारित किया गया था क्या वह पूरा हो गया था ?

†**श्री दातार** : अभ्यंश आरक्षित रखने का कोई प्रश्न ही नहीं था । यह वचन दिया गया था कि रिक्त स्थानों का एक विशिष्ट अनुपात युद्ध सेवा उम्मीदवारों के लिये आरक्षित रखा जायेगा और वैसा किया गया है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या कुछ व्यक्तियों को पदोन्नत भी किया गया है ?

†**श्री दातार** : भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे पदाधिकारी हैं जिन्हें पदोन्नत किया गया है ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या इन पदाधिकारियों को वही सुविधायें और वेतन क्रम मिलता है जो प्रतियोगिता के द्वारा आने वाले व्यक्तियों को मिलता है ?

†**श्री दातार** : जी, हां । उन्हें भी वही लाभ मिलते हैं परन्तु युद्ध-सेवा उम्मीदवारों की सेवा-अवधि में उनकी युद्ध-सेवा की अवधि भी गिनी जाती है ।

†**सरदार ए० एस० सहगल** : क्या यह सच है कि युद्ध-सेवा उम्मीदवार, भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के नियमित उम्मीदवारों का, अपनी पिछली युद्ध सेवा के कारण, अवक्रमण कर चुके हैं ?

†**श्री दातार** : यह बात असम्भव नहीं है । जब पिछली युद्ध-सेवा को गिना गया था और वरिष्ठता नियत की गई थी तो कुछ मामलों में हो सकता है वे वरिष्ठ हो गये हों ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : माननीय मंत्री ने कहा है कि ऐसे पदों पर भर्ती करते समय युद्ध-सेवा और आपात-सेवा पदाधिकारियों को पदोन्नत किया जाता है । ऐसे उम्मीदवार जो संघ लोक-सेवा

†मूल अंग्रेजी में

आयोग की नियमित परीक्षाओं में, या तो मौखिक परीक्षा में या बहुत ही कम अंकों की कमी के कारण असफल रहे हों क्या उन उम्मीदवारों को अवसर देने के लिये सरकार के समक्ष कोई प्रस्ताव है ?

†**श्री दातार** : क्या मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि यह एक बहुत ही पुराना मामला है ? युद्ध के दौरान में कुछ पदों पर नियुक्तियां नहीं हुई थीं और इन पदों पर युद्ध-सेवा के उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है। अब उसके बाद उन्हें किसी प्रकार की विशिष्ट वरीयता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे पहले ही समाप्त किया जा चुका है और जो उम्मीदवार असफल रहे थे उनमें से किसी को किसी रिक्त स्थान पर नियुक्त करने के सम्बन्ध में बिल्कुल कोई सुझाव नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी** : इन युद्ध-सेवा उम्मीदवारों में से जिन व्यक्तियों को भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती किया गया है उनमें अनुसूचित जातियों के कितने उम्मीदवार हैं ?

†**श्री दातार** : मेरे पास इस समय आंकड़े नहीं हैं।

†**श्री एल० एन० मिश्र** : माननीय मंत्री ने कहा था कि कुछ पद पदोन्नति के द्वारा भरे जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन पदों को पदोन्नति के द्वारा भरने के लिये, विशेष रूप से प्रांतीय असैनिक सेवा की पदाली में से भरने के लिये, क्या कसौटी है ?

†**श्री दातार** : मैं माननीय मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वह उन नियमों को देखें जो हमने लोक-सभा पटल पर रखे हैं। इनके अनुसार किसी विशिष्ट राज्य के लिये २५ प्रतिशत रिक्त स्थान राज्य सेवा पदाधिकारियों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं।

सम्पदा शुल्क

†*१००६. **श्री बंसल** : क्या **वित्त मंत्री** १५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ७११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्पदा शुल्क पर दुहरा करारोपण को रोकने के लिये ब्रिटेन के अतिरिक्त और किन देशों से बातचीत की जा रही है या की जायेगी; और

(ख) क्या उनके साथ अब तक कोई करार या प्रबन्ध किये जा चुके हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) सरकार ने सम्पदा शुल्क पर दुहरे करारोपण को रोकने के लिये ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य किसी देश से बातचीत करने की बात नहीं सोची है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : ब्रिटेन के अतिरिक्त अन्य देशों से बातचीत न करने के कारण क्या हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह** : क्योंकि उन अन्य देशों की सम्पत्तियां बहुत ही कम हैं और उन्होंने अभी इस सम्बन्ध में हम से कुछ नहीं कहा है।

†**श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : भारत में अन्य देशों की सम्पत्ति की कुल कीमत कितनी है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं। परन्तु जहां तक मुझे ज्ञात है इन सम्पदाओं की कीमत बहुत ही कम है।

---

†मूल अंग्रेजी में

काम दिलाऊ दफ्तर

*१००७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अपंगों को काम दिलाने में सहायता करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड के निर्णय को क्रियान्वित करने के लिये काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने व्यक्ति नौकरियां प्राप्त कर चुके हैं ।

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मैं इतना और बता दूं कि पिछली जनवरी में केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड की जो बैठक हुई थी जिसमें अपंगों के लिये एक काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित करने के सम्बन्ध में सिफारिश की गई थी, उस बैठक की कार्यवाही को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या यह सच है कि मद्रास में एक काम दिलाऊ दफ्तर स्थापित किया गया है और यदि हां, तो कितने उम्मीदवारों को रोजगार मिल सका है ?

†**डा० एम० एम० दास** : केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय ने जुलाई १९५४ में मद्रास में अन्धे प्रौढ़ों के लिये एक छोटे काम दिलाऊ दफ्तर की स्थापना की थी ।

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : कितने उम्मीदवारों ने वहां पर अपना नाम लिखवाया है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : कहां ?

†**श्री कृष्णाचार्य जोशी** : मद्रास में ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे भी मूल प्रश्न में क्यों नहीं सम्मिलित किया गया ? जहां तक आंकड़ों का सम्बन्ध है, उन्हें अनुपूरकों के लिये रखने के बजाय प्रश्न में ही शामिल किया जाना चाहिये था । क्या माननीय सभा सचिव के पास उन आंकड़ों का ब्योरा है ?

†**डा० एम० एम० दास** : इस काम दिलाऊ दफ्तर के द्वारा हमारे देहरादून केंद्र के ४३ अन्धे प्रौढ़ प्रशिक्षणार्थियों को रोजगार मिला है ।

श्री एम० एल० दिवेदी : इन हैंडीकैप्ड (अपंगों) के लिये क्या अगली पंच वर्षीय योजना में कोई और भी ज्यादा रुपये की व्यवस्था की गई है । यदि हां, तो कितने की ?

†**डा० एम० एम० दास**: अगली पंच वर्षीय योजना में लागू किये जाने के लिये शिक्षा मंत्रालय में एक विस्तृत योजना तैयार की गई है परन्तु इस सम्बन्ध में अभी अन्तिम अनुमोदन प्राप्त करना बाकी है ।

हैदराबाद कृषि-ऋणी सहायता विधेयक

†*१०११. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९५४ में पारित किये गये हैदराबाद कृषि ऋणी सहायता विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : हैदराबाद कृषि ऋणी सहायता विधेयक भारत सरकार को, राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त करने के लिये ८ फरवरी, १९५५ को भेजा गया था । उसके कुछ उपबन्धों को आपत्तिजनक समझा गया और भारत सरकार ने उक्त आपत्तिजनक बातों की सूचना राज्य सरकार को १६ मई, १९५५ को दे दी थी । उक्त आपत्तियों पर राज्य सरकार का

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर ३ फरवरी, १९५६ को प्राप्त हुआ । इस मामले की आगे और जांच की गई और विधेयक को राष्ट्रपति के इस निदेश के साथ लौटाया जा रहा है कि सम्बद्ध उपबन्धों पर राज्य सरकार पुनः विचार करे ।

छात्र-वृत्तियां

†*१०१२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **शिक्षा** मंत्री २८ नवम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २४७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी समुदायों के गरीब विद्यार्थियों को सहायता तथा छात्रवृत्ति देने की योजना को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो छात्र-वृत्तियां मंजूर करने की प्रक्रिया क्या है ; और

(ग) इस वर्ष दी जाने वाली छात्रवृत्तियों की संख्या और राशि कितनी है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) यह योजना अभी विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : क्या यह सच नहीं है कि मांग संख्या १९ में इस छात्र-वृत्ति के लिये भी कुछ राशि निश्चित की गई है ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य को बजट सम्बन्धी पत्रों को देखना चाहिये ।

†**श्री एस० सी० सामन्त** : प्रतिवेदन से मुझे ज्ञात हुआ है कि मांग संख्या १९ में सामान्य विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के लिये कुछ राशि निश्चित की गई है क्या यह वह राशि नहीं है ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं इस प्रश्न का उत्तर देने के पूर्व बजट सम्बन्धी पत्रों को देखना चाहूंगा ।

सेठ गोविन्द दास : यह जो छात्र-वृत्तियों की योजना बनाई जा रही है, इस योजना में क्या इस बात पर विचार किया जा रहा है कि जिन प्रदेशों की मातृभाषा हिन्दी नहीं है, वहां के लोगों को हिन्दी पढ़ने के लिये भी कुछ छात्रवृत्तियां दी जायें ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह छात्रवृत्तियां, गरीब योग्य विद्यार्थियों को दी जाने के लिये हैं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या जहां तक मेरिट (योग्यता) का सम्बन्ध है, वहां तक भी क्या इस सम्बन्ध में कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा है.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने पंडित डी० एन० तिवारी को पुकारा था । माननीय सदस्य प्रत्येक प्रश्न में हिन्दी के सम्बन्ध में पूछते हैं ।

†**पंडित डी० एन० तिवारी** : यह प्रश्न सरकार के समक्ष कब से निलम्बित है और सरकार इस पर विचार करने में कितना समय और लेगी ?

†**डा० एम० एम० दास** : माननीय सदस्य को यह जानना चाहिये कि इन योजनाओं को शिक्षा मंत्रालय ही अकेले तैयार नहीं करता है । हमने योजनायें तैयार की हैं और योजना आयोग इनको अस्थायी रूप से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में शामिल करने को सहमत हो गया है । यदि यह योजना अंत में स्वीकृत हो जाय तो १९५६-५७ से उसे क्रियान्वित करने का प्रयत्न किया जायेगा । इसलिये यह योजना आयोग तथा अन्य ऊंची संस्थाओं पर निर्भर करता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

असैनिक प्राधिकारियों को सेना द्वारा सहायता

†*१०१३. **श्री कामत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी और फरवरी १९५६ के दौरान में किन-किन राज्यों, नगरों और शहरों में सेना को असैनिक प्राधिकारियों की सहायता के लिये तैयार रहने को कहा गया;

(ख) सेना को बुलाने के कारण क्या थे ;

(ग) क्या वस्तुतः सेना ने कहीं कार्य किया ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे स्थानों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) उनसे किस प्रकार का कार्य लिया गया और यदि कोई व्यक्ति हताहत हुए, तो कितने ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ङ). जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या २]**

†**श्री कामत** : क्या कुछ ऐसी वस्तुरूप शर्तें हैं, जिनसे असैनिक प्राधिकारियों की किसी विशेष स्थिति से सामना करने की क्षमता ज्ञात हो सकती है और क्या इन वस्तुरूप शर्तों की रचनात्मक, विध्वंसात्मक तथा आकस्मिक स्थितियों के सम्बन्ध में पृथक्-पृथक् रूप से नियमों, विनियमों तथा पुस्तिकाओं में अच्छी तरह व्याख्या की गई है ?

†**श्री दातार** : क्षमता तथा अक्षमता के प्रश्न पर विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जब कभी राज्य सरकारें सावधानी बर्तने के विचार से इसकी मांग करती हैं, तो कुछ सेना तैयार रखी जाती है । हम केवल इतना ही करते हैं ।

†**श्री कामत** : क्या असैनिक बल की सहायता के लिये सेना बुलाने के लिये वही नियम अथवा विनियम लागू होते हैं जो कि अंग्रेजी राज्य के समय लागू होते थे अथवा उनमें परिवर्तन अथवा संशोधन कर दिया गया है ?

†**श्री दातार** : मुझे इस प्रश्न का उत्तर देने के लिये पूर्व सूचना की आवश्यकता होगी ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मेरे विचार से वे सब दंड प्रक्रिया संहिता में उल्लिखित हैं ।

†**श्री कामत** : क्या असैनिक बल की सहायता के लिये सैनिक भेजने का निर्णय गृह मंत्रालय तथा प्रतिरक्षा मंत्रालय के बीच परामर्श और वार्ता के पश्चात् केन्द्रीय स्तर पर ही किया जाता है अथवा निम्न स्तर पर भी, यथा, प्रादेशिक कमान और राज्य स्तर पर भी कर लिया जाता है ।

†**श्री दातार** : सारी बातों को ध्यान में रख कर यथोचित स्तर पर किया जाता है ।

†**श्री कामत** : मैं जानना चाहता हूं कि यह केन्द्रीय स्तर पर होता है अथवा निचले स्तर पर ।

†**अध्यक्ष महोदय** : जैसा अवसर होता है । छोटी आक्समिकता भी हो सकती है और बड़ी आक्समिकता भी हो सकती है । इस लिये विभिन्न स्तर हो सकते हैं ।

†**श्री कामत** : औचित्य प्रश्न पर, सेना एक केंद्रीय विषय है इसलिये इसे राज्य अथवा निचले स्तर पर कैसे लिया जा सकता है ।

†**श्री दातार** : माननीय सदस्य केंद्रीय सरकार के उन स्तरों को जानना चाहते थे जहां से निर्णय किया जाता है । हमें राज्य सरकार के स्तरों से कोई मतलब नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कामत** : श्रीमान् । वह प्रश्न को नहीं समझे हैं । मैं जानना चाहता था कि असैनिक बलों को सैनिक सहायता भेजने का निर्णय केन्द्रीय सरकार के स्तर पर किया गया अथवा निचले, प्रादेशिक कमान अथवा किसी अन्य स्तर पर ।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : समुद्र स्तर पर ।

†**श्री कामत** : मैं दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है । सभा पटल में रखे गये विवरण से ज्ञात होता है कि असैनिक बलों की सहायता के लिये सैनिकों को बम्बई, आसाम, उड़ीसा और पंजाब में बुलाया गया । आसाम में इन्हें तथाकथित नागा राष्ट्रीय परिषद् के सशस्त्र गिरोहों की हिंसात्मक तथा विध्वंसात्मक कार्यवाहियों का सामना करने के लिये बुलाया गया । बम्बई, उड़ीसा और पंजाब में राज्य पुनर्गठन की कार्यवाही के सम्बन्ध में बुलाया गया था । क्या इन प्रत्येक मामलों में स्थानीय प्राधिकारियों, यथा, सम्बद्ध राज्य सरकारों, ने केंद्रीय सरकार को सूचना भेजी थी और क्या इन सब मामलों में यह बताया गया था कि शांति तथा व्यवस्था को कायम रखने के लिये कितनी बार पुलिस को गोली चलानी पड़ी तथा असैनिक बलों की सहायता के लिये सैनिक सहायता आने के पूर्व पुलिस की गोली से कितने व्यक्ति मारे गये ?

†**श्री दातार** : उक्त सब प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । मैं माननीय सदस्य को बता दूं कि सेना बुलाई नहीं गई, अपितु तैयार रखी गई ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुख्य प्रश्न के पहिले भाग में केवल उन राज्यों, नगरों अथवा शहरों के नाम पूछे गये हैं जहां कि सेना से तैयार रहने को कहा गया ।

†**श्री कामत** : कितने मामलों में पुलिस ने गोली चलाई और सेना को असैनिक प्राधिकारियों की सहायता के लिये बुलाने के पूर्व कितने व्यक्ति मरे ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत** : श्रीमान् यह कैसे उत्पन्न नहीं होता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह मेरा मत है ।

†**श्री कामत** : आपका मत बहुत सही नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बाद में कुछ अन्य प्रश्न पूछ कर बातों का स्पष्टीकरण करवायें । यह कहना ठीक नहीं है कि मैंने ग़लत कहा है ।

युवक-शिविर

***१०१५. श्री अमर सिंह डामर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ की गर्मी की छुट्टियों में सामुदायिक विकास परियोजना और राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्रों में स्वेच्छा से सेवा करने के लिये देश में कितने युवक-शिविर संगठित किये गये; और

(ख) इस कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों ने भाग लिया ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). यह जानकारी अब उपलब्ध नहीं है । यह इकट्ठी की जा रही है और तैयार होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण-योजनायें

†***१०१७. श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों से द्वितीय पंच वर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये, अनुपूरक योजनायें मांगी हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या मैसूर की सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है; और

(ग) योजनाओं का अनुमानित व्यय क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) राज्य योजनाओं में शामिल की गई योजनाओं के अलावा राज्य सरकारों से कुछ अतिरिक्त योजनायें भी मांगी गई हैं और वे विचाराधीन हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) १०२·७ लाख रुपये ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या मैसूर सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना पर विचार किया गया है और वह क्रियान्विति के लिये कब तक स्वीकृत हो जायेगी ?

†**श्री दातार** : वह केन्द्रीय सरकार को भेजी जाने वाली है । अभी इस योजना के प्राप्त होने में कुछ समय लगेगा इस योजना के मंजूर होने में आगे और समय लगेगा ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : अनुपूरक योजनाओं की मुख्य बातें क्या हैं ?

†**श्री दातार** : मुख्य बातों का उल्लेख कुछ सीमा तक पंच वर्षीय योजना के प्रारूप में किया गया है । जहां तक अनुसूचित जातियों का सम्बन्ध है, उनमें सफाई की स्थिति तथा गृह उद्योग में सुधार, हलों, बीज, खाद इत्यादि के संभरण आदि की व्यवस्था है ।

†**श्री बालकृष्णन्** : क्या मद्रास सरकार ने कोई योजना प्रस्तुत की है ?

†**श्री दातार** : मूल प्रश्न में सामान्य जानकारी मांगी गई है । विशेष राज्यों से सम्बन्धित प्रश्नों के उत्तर, मैं इस समय नहीं दे सकता ।

†**श्री अच्युतन** : क्या केन्द्रीय सरकार को मैसूर राज्य के अलावा अन्य राज्यों ने भी कोई योजनायें प्रस्तुत की हैं ?

†**श्री दातार** : हमने ३२ करोड़ रुपये ऐसी योजनाओं के लिये रखे हैं जिनके लिये केन्द्रीय सरकार उत्तरदायी होगी लेकिन जिन्हें सामान्यतः राज्य सरकारें क्रियान्वित करेंगी ।

छोटे पैमाने पर बचत

†*१०१८. **श्री राम दास** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना की व्यवस्था करने के लिये नगरों तथा गांवों की जनता की छोटे पैमाने पर बचत का आन्दोलन चलाने के लिये कौन सी योजना अथवा योजनायें तैयार की हैं; और

(ख) प्रत्येक योजना के अन्तर्गत कितनी राशि एकत्र की जायेगी ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) जैसा कि मैं २८ फरवरी, १९५६ को अतारांकित प्रश्न संख्या १४१ के भाग (ग) के उत्तर में कह चुका हूं बचत आन्दोलन को बढ़ावा देने के प्रश्न पर बराबर ध्यान दिया जाता रहता है । जिन योजनाओं पर विचार किया जा रहा है अथवा जो योजनायें क्रियान्वित की जा रही हैं, उनमें बचत मंडलों और परामर्शदात्री समितियों का निर्माण, एजेन्सी प्रणाली का विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार, अधिक व्यापक प्रचार, इनामी टिकटों (गिफ्ट कूपन) आदि की नई योजनायें लागू करना, और जनता का सहयोग, इत्यादि शामिल हैं ।

(ख) विभिन्न योजनाओं के अधीन प्राप्त होने वाली राशि का पृथक अनुमान लगाना सम्भव नहीं है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम दास :** क्या ग्रामीण क्षेत्रों के प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों का उपयोग इस योजना के एजेंटों के रूप में किया जायेगा ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** हमने यह योजना अर्थात् प्राथमिक पाठशालाओं के अध्यापकों को ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्राधिकृत एजेन्ट नियुक्त करने की योजना, अन्तिम रूप से तैयार कर ली है । लेकिन मेरे विचार से यह योजना अभी क्रियान्वित नहीं हुई है । मैं आशा करता हूं कि यह जल्दी ही क्रियान्वित हो जायेगी ।

†**श्री सी० डी० पांडे :** क्या सरकार को मालूम है कि इन अल्प बचतों में दिया जाने वाला व्याज, समय-समय पर दिये जाने वाले राज्य ऋणों पर दिये जाने वाले व्याज से बहुत कम है और इसी कारण अल्प बचत से जो राशि प्राप्त हुई है वह बहुत कम है ।

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** मेरे विचार से उनका निष्कर्ष ठीक नहीं है । इस वित्तीय वर्ष में हम ६५ करोड़ रुपये एकत्र करने की आशा करते हैं और मेरे विचार से व्याज की दर अन्य ऋणों की तुलना में ठीक है । कुछ मामलों में ब्याज की संचयी दर ४-१/२ प्रतिशत अथवा ४-१/६ प्रतिशत होनी चाहिये, और वह भी आये-कर से मुक्त जब कि राज्य अथवा केन्द्रीय सरकार के ऋण आयकर से मुक्त नहीं हैं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या यह योजना जो कि राष्ट्रीय बचत योजना के प्रति प्रगतिवादी दृष्टिकोण रखने के लिये बनाई गई है, में किन्ही विशेष दलों के व्यक्ति एजेन्ट नियुक्त नहीं हो सकते हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** ऐसी कोई बात नहीं है । नियुक्ति दलों के आधार पर नहीं की जाती ।

†**श्री एन० बी० चौधरी :** पंचायतों और संघ बोर्डों से ग्राम्य क्षेत्रों में इस अल्प बचत योजना के सम्बन्ध में किस प्रकार की सहायता की आशा की जाती है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** पंचायतें तथा संघ बोर्ड विशेष कर पश्चिमी बंगाल में बहुत कम जमानत पर प्राधिकृत अभिकर्ता नियुक्त कर सकते हैं और फिर वे धन इकट्ठा कर सकते हैं । वह योजना गत दो वर्षों से पश्चिमी बंगाल में चल रही है ।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या मैं जान सकती हूं कि इस सिलसिले में स्त्रियों की सेवायें भी ली जायेंगी ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** मैं इस प्रश्न को ठीक-ठीक समझ नहीं सका हूं ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या आप इस सम्बन्ध में स्त्रियों की भी सहायता ले रहे हैं ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** स्त्री-आन्दोलन के लिये एक केन्द्रीय मंत्रणा बोर्ड है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** अलग ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** जी, हां ।

†**श्री ए० एम० थामस :** क्या सरकार के पास देश के हजारों डाकखानों का अल्प बचत योजना को गति देने की दृष्टि से उपयोग करने की कोई योजना है ?

†**श्री अरुण चन्द्र गुह :** सामान्यतः यह धन डाकखानों में ही जमा कराया जाता है । इसमें से अधिकांश धन डाकखानों में ही जमा कराया जाता है । यह योजना डाकखानों के सहयोग से ही चलायी जा रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सेल्फ-लोडिंग राइफलें

†*१०१९. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री ६ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सेनाओं में सेल्फ-लोडिंग राइफलें चालू करने के प्रश्न पर अभी तक कोई अन्तिम निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** (क) और (ख). सेनाओं में सेल्फ-लोडिंग राइफलें चालू करने की प्रस्थापना अभी विचाराधीन है ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** यह मामला कहां तक विचाराधीन है और सरकार इसके बारे में अन्तिम निर्णय करने में कितना समय लगायेगी ?

†**श्री त्यागी :** स्वयं भरी जाने वाली राइफलों को तुरन्त ही चालू कर देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है, क्योंकि सरकार के पास उन राइफलों के बहुत बड़े स्टोर हैं जो कि इस समय प्रयोग में लाई जा रही हैं । यदि यह स्वयं भरी जाने वाली राइफलें तुरन्त ही चालू कर दी गयीं तो वह सारा का सारा स्टाक व्यर्थ हो जायेगा, और हम नहीं चाहते कि वह व्यर्थ में जायें ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या भारतीय सेना के वैज्ञानिक सलाहकार द्वारा इस स्वयं भरी जाने वाली राइफल का कोई प्रयोग किया गया है, और यदि हां, तो इस प्रयोग के क्या परिणाम निकले हैं ?

†**श्री त्यागी :** इस प्रकार की कुछ एक राइफलें विदेशों से यहां पर लायी गयी हैं और उनके बारे में प्रयोग किये जा रहे हैं ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या सरकार को इस बात का ज्ञान है कि इन स्वचालित राइफलों को चालू किये बिना भारतीय सेना की प्रहार शक्ति अन्य देशों की सेनाओं की तुलना में बहुत कम है ?

†**श्री त्यागी :** नहीं, मैं ऐसा नहीं समझता ।

†**श्री फीरोज़ गांधी :** स्वयं भरी जाने वाली राइफल तथा मैगज़ीन वाली राइफल में क्या अन्तर होता है ?

†**श्री त्यागी :** मुझे दुःख है कि इस समय इसकी प्रविधि समझाना संभव नहीं है ।

†**श्री श्यामनंदन सहाय :** क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया है कि इस सम्बन्ध में सार्वजनिक रुप से जानकारी देना कि वह कौन-कौन से शस्त्र प्रयुक्त कर रही है, कौन-कौन से नहीं कर रही है और उसके स्टाक में कौन-कौन से शस्त्र हैं, उचित है ?

†**श्री त्यागी :** मैं नहीं समझता कि इस प्रकार की जानकारी देने में कोई हानि है । जिस प्रकार की राइफलें हम प्रयोग कर रहे हैं उनके बारे में लगभग सभी जानते हैं ।

†**श्री यू० सी० पटनायक :** क्या सरकार ने इस बात की ओर ध्यान दिया है कि पाकिस्तान ·५ ब्राउनिंग राइफलें प्रयुक्त कर रहा है जब कि हम ·३०३ की राइफलों का प्रयोग कर रहे हैं जो कि बहुत कम प्रभावकारी हैं ?

†**श्री त्यागी :** मुझे दुःख है कि मेरे पास इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान कौन सी राइफलें प्रयुक्त कर रहा है । यह जानकारी मंत्रालय के पास होगी । मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री यू० सी० पटनायक :** हमारी सरकार ने ·५ बोरिंग की राइफलें बनाने में कितनी प्रगति की है ?

†**श्री त्यागी :** बहुत ज्यादा ।

†**सरदार इकबाल सिंह :** क्या यह सच है कि सभी उन्नत देशों ने जैसे रूस, अमरीका, जापान और पाकिस्तान ने भी अपनी सेनाओं में स्वचालित राइफलों का प्रयोग आरम्भ कर दिया है, और यदि हां, तो क्या भारत सरकार ने इसके बारे में निर्णय करने से पूर्व उसका कोई निर्णय किया है ?

†**श्री त्यागी :** केवल राइफलें ही प्रयुक्त नहीं की जातीं, कई अन्य छोटे-छोटे शस्त्र भी प्रयुक्त किये जाते हैं । इसलिये स्वयं भरी जाने वाली राइफलों को चालू करने की कोई तुरन्त आवश्यकता मैं नहीं समझता ।

भत्ते के लिये आगरा नगर का उच्चतर श्रेणी में रखा जाना

†*१०२०. **श्री गिडवानी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल में भत्ते के प्रयोजनों के लिये आगरा नगर को उच्चतर अर्थात् 'ख' श्रेणी में रखने के प्रश्न पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में क्या निर्णय किया गया है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) :** (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार का ध्यान २५-२-५६ को 'टाइम्स आफ इण्डिया' में प्रकाशित इस समाचार की ओर गया है कि आगरा में केन्द्रीय सरकार के १०,००० कर्मचारियों ने आगरे को उच्चतर श्रेणी में रखने की मांग करते हुए एक प्रदर्शन किया था ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मुझे इस बारे में कोई ज्ञान नहीं है ।

†**श्री गिडवानी :** क्या सरकार इस सम्बन्ध में पूछताछ करेगी कि क्या वहां पर इस प्रकार का कोई प्रदर्शन किया गया था और यदि किया गया था तो उन कर्मचारियों की मांग क्या थी ?

†**श्री एम० सी० शाह :** मैं नहीं समझता कि हमें सामाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले प्रत्येक समाचार के बारे में पूछताछ करनी चाहिये । यदि कोई अभ्यावेदन भेजना है तो वह भारत सरकार को भेजना चाहिये । भारत सरकार उस पर विचार करेगी ।

†**श्री गिडवानी :** क्या मैं यह समझूं कि भारत सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** नहीं, अन्यथा वह बता देते ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव :** क्या आगरा नगर, आगरा कैन्ट और उपक्षेत्रों की जन संख्या ५ लाख से अधिक है और क्या वे नगर जिनकी जन संख्या ५ लाख से अधिक होती है स्वयमेव इस श्रेणी में आ जाते हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह :** १९५१ की जनगणना के अनुसार आगरा की जन संख्या ३ लाख से कुछ अधिक है ।

†**श्री नम्बियार :** क्या सरकार उन नगरों को उच्चतर श्रेणी में रखने के बारे में विचार कर रही है जो कि 'ख' श्रेणी में आते हैं परन्तु जानकारी न होने अथवा किसी और कारण से अभी तक उस श्रेणी म नहीं रखे गये हैं ?

†**श्री एम० सी० शाह :** सरकार इस प्रकार की किसी भी प्रस्थापना पर विचार नहीं कर रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

बुद्ध जयन्ती

†*१०२१. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री ७ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १५२५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या २५००वीं बुद्ध जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में बौद्ध स्मारकों, संग्रहालयों के नवीकरण तथा सड़कों, होस्टलों आदि के निर्माण की योजना के सम्बन्ध में सरकार ने अन्तिम निर्णय कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो किन किन स्थानों पर काम प्रारम्भ हो चुका है ; और

(ग) उस योजना को कार्यान्वित करने में लगभग कितनी लागत आयेगी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) :**(क) जी, हां ।

(ख) वे स्थान जहां पर कार्य प्रारम्भ हो चुका है, ये हैं: बौद्ध गया, सारनाथ, सांची, राजगीर, कुशीनगर, नालन्दा, संकिसा तथा सहेत महेत ।

(ग) १,५६,००,००० रुपया ।

†**डा० राम सुभग सिंह:** सभा-सचिव ने जिन स्थानों का नाम लिया है उनमें कौशांबी का नाम नहीं आता। क्या कौशंबी को एक बौद्ध केंद्र माना जाता है और यदि हां, तो क्या वहां पर कोई होस्टल बनवाने अथवा इलाहाबाद से कौशांबी तक जाने वाली सड़क को सुधारने के बारे में कोई प्रस्थापना है ?

†**डा० एम० एम० दास :** इसमें कौशांबी का कोई उल्लेख नहीं है ।

†**डा० राम सुभग सिंह :** यही तो मेरा प्रश्न है ।

†**डा० एम० एम० दास :** जहां तक बुद्ध जयन्ती का सम्बन्ध है, कौशांबी के लिये कोई योजना नहीं है । शेष प्रश्न के लिये क्या सरकार इसे एक महत्वपूर्ण स्थान मानती है, मुझे पूर्व सूचना की आवश्यकता है ।

†**डा० एस० एन० सिंह :** क्या बुद्ध गया और सारनाथ में कोई विशेष होस्टल अथवा छप्पर बनाये गये हैं ? क्या अन्य बौद्ध केंद्रों के सम्बन्ध में भी ब्योरा बताया जा सकता है ?

†**डा० एम० एम० दास :** इसके बारे में तो मैं नहीं जानता कि क्या वे बनाये जा चुके हैं या नहीं । परन्तु जहां भी आवश्यकता है वहां होस्टल और अतिथि गृह बनाने की व्यवस्था की गयी है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि महात्मा बुद्ध के इस २५वीं शताब्दी जयन्ती समारोह में सरकार न विदेशों से आने वाले विभिन्न लोगों के लिये क्या कोई ऐसा साहित्य तैयार किया है जिसमें महात्मा बुद्ध की जीवनी, उनके विचारों और शिक्षाओं आदि पर प्रकाश डाला गया हो और उनकी शिक्षाओं और आदर्शों को भारत में किस तरह से कार्यरूप में परिणत किया जा रहा है ?

†**डा० एम० एम० दास :** यद्यपि यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता तथापि मैं समझता हूं कि बुद्ध-धर्म, बुद्ध भगवान के जीवन आदि से सम्बन्ध रखने वाली अनेकों पुस्तकें होंगी ।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसके सम्बन्ध में मेरा यह विचार है कि क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मामला है और इसके बारे में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिये यह अधिक अच्छा होगा कि इस सम्बन्ध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित कर दी जाये अथवा कुछ जानकारी सदस्यों को दे दी जाये ताकि उन्हें सब बातें मालूम हो जायें । प्रश्न काल में इस प्रकार के सुझाव देना उचित नहीं है । इसके लिये माननीय सदस्य सम्बन्धित प्राधिकारियों को लिखें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

†*१०२२. **श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, हैदराबाद में प्रतिवर्ष कितने प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिये जाने की आशा है ; और

(ख) इस संस्था पर प्रतिवर्ष लगभग कितना आवर्तक तथा अनावर्तक खर्च किया जायेगा ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) ९० ।

(ख) आवर्तक—लगभग १,०८,००० रुपये प्रति वर्ष ।

अनावर्तक—लगभग ८८,६०० रुपये प्रति वर्ष ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** इस संस्था में केवल कर्मचारी ही प्रवेश पा सकेंगे अथवा प्राइवेट उम्मीदवारों के लिये भी कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**श्री दातार :** ७ वर्ष के अनुभवी पुलिस इन्सपेक्टर प्रशिक्षण के लिये बुलाये जा सकते हैं ।

†**श्री एच० जी० वैष्णव :** क्या भविष्य में प्राइवेट उम्मीदवारों को भी प्रविष्ट करने का कोई प्रबन्ध होगा जो इस लाइन में आना चाहते हैं ?

†**श्री दातार :** अवसर आने पर इस प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** अपराधों का पता लगाने के लिये प्रशिक्षण दिया जायेगा अथवा केवल राजनीतिक विरोधियों का पीछा करने के लिये ही ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं ।

†**सरदार ए० एस० सहगल :** क्या पता लगाने की टेकनीक का अध्ययन करने के लिये लोगों को विदेश भेजने का विचार है ?

†**श्री दातार :** इस कार्य के लिये जितने कर्मचारियों की आवश्यकता का अनुमान लगाया गया है उन्हें विदेशों में प्रशिक्षण मिल चुका है ।

†**श्रीमती कमलेन्दुमति शाह :** क्या यह कार्य कुत्तों को भी सिखाया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** पहले हम मनुष्यों के बारे में बात कर लें उसके बाद कुत्तों के बारे में करेंगे ।

†**केशव अय्यंगार :** क्या इस प्रकार का सारे देश में यही एक स्कूल है अथवा कुछ और भी हैं ?

†**श्री दातार :** पश्चिमी बंगाल जैसे राज्यों का अपना स्कूल है । मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक स्कूल है या हो जायेगा ।

डाक का विवाचन

†*१०२४. **श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विरोधी दलों के सदस्यों के पत्रों का डाकघरों से होकर आते-जाते समय विवेचन किया जाता है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** नहीं ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या माननीय मंत्री को बताया गया है कि संचार मंत्रालय की मांगों पर चर्चा के दौरान में, माननीय संचार मंत्री ने यह स्वीकार किया था कि ऐसा विवाचन अधिनियम के अधीन किया जा रहा है, जो मुझे संविधि-पुस्तक में कहीं नहीं मिलता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि भारतीय डाकघर अधिनियम की धारा २६ (१) के अधीन पत्रों के विवाचन के लिये राज्य सरकार अथवा केंद्रीय सरकार द्वारा कार्यवाही की जा सकती है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** क्या सरकार द्वारा आपात की घोषणा की जाने पर डाकघर अधिनियम की धारा २६ के अधीन कार्यवाही की जा सकती है जिसका उपबन्ध उसमें नहीं किया गया है, वरन् केवल पत्रों को फाड़ डालने अथवा उन्हें बीच में रोकने की व्यवस्था की गई है ?

†**श्री दातार :** जिन परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है उसका उल्लेख धारा २६ (१) में स्पष्ट रूप से किया गया है, जिसे माननीय मंत्री पढ़ सकते हैं ।

†**श्री नम्बियार :** क्या यह सच है कि माननीय मंत्री, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से इस सम्बन्ध में अभ्यावेदन किये गये हैं कि विरोधी दल के सदस्यों के पत्रों का विवेचन गृह-मंत्रालय के एजेंटों अथवा डाकघरों में किसी व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है ?

†**श्री दातार :** कोई शिकायत प्राप्त हुई है, यह मुझे विदित नहीं । जहां तक भारत सरकार का सम्बन्ध है, उसने ऐसा कोई निदेश नहीं जारी किया है । राज्य सरकारें क्या करती हैं इससे हमारा कोई सरोकार नहीं है ।

†**श्री नम्बियार :** क्या सरकार पुलिस विभाग को ऐसा निदेश जारी करेगी कि वह अब भविष्य में विरोधी दलों के सदस्यों के पत्रों का विवेचन न करे ?

†**श्री दातार :** यदि ऐसे आदेश जारी नहीं किये गये, तो असहय बात होगी ।

श्री कामत : क्या प्रत्येक मामले में जहां कहीं भी ऐसी कार्यवाही की जाती है डाकघर अधिनियम की धारा २६ द्वारा अपेक्षित प्रमाणपत्र सम्बन्धित पदाधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं इस विषय पर और अधिक प्रश्न पूछने की अनुमति इस कारण नहीं देता हूं कि माननीय मंत्री इस प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं कि विरोधी दलों के सदस्यों के पत्रों का विवेचन नहीं किया जाता है । (**एक माननीय सदस्य :** किया जाता है ।) 'नहीं किया जाता' उत्तर है ।

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी :** उन्हें मालूम नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** फिर किन परिस्थितियों में यह प्रश्न पूछा गया था । उत्तर था, धारा २६ । धारा २६ के निर्वचन पर हमने वाद-विवाद किया था । तत्पश्चात् यह पूछा गया था, कि ऐसा न करने के लिये पुलिस को निदेश जारी क्यों नहीं किया जाता । ये प्रश्न उत्पन्न नहीं होते । निश्चय ही इसका उत्तर यह है कि पत्रों का विवेचन नहीं किया जाता । और यह भी पूछा गया था : "क्या माननीय सदस्यों से अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुए हैं ?" इस पर माननीय मंत्री ने उत्तर दिया था कि उनकी जानकारी में कोई भी अभ्यावेदन नहीं प्राप्त हुआ है । इस प्रश्न पर इससे अधिक और क्या पूछने की अनुमति मैं दूं ? अगला प्रश्न ।

†**श्री कामत :** आध घंटे की चर्चा ।

†**अध्यक्ष महोदय :** स्वतन्त्र रूप से ।

आदिम जातियों के छात्र

†***१०२६. श्री रिशांग किशिंग :** क्या **शिक्षा** मंत्री १९ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ९६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आदिम जाति के छात्रों को स्कूल फीस देने से मुक्त करने के सम्बन्ध में मनीपुर सरकार के प्रस्ताव की जांच की है ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार का निर्णय किया गया है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) आशा है जल्दी ही निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : निर्णय करने में कितना समय लगेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : मनीपुर सरकार ने केन्द्रीय सरकार को अभी पिछले नवम्बर में ही लिखा है और मैं कह चुका हूं कि जल्दी ही निर्णय किया जायेगा ।

†**श्री रिशांग किशिंग** : क्या यह सच है कि भारत सरकार ने स्थानीय सरकारों को लिखा है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले आदिम जातियों के छात्रों को फीस से मुक्त नहीं किया जायेगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह परिपत्र सभी राज्य सरकारों को भेजा गया था और उनसे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये निःशुल्क शिक्षा कर देने के लिये कह दिया गया था । अब हमें अभी नवम्बर, १९५५ में एक सूचना मिली है और बहुत शीघ्र ही निर्णय होने जा रहा है ।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस

†*१०२७. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस कब से बनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस जिसे पहले क्राउन रिप्रेजेंटेटिव्ज पुलिस कहते थे सर्वप्रथम जुलाई, १९३९ में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस फोर्स ला, १९३९ के अधीन बनाई गई थी । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम (१९४९ की संख्या ६६) १९४९ के अधीन, जो १५ अगस्त, १९४७ से भूतलक्षी प्रभाव रखते हुए लागू किया गया था, इसका नाम बदल कर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल रख दिया गया है ।

†**चौधरी मुहम्मद शफी** : उनकी राज्यवार संख्या क्या है और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस की स्थापना कब से हुई है ?

†**श्री दातार** : राज्यवार का तो प्रश्न ही नहीं है । यह तो अखिल भारतीय पुलिस बल है जो भारत सरकार के अधीन होता है ।

†**चौधरी मुहम्मद शफी** : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस काश्मीर में कब से है और उसकी संख्या कितनी है ?

†**श्री दातार** : लोक हित में मैं इन बातों को विस्तारपूर्वक नहीं बताना चाहूंगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि स्वतन्त्रता के पश्चात् जब से यह रिजर्व पुलिस रिआर्गेनाइज की गई है, सरकार ने उसके कार्यकलाप यानी फंक्शन्स में कोई परिवर्तन किया है, और यदि हां, तो क्या ?

†**श्री दातार** : पहला रूपभेद यह किया गया था । पहले इसको भारतीय रियासतों की सहायता करने के लिये बनाया गया था । अब इस बल का उपयोग गृह-युद्ध, आन्तरिक सुरक्षा, सीमा प्रतिरक्षा, महत्वपूर्ण स्थानों की रक्षा करने और कुछ मामलों में डकैती-विरोधी कार्यों में सहायता करके शांति और सुव्यवस्था बनाये रखने में किया जा सकता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि बार्डर.....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को "मैं जानना चाहता हूं" को छोड़कर प्रश्न पूछना चाहिये । माननीय सदस्य "क्या मैं जान सकता हूं" आदि को छोड़ कर सीधे प्रश्न पूछ सकते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एम० एल० द्विवेदी : माननीय मंत्री ने अभी बतलाया कि रिजर्व पुलिस के अन्य कामों में से एक काम यह भी है कि सीमावर्ती क्षेत्रों की प्रतिरक्षा का काम करे, तो मैं जानना चाहता हूं कि पाकिस्तान और भारत के बीच में जो बार्डर इन्सीडेन्ट्स हुए उनके सम्बन्ध में इस पुलिस ने क्या कोई काम किया है ? यदि नहीं, तो उन्होंने कौन कौन से काम किये हैं, यह बतलाया जाय ।

†**श्री दातार** : मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि सीमा प्रतिरक्षा कार्यों में से एक है । जहां तक माननीय सदस्य द्वारा उठाये गये नाजुक प्रश्न का सम्बन्ध है, मैं अन्य विस्तृत बातें नहीं बताना चाहूंगा ।

†**श्री यू० सी० पटनायक** : क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस के पास न केवल ·३०३ और अन्य पुराने ढंग के अस्त्रों के अतिरिक्त आधुनिक शस्त्र भी रहते हैं ?

†**श्री दातार** : मुझे इन विस्तृत बातों की जानकारी नहीं है, किन्तु हम उन्हें यथासम्भव अच्छे से अच्छे अस्त्र-शस्त्र देते हैं ।

केन्द्रीय सचिवालय में रिसेप्शनिस्ट

†*१०२८. **डा० सत्यवादी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री केन्द्रीय सचिवालय के रिसेप्शनिस्टों की संख्या बताने और यह बताने की कृपा करेंगे कि उनमें से कितने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लोग हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** :

रिसेप्शनिस्टों की संख्या	..	..	२५
अनुसूचित जातियों की संख्या	..	..	३
अनुसूचित आदिम जातियों की संख्या	..		शून्य

डा० सत्यवादी : क्या यह दुरुस्त है कि अभी पिछले दिनों इस जगह के लिये कुछ नये आदमी लिये गये थे, और अगर लिये गये हैं, तो उनमें से हरिजन कितने लिये गये हैं ?

†**श्री दातार** : जहां तक सुरक्षण का सम्बन्ध है, यह सीधे भर्ती में लागू होता है । हमने ९ पदाधिकारियों की भर्ती रिसेप्शनिस्ट के रूप में की है जिनमें से २ स्थान अनुसूचित जातियों और एक अनुसूचित आदिम जातियों के लिये सुरक्षित थी और जब अनुसूचित आदिम जाति का उम्मीदवार नहीं मिला, तो हमने अनुसूचित जाति के ३ व्यक्तियों को ले लिया । इस प्रकार माननीय सदस्य देखेंगे कि उनकी संख्या आवश्यकता से अधिक है ।

आंध्र में तेल मिलने की आशा

†*१०३०. **डा० रामा राव** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री ७ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५५३ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र तट के वे स्थान जहां तेल पाये जाने की आशा की जाती है ; और

(ख) क्षेत्र के विशिष्ट और गहन सर्वेक्षण के लिये क्या कार्यवाही की जाने का विचार है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) आंध्र के पूर्वी तट पर तेल पाये जान की सम्भावना पाई जाती है किन्तु निश्चित स्थिति बताने से पूर्व विस्तृत कार्य करना अनिवार्य है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) भूतत्वीय और भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करके तेल की खोज करने का विचार है जिसके बाद छिद्रण करके जांच की जायेगी ।

†**डा० रामा राव** : यह सर्वेक्षण कब से आरम्भ होगा ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : इस सम्बन्ध में प्राथमिकता निश्चित करने में कुछ समय लगेगा किन्तु इस योजना में भूतत्वीय सर्वेक्षण करने का विचार है ।

†**डा० रामा राव** : क्या इस सर्वेक्षण में छिद्रण करके जांच करना भी सम्मिलित है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : नहीं । भूतत्वीय सर्वेक्षण में छिद्रण करके जांच करना सम्मिलित नहीं है ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** – खड़े हुए –

†**श्री बी० डी० पांडे** : क्या मैं जान सकता हूं, श्रीमान्.....

†**अध्यक्ष महोदय** : यह आंध्र के बारे में है । मुझे समाप्त कर लेने दीजिये ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : ये प्राथमिकतायें कब कार्यान्वित की जायेंगी ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : यह प्राथमिकता निश्चित करने से पूर्व बहुत से प्रश्नों पर विचार करना होता है, विशेषकर प्रविधिक कर्मचारियों और सामान आदि के बारे में जिनकी इस कार्य को करने में अनिवार्य रूप से आवश्यकता पड़ती है ।

सरदार ए० एस० सहगल : क्या पूरे देश के लिये तेल निकालने के लिये कोई प्लैन तैयार की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : जी हां, एक प्लैन करीब करीब तैयार हो गई है, लेकिन आखिरी तौर पर तैयार हो गई है यह मैं नहीं कह सकता । शायद दो हफ्ते के अन्दर तैयार हो जाय ।

†**डा० एस० एन० सिंह** : क्या मछलीपट्टम और तिरुपति के आस-पास के क्षेत्र में अर्थात् तटीय क्षेत्र में कोई सर्वेक्षण किया गया है ?

†**श्री के० डी० मालवीय** : जी नहीं । मैंने केवल यह बताया कि वहां की चट्टानों की भूतत्वीय बनावट से पता लगता है कि यदि खोज की गई तो उनमें तेल निकल सकता है ।

उपकुलपति-सम्मेलन की सिफारिशें

***१०३१. श्री के० सी० सोधिया** : क्या **शिक्षा** मंत्री २२ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ९१४ के भाग (ख) और (ग) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालयों के उपकुलपतियों और माध्यमिक शिक्षा बोर्डों के प्रधानों के सम्मेलन द्वारा सिफारिश की गई केन्द्रीय सहायता के बारे में उल्लिखित योजनायें तैयार कर ली गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मुख्य रूपरेखा क्या है; और उनमें से प्रत्येक पर सरकार कितनी रकम व्यय करना चाहती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो ये योजनायें कब तक तैयार हो जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, जी ।

(ख) जहां तक विश्वविद्यालय शिक्षा का सम्बन्ध है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निम्न मुख्य योजनाओं पर पांच करोड़ रुपये व्यय करने का विचार है :—

(१) तीन वर्ष के डिगरी पाठ्यक्रम की व्यवस्था,

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) श्रेणियों में विद्यार्थियों की संख्या को सीमित करना,

(३) पुस्तकालय और प्रयोगशालायें स्थापित करना ।

माध्यमिक शिक्षा के सम्बन्ध में द्वितीय योजना में पुनर्गठन की योजना को मिला कर कुल ४३·५ करोड़ रुपये के खर्च का विचार है । मुख्य प्रस्ताव स्कूलों को हायर सैकेन्डरी स्कूलों और बहुउद्देशीय स्कूलों में बदलने और अध्यापकों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में है ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या ट्रेनिंग देने, मल्टीपरपज स्कूल खोलने, आदि के अलग-अलग विभाजन मालूम हो सकते हैं ?

†**डा० एम० एम० दास** : यह योजना परीक्षात्मक है । योजना आयोग और अन्य निकायों द्वारा अभी अन्तिम निश्चय नहीं किया गया है । अतः इसकी विस्तृत बातें अभी तैयार नहीं की गई हैं ।

श्री के० सी० सोधिया : क्या यह योजना काम में लाई जा सकती है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : निश्चय ही ।

श्री के० सी० सोधिया : अगर प्लैनिंग कमीशन उनको मंजूरी नहीं देगा तो इन योजनाओं का क्या होगा ?

†**डा० एम० एम० दास** : मैं कह चुका हूं कि यह अभी अन्तिम रूप से स्वीकृत नहीं हुई है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कार्यान्विति अथवा स्वीकृति ।

प्रतिरक्षा मुख्यालय भवन

*१०३२. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री १८ अप्रैल, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रतिरक्षा मुख्यालय के नये भवन के निर्माण में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अब यह फैसला किया गया है कि जंगल का वह भाग जो किचनर रोड के उत्तर तथा विलिंगडन क्रेसेन्ट के पच्छिम में है और जो पहिले प्रतिरक्षा मुख्यालय के भवन के लिये निश्चित किया गया था सुरक्षित रखा जाय । इसलिये इसके बदले में कोई दूसरा स्थान चुना जायगा ।

श्री भक्त दर्शन : इस सम्बन्ध में और किन किन स्थानों पर विचार किया जा रहा है, और कब तक इस बारे में फैसला हो जाने की आशा की जा सकती है ?

श्री त्यागी : बहुत से स्थान देखे गये हैं और इस सिलसिले में वर्क्स हाउसिंग और सप्लाई मिनिस्ट्री से बातचीत हो रही है ।

महंगाई भत्ता

†*१०३४. **श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्या **वित्त** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ८१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'ग' श्रेणी के नगरों में कार्य करने वाले उन कर्मचरियों के वेतन में, जिन्हें ७६ रुपये प्रति-मास मिलते हैं, मकान किराया भत्ता देने के प्रयोजन से, महंगाई भत्ते का आधा वेतन में मिलाने सम्बन्धी नियमों के संशोधन के बारे में क्या सरकार ने कोई निर्णय किया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है ; और

(ग) यह कब से लागू होगा ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) 'ग' श्रेणी के नगरों में मकान किराया भत्ते को विनयमित करने के उद्देश्य से वर्तमान वेतन (भत्ता सहित) की सीमा का संशोधन करने का निश्चय निम्न प्रकार से किया गया है :—

वेतन सीमा	मकान किराया भत्ता
५५ रुपये से कम वेतन	५ रुपया प्रति मास
५५ रुपये से १२५ रुपये तक	७ रुपये प्रति मास
१२५ रुपये से अधिक	ऐसी राशि जिसे मिलाकर वेतन १३४ रु० ८ आने हो जाये ।

(ग) विस्तृत बातें तैयार की जा रहीं हैं । १ अप्रैल, १६५६ से आदेश लागू होगा ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : क्योंकि यह मामला १ जून, १६५३ से विवाद का विषय बना हुआ है, क्या सरकार इसे भूतलक्षी प्रभाव देगी ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैंने कहा है कि यह १ अप्रैल १६५६ को लागू होगा । इसलिये इसे भूतलक्षी प्रभाव देने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री नम्बियार** : सरकार अवशेष रकम को पिछले समय से क्यों नहीं देना चाहती, विशेषकर, जबकि यह मामला गाडगील समिति की सिफारिशों संबन्धी निर्णय के तुरन्त पश्चात् ही विवाद का विषय बन गया था, और इस सम्बन्ध में आन्दोलन भी हुआ था ?

†**श्री एम० सी० शाह** : सरकार ने इस मामले के सब पहलुओं पर विचार किया है और यह निर्णय किया है कि आदेश १ अप्रैल, १६५६ से लागू होना चाहिये ।

†**श्री टी० बी० विट्ठल राव** : जो अतिरिक्त वित्तीय दायित्व आयेगा, क्या उनका ब्योरा तैयार कर लिया गया है, और यदि हां, तो वह क्या है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : यह २६ से २८ लाख रुपये के लगभग होगा ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि महंगाई को चालू हुये १० वर्ष हो चुके हैं और अभी तक भी इस बात का निश्चय नहीं हुआ है कि कब महंगाई एलांउस का दिया जाना बन्द होगा और कब महंगाई खत्म होगी, क्या इस सम्बन्ध में भी विचार किया जा रहा है कि इसको तनख्वाहों में ही मिला दिया जाय ?

†**श्री एम० सी० शाह** : मैं नहीं समझता कि इस प्रश्न से यह प्रश्न कैसे सम्बन्ध रखता है, जबकि इस प्रश्न का केवल गृह किराया भत्ता से ही सम्बन्ध है । महंगाई भत्ता का प्रश्न इससे अलग है । यदि माननीय सदस्य उसकी सूचना दें तो मैं उसका उत्तर दूंगा ।

†**श्री वेलायुधन** : माननीय मंत्री ने कहा था कि निर्णय करने में बहुत देर लगी थी और मामला कई वर्षों तक विवादास्पद विषय बना रहा था । उन्होंने यह भी कहा था·····

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने जो कहा था, वह हमने सुना है । माननीय सदस्य का क्या प्रश्न है?

†**श्री वेलायुधन** : जब माननीय मंत्री लम्बे उत्तर दे सकते हैं, तो क्या हम लम्बे प्रश्न नहीं पूछ सकते ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : किसी को भी इतनी लंबी बात नहीं कहनी चाहिये । मैं माननीय मंत्री को भविष्य में, संक्षिप्त उत्तर देने के लिये कहूंगा, यदि माननीय सदस्यों को उस से संतोष हो ।

†**श्री वेलायुधन** : इस महंगाई भत्ता और लाभांश भत्ता के बारे में निर्णय कब किया गया था ? माननीय मंत्री ने कहा था कि यह १ अप्रैल, १९५६ से लागू होगा.....

†**श्री एम० सी० शाह** : महंगाई भत्ता या लाभांश भत्ता दिये जाने के बारे में कोई प्रश्न नहीं है । माननीय सदस्य ने प्रश्न को अच्छी तरह नहीं समझा है ।

न्यू इण्डिया फिशरीज लिमिटेड

†*१०३५. **श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आधुनिक साजो सामान के साथ भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने की सम्भाव्यता को बढ़ाने के लिये न्यू इण्डिया फिशरीज समिति नाम का एक भारत-जापानी सार्थ बम्बई में पंजीबद्ध किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस सार्थ की प्राधिकृत पूंजी और प्रदत्त अंश पूंजी कितनी है ; और

(ग) इसमें भारतीय हितों की कितनी पूंजी है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) जी, हां । किन्तु, यह समवाय भारत के तट से सात मील से परे मछली पकड़ने की कार्रवाई नहीं करेगी, तथा कच्छ की खाड़ियों, काम्बे, मन्नार, पाक खाड़ी, पाम्बन चैनल (समुद्रवंक) और ऐसे दूसरे क्षेत्रों में, जो भारत सरकार द्वारा निश्चित किये जायेंगे, मछली नहीं पकड़ेगा।

(ख) समवाय की प्राधिकृत पुंजी १ करोड़ रुपये और प्रदत्त पूंजी १५ लाख रुपये है ।

(ग) ५१ प्रतिशत ७,६५,००० रुपये ।

†**श्री सिद्धनंजप्पा** : क्या अंश पूंजी में भारत सरकार ने भी भाग मिलाया है ?

†**श्री एम० सी० शाह** : जी, नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : क्या सरकार इस बात को जानती है कि हमारी संस्कृति का सिद्धांत वसुधैव कुटुम्बकम् रहा है और ऐसी हालत में क्या इस प्रकार के उद्योग को सरकार कोई सहायता न देगी, इसका निश्चय करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्य के लिये सुझाव है । क्या यह अहिंसा के अन्तर्गत आता है ?

भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रम

†*१०३६. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय पुलिस सेवा के वेतन-क्रम की उपरि सीमा को बढ़ाने का विचार करती है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मामला विचाराधीन है ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या इस मामले पर विचार करते समय सरकार उस प्रस्थापना को भी ध्यान में रखेगी, जो कुल सम्पत्ति पर कर लगाने और व्यक्तिगत आय की अधिकतम मात्रा निश्चित करने के बारे में देश के सामने है ?

†**श्री दातार** : यह वित्त मंत्रालय के विचार करने का प्रश्न है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विदेशी

†*१०३७. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १६५५ से लेकर अब तक भारत में अनधिकृत रूप में ठहरने के दोष पर न्यायालयों द्वारा विदेशों के कितने राष्ट्रजनों को गिरफ्तार और दण्ड दिया गया है ; और

(ख) प्रत्येक व्यक्ति को कितने समय के लिये कारावास दण्ड दिया गया है; और प्रत्येक पर कितना जुर्माना लगाया गया है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ३]**

†**सरदार इकबाल सिंह** : ये राष्ट्रजनों का किन किन देशों से सम्बन्ध है ?

†**श्री दातार** : राष्ट्रमण्डल के देशों के अतिरिक्त समस्त विदेशी देशों से ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : कितने लोगों ने अपने कारावास दण्ड भुगतने के पश्चात अपने अपने देशों को वापिस जाने से इनकार कर दिया है ?

†**श्री दातार** : हम उन्हें वापिस जाने की प्रार्थना करते हैं । यदि वे नहीं जाते, तो स्वभावत: हम उन पर अभियोग लगाते हैं और तब उन्हें कारावास दण्ड दिया जाता है । यह सामान्य प्रक्रिया है । मेरे पास इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि कितने व्यक्तियों ने कारावास दण्ड भुगतने के पश्चात् अपने देशों को लौटने से इनकार कर दिया है ।

सरदार अकरपुरी : इस स्टेटमेंट से पता चलता है कि एक ही जुर्म पर लोगों को मुख्तलिफ सजायें दी गई हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इस एक जुर्म के बगैर और भी कोई जुर्म है जिसकी वजह से ज्यादा सजायें दी गई है, अगर हैं तो वह कौन सा जुर्म है ?

†**श्री दातार** : न्यायालय उन्हें भारत में अनिधकृत रूप में ठहरने के कारण दण्ड देते हैं । कई व्यक्ति इस अपराध की पुनरुक्ति भी करते हैं । ऐसे मामलों में, दण्ड देते समय इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस सूची में पाकिस्तान से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**श्री दातार** : इसका पाकिस्नान से कोई सम्बन्ध नहीं है । पाकिस्तान विदेशी अधिनियम के अनुसार विदेशी देश नहीं है । यह राष्ट्रमण्डल का भाग है और राष्ट्रमण्डल के देशों को इस विषय में विदेश नहीं समझा जाता ।

†**श्री वेलायुधन** : क्या सरकार के पास ऐसा कोई मामला है, जिसमें कोई विदेशी राष्ट्रजन भारत में बस गया है, और भारत में विवाह करके सन्तान पैदा की है, और क्या ऐसे किसी व्यक्ति को हाल ही में भारत छोड़ने के लिये कहा गया है ?

†**श्री दातार** : निवास करने और अपराध का कोई सम्बन्ध नहीं है ।

†**श्री केशव अय्यंगार** : यहां अनधिकृत रूप में ठहरने वाले लोगों में किस देश के राष्ट्रजनों की संख्या अधिकतम थी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री दातार :** जो आंकड़े मेरे पास हैं उनसे पता चलता है कि तिब्बत के राष्ट्रजन की संख्या अधिकतम है ।

राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन के बारे में हुये दंगों के कारण गिरफ्तारियां

†*१०३९. **श्री कामत :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६ जनवरी को राज्य पुनर्गठन के बारे में सरकार के तथाकथित निर्णयों की रेडियो पर प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की जाने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार के संकेत पर, प्रत्येक राज्य में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे ; और

(ख) उनमें, राज्यवार, रिहा होने वालों, नजरबन्द और दण्डित व्यक्तियों की संख्या क्या है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) :** (क) केन्द्रीय सरकार के संकेत पर ऐसी कोई गिरफ्तारी नहीं की गई थी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†**श्री कामत :** क्या कुछ मामलों में केन्द्रीय सरकार के आदेशों के अधीन सम्बद्ध राज्यों में गिरफ्तारियां नहीं की गई थीं, किन्तु राज्य सरकारों को संबद्ध व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मंत्रणा दी गई थी ?

†**श्री दातार :** मेरा उत्तर बिल्कुल स्पष्ट है । हमने कार्रवाई करने की मंत्रणा नहीं दी है और न ही इस विषय में कुछ कहा है ।

कपड़े पर उत्पादन शुल्क

†*१०४०. **श्री के० सी० सोधिया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) (१) बम्बई, (२) अहमदाबाद और (३) दूसरे केन्द्रों, में विभिन्न वस्त्र निर्माण मिलों के मालगोदामों में, २१ फरवरी, १९५६, को कपड़े की कुल कितनी गांठें पड़ी थीं, जिन पर उत्पादन शुल्क नहीं दिया गया था ;

(ख) इस तिथि के पश्चात सात दिनों में प्रतिदिन कुल कितनी गांठें माल गोदामों से उठाई गईं ; और

(ग) २९ फरवरी, १९५६, को मालगोदामों में कुल कितनी गांठें पड़ी थीं ?

†**राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह) :** (क) २१ फरवरी, १९५६, को उत्पादन शुल्क के नियंत्रण के अधीन विभिन्न वस्त्र निर्माण मिलों के मालगोदामों में इस प्रकार कपड़े की गांठें पड़ी थीं :—

(१) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का बम्बई क्लैक्टोरेट (बम्बई नगर : ७५,५३८ गांठें)	८७,९९९ गांठें
(२) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का बड़ौदा क्लैक्टोरेट ... (अहमदाबाद नगर : ३२,४५८ गांठें)	४२,६६८ गांठें
(३) केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के दूसरे क्लैक्टोरेट ...	३६,२९८ गांठें
कुल ...	१६६,९६५ गांठें

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस तिथि के बाद के आठ दिनों में प्रत्येक दिन स्थानीय खपत के लिये इन मालगोदामों से इस प्रकार गांठें उठाई गईं :—

तिथि	बम्बई	अहमदाबाद	बम्बई और अहमदाबाद के अतिरिक्त दूसरे मिल	कुल
२२-२-५६	३,८८१	४,६४३	६,१८२	१४,७०६
२३-२-५६	४,१५६	५,४७६	७,११६	१६,७५१
२४-२-५६	३,७३५	५,५२६	७,५६५	१६,८२६
२५-२-५६	४,७८५	४,४२६	७,४८०	१६,६६१
२६-२-५६	४,२८५	२,६१८	२,६६२	६,८६५
२७-२-५६	५,१०१	४,८५३	६,८०३	१६,७५७
२८-२-५६	७,२६१	५,५३०	६,२१६	२२,००७
२६-२-५६	७,४६५	५,६१५	४,७३६	१८,१४६
कुल	४०,६६६	३६,२६०	५१,७६३	१३१,७५२

(ग) २६ फरवरी, १६५६, को दिन की समाप्ति पर इन मालगोदामों में इस प्रकार गांठें पड़ी थीं :—

(१)	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का बम्बई क्लैक्टोरेट ... (बम्बई नगर : ३८,४६७ गांठें)	४४,८१२ गांठें
(२)	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क का बड़ौदा क्लैक्टोरेट जिसमें अहमदाबाद सम्मिलित है ... ... (अहमदाबाद नगर : १०,५३३ गांठें)	१६,६६० गांठें
(३)	केन्द्रीय उत्पादन शुल्क के दूसरे क्लैक्टोरेट ...	५६,६५१ गांठें
	कुल ...	१२१,१२३ गांठें

†**अध्यक्ष महोदय** : इन आंकड़ों में किसी को दिलचस्पी नहीं है ।

†**श्री के० सी० सोधिया** : मुझे दिलचस्पी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसके पश्चात् जिस उत्तर में इतने ब्योरेवार विवरण हो तो उसे सभा पटल पर रख देना उत्तम होगा ताकि माननीय सदस्यों को उन्हें पढ़ने और बाद में अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके । इस प्रकार, बहुत सा समय लग जाता है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

अपचारी बालक

†*१००२. **श्री इब्राहीम** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के पिछड़े हुये क्षेत्रों में उपेक्षित बच्चों और अपचारी बालकों की सुरक्षा और उनको शिक्षा देने के लिये राज्य सरकारों को हाल में क्या सहायता दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : इस काम के लिये राज्य सरकारों को कोई सहायता नहीं दी गई है ।

†मूल अंग्रेजी में

पशु-विक्रय

*१००४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५ में फौजी डेरी-फार्मों से किसानों तथा राज्य सरकारों के फार्मों द्वारा गायों और भैंसों के कितने बछड़े खरीदे गये; और

(ख) क्या सरकार ने विभिन्न फौजी केन्द्रों को ये अनुदेश दिये हैं कि वे इन बछड़ों के विक्रय की खबर समाचार पत्रों में प्रकाशित करायें ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) मिलिटरी डेयरी फार्म्स द्वारा १९५५ में बेचे गये गायों तथा भैंसों के बछड़ों के ब्यौरों का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ४]**

(ख) जी हां ।

इस सम्बन्ध में अभी तक तीन प्रेस-नोट क्रमश: दिनांक १५ जून, १९५४, १० जनवरी, १९५५ तथा २ सितम्बर, १९५५ को निकाले गये हैं ।

विदेशों से वित्तीय सहायता

†*१००५. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में विदेश से कितनी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिये इसका आवंटन किस प्रकार किया गया है ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) तथा (ख). विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ५]**

पश्चिमी जर्मनी में भारतीय विद्यार्थी

†*१००८. **श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम जर्मनी में इस समय कितने भारतीय विद्यार्थी पढ़ रहे हैं ; और

(ख) उनमें से कितने विद्यार्थियों को क्रमश: पश्चिम जर्मनी सरकार और भारत सरकार की ओर से दिये जाने वाली छात्रवृत्तियां मिलती हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) २०२ ।

(ख) पश्चिम जर्मनी सरकार द्वारा ७ और भारत सरकार द्वारा १८ ।

मैसूर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†*१००९. **श्री एन० राचय्या** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में इस वर्ष भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा पदाधिकारियों की संख्या में वृद्धि हुई है ; और

(ख) यदि हां, तो आजकल मैसूर राज्य में प्रत्येक श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या में अनुसूचित जाति के पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत में विदेशी राष्ट्रों के विद्यार्थी

†*१०१०. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने १९५५-५६ के दौरान में विदेशी राष्ट्रों के विद्यार्थियों की भारत में शिक्षा एवं कल्याण के लिये कोई प्रबन्ध किया है !

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों के लिये इस प्रकार का प्रबन्ध किया गया था ;

(ग) ये विद्यार्थी किन किन देशों से आये हैं ;

(घ) कितने समय के लिये यह प्रबन्ध किया गया है ; और

(ङ) ये विद्यार्थी किन किन राज्यों में शिक्षा पा रहे हैं ।

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६]**

अखिल भारतीय कारारोपण परिषद

***१०१४. **श्री श्रीनारायणदास** : क्या **वित्त** मंत्री २५ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अखिल भारतीय करारोपण परिषद् का निर्माण करने के बारे में अभी तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) ऐसी परिषद् कब तक बन जायेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) तथा (ख). जब तक राज्यों के पुनर्गठन का कार्य पूरा नहीं हो जाता और जब तक वित्त-आयोग, जो शीघ्र ही संगठित होने वाला है, अपना कार्य समाप्त नहीं कर लेता तब तक अखिल भारतीय कर-निर्धारण परिषद् की स्थापाना के सम्बन्ध में कोई निश्चय कर लेना, सरकार के विचार से, समय से पहले होगा ।

खानों का भारतीय ब्यूरो

†*१०१६. **श्री विश्वनाथ रेड्डी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अलौह धातुओं के निक्षेपों के बाट में पता करने के लिये खानों के भारतीय ब्यूरो ने कितने क्षेत्र को प्रयोगात्मक रूप में खोदा है ; और

(ख) १९५५ में क्या परिणाम निकला ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) तथा (ख). अलौह धातुओं के निक्षेपों का पता करने के लिये खानों के भारतीय ब्यूरों ने अभी तक कोई प्रयोगात्मक खुदाई नहीं की है। भारतीय भूतत्वीय परिमाप ने खेतरी के तांबा क्षेत्र की जांच की है और जवार के सीसा-जस्ता क्षेत्र का भूतत्वीय मान चित्र तैयार कर लिया गया है । खानों के भारतीय ब्यूरो का १९५६ का विस्तृत खोज कार्य जो राजस्थान के दरीबो में क्षेत्र में होगा, स्वीकार कर लिया गया है ।

विश्व भूगोल सम्बन्धी गोष्ठी

†*१०२३. **श्री एम० इस्लामुद्दीन** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जनवरी के द्वितीय सप्ताह में विश्व भूगोल गोष्ठी अलीगढ़ में हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो उस गोष्ठी में किन बातों पर चर्चा हुई : और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इसके संगठन करने के लिये अलीगढ़ विश्वविद्यालय को सरकार ने कोई सहायता दी थी ?

†**शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) उस गोष्ठी में भूगोल के अध्यापकों, अनुसंधान करने वालों, और उच्च कक्षा वाले विद्यार्थियों को शिक्षा सम्बन्धी सामान्य हित की समस्याओं की चर्चा करने का अवसर दिया गया था । और एक मत से यह स्वीकार किया गया कि अफरीकी एशियाई भूगोल का अध्ययन करने के लिये एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् की स्थापना की जाय ।

(ग) जी हां । गोष्ठी के व्यय के लिये विश्व विद्यालय अनुदान आयोग ने १५,००० रुपये स्वीकार किये थे ।

शीनोकोत्ताह ताल्लुक का विभाजन

†*१०२५. **श्री वल्लाथरास**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार ने त्रावणकोर-कोचीन राज्य के शिनोकोत्ताह ताल्लुक के सर्वेक्षण का आदेश दिया है ताकि उसका विभाजन त्रावणकोर-कोचीन, तथा मद्रास राज्य में हो सके ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : जी हां, भावी केरल तथा मद्रास राज्यों की सीमा निश्चित करने के विचार से त्रावणकोर-कोचीन सरकार ने भारत सरकार की सहमति से उस क्षेत्र का सर्वेक्षण करना प्रारम्भ कर दिया है ।

नागरिकता अधिनियम

†*१०२६. **श्री ए स० वी० एल० नरसिंहम** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने को कृपा करेंगे कि नागरिकता अधिनियम, १९५५ के अधीन नियम कब तक अंतिम रूप से तय हो जायेंगे तथा छप जायेंगे ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : नियम बनाये जा रहे हैं और आशा की जाती है कि चालू सत्र के दौरान में संसद में प्रस्तुत कर दिये जायेंगे ।

जापान में संस्कृत का अध्ययन

†*१०३३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि जापान के तामागावा विश्वविद्यालय में विश्व परिषद् (संस्कृत विश्वविद्यालय) की एक शाखा स्थापित कर दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : जी, हां ।

माध्यमिक शिक्षा

†*१०३८. **श्री गाडिलिंगन गौड** :
श्री डी० सी० शर्मा :
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **शिक्षा** मंत्री सभा के पटल पर उस करार की एक प्रति रखने की कृपा करेंगे जो देश में माध्यमिक शिक्षा के कार्यक्रम को बढ़ाने के लिये और जिसपर भारत और अमरीका सरकार ने अभी हाल में हस्ताक्षर किये हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : जी हां । करार की एक प्रति लोक-सभा के पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

विकलांगों का कल्याण

†*१०४१. **श्री कामत** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा० हेलन केलर की भारत यात्रा के बाद शारीरिक रूप से विकलांग और विशेषत: अंधे, गूंगे और बहरे व्यक्तियों के कल्याण कार्य को बढ़ाने के लिये, जो कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है उसकी मुख्य मुख्य विस्तृत बातें क्या हैं ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : डा० हेलन केलर की भारत यात्रा के परिणामस्वरूप शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के कल्याण कार्य को बढ़ाने के लिये भारत सरकार ने कोई विशेष योजना क्रियान्वित नहीं की है ?

औद्योगिक वित्त निगम

†६०३. **श्री कर्ण सिंहजी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अप्रैल, १६५२ से ३१ मार्च, १६५५ तक औद्योगिक वित्त निगम से सहायता लने के लिये राजस्थान राज्य से कितने प्रार्थना पत्र मिले हैं ;

(ख) प्रत्येक स्वीकृत प्रार्थना पत्र पर कितना धन स्वीकार किया गया है ; और

(ग) अब तक कितना धन दिया गया है ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) ६ ।

(ख) तीन प्रार्थियों को ऋण देना स्वीकार किया गया था और ऋण की राशि क्रमश: १० लाख, ७ लाख और ७·५ लाख रुपये थी । इन तीन में से दो मामलों में १६५२ में पहले दिये गये क्रमश: २० लाख और ३० लाख रुपये के ऋण के अतिरिक्त १० लाख और ७ लाख रुपये का ऋण दिया गया था ।

(ग) १६ लाख रुपये जिसमें से ६ लाख रुपये वापिस कर दिये गयें हैं ।

अखिल भारतीय सेवायें

६०४. **श्रीमती अनुसूया बाई बोरकर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १५ अगस्त, १६४७ से अब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा और अन्य सम्मिलित सेवा पदाली (केडर) में कितने व्यक्तियों की नियुक्ति की गयी ;

(ख) इनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों के थे ;

(ग) क्या उनके लिये सुरक्षित स्थानों को उचित रूप में भर दिया गया है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उन स्थानों की पूर्ति करने के लिये क्या कार्यवाही की गयी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). आई० ए० एस० और आई० पी० एस० के विषय में आवश्यक सूचना नीचे दी गई है :—

	आई० ए० ऐस०	आई० पी० ऐस०
नियुक्तियों की कुल संख्या ...	१०१५	६३८
अनुसूचित जातियां	१५	८

अन्य सेवाओं से सम्बन्धित सूचना एकत्रित की जा रही है और कुछ ही समय में वह सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ग) जी, नहीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) यह निश्चय किया गया है कि आई० ए० ऐस०, आई० पी० ऐस० और साथ की सेवाओं में भर्ती के लिये ली जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिये अत्यधिक आयु में पांच साल की छूट दी जाये जहां तक आई० ए० ऐस०/आई० पी० ऐस० का सम्बन्ध है, यह निश्चय किया गया कि संघ लोक-सेवा आयोग को अधिकार दिया जाय कि वह प्रशासन में कार्य कुशलता को ध्यान में रखते हुये, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले उन अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों की अखिल भारतीय सेवाओं में नियुक्ति की सिफारिश करे जिन्हें वह योग्य समझे। इसके अलावा भर्ती के नियमों में ऐसी व्यवस्था है कि अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये रखे गये वे सुरक्षित स्थान जिनकी प्रतियोगी परीक्षाओं के परिणाम के आधार पर पूर्ति नहीं हो पाती, वे आई० ए० ऐस०/आई० पी० ऐस० के लिये आगामी परीक्षा तक (अर्थात् एक साल के लिये) और अन्य साथ की केन्द्रीय सेवाओं के लिये दो साल तक सुरक्षित रखे जायें ।

मैसूर में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी

†६०५. **श्री एन० राचय्या** : क्या **गृह कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर के लिये भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों का निश्चित अभ्यंश मसूर राज्य से बाहर कार्य करने के लिये प्रतिनियुक्त कर दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक श्रेणी के इस प्रकार के पदाधिकारियों की संख्या कितनी है ; और

(ग) वहां निश्चित अभ्यंश प्रतिनियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) और (ख). मैसूर राज्य के भारतीय प्रशासन और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों के निश्चित अभ्यंश की केन्द्र के लिये प्रतिनियुक्ति करने की व्यवस्था है । इस प्रकार निश्चित अभ्यंश और इस अभ्यंश में से प्रत्येक श्रेणी के पदाधिकारियों की संख्या, जिनकी प्रतिनियुक्ति, केन्द्र के लिये की गई है निम्न प्रकार है :—

सेवा	निश्चित अभ्यंस	आजकल केन्द्र में प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों की संख्या
भारतीय प्रशासन सेवा	११	३
भारतीय पुलिस सेवा	३	२

(ग) मैसूर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारियों की कमी ।

भारतीय नौसैना

†६०६. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौसेना के लिये अधिक नौसेना छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) १९५५ में प्रशिक्षित किये गये नौसेना छात्रों की संख्या कितनी है ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) प्रशिक्षण के लिये नौसेना छात्रों के अन्तर्ग्रहण की संख्या निश्चित करने के लिये भारतीय नौसेना के विकास के बारे में काफी ध्यान दिया जाता है । उदाहरणतः १९५१ में ५४ व्यक्ति लिये गये थे अब १९५४ में ६९ लिये गये हैं ।

१९५२ से पूर्व नौसेना के छात्रों का प्रशिक्षण इंगलिस्तान में होता था और नावधिकरण द्वारा दी गई प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं पर व्यक्तियों की संख्या निर्भर करती है । विदेशी सुविधाओं की निर्भरता से बचने तथा शीघ्रता से अधिक से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने के लिये हमने भारत में उपलब्ध प्रशिक्षण सम्बन्धी सुविधाओं को काफी मात्रा में बढ़ा दिया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब स्थिति यह है कि कार्यकारी तथा संभरण शाखाओं के लिये सम्पूर्ण छात्रों का प्रशिक्षण भारत में किया जा रहा है और इंजीनियरिंग और बिजली सम्बन्धी शाखाओं के लिये भी छात्रों को प्रशिषण करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है । इन शाखाओं के छात्रों के लिये प्रशिक्षण कार्य भारत में १९५७ से प्रारम्भ हो सकेगा ।

(ख) १९५५ में २४ छात्रों ने प्रशिक्षा पूरी की जब कि १९५५ में प्रशिक्षण लेने वाले छात्रों की संख्या २८१ थी ।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अधिछात्रवृत्तियां

†६०७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ अक्तूबर, १९५५ से ३१ दिसम्बर, १९५५ तक कोलम्बो योजना तथा अन्य प्रविधिक सहायता कार्यक्रम के अधीन कितनी अधिछात्रवृत्तियां दी गई हैं ; और

(ख) किन किन विषयों का अध्ययन करने के लिये अधिछात्रवृत्तियां प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को विदेश भेजा गया था ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** :

(क) कोलम्बो योजना २९

अन्य प्रविधिक सहायता कार्यक्रम जैसे चतुर्थ सूत्री कार्यक्रम और यू० एन० टी० ए० ए० कार्यक्रम } १२

(ख) समुद्रीय इंजीनियरिंग
चेताविज्ञान
कौशिकी
ब्रह्मांड रश्मि गवेषणा
वानस्पतिक छाल की रासायनिक रचना
भूतत्वीय सर्वेक्षण
जल सम्बन्धी इंजीनियरिंग
खाद्य टैकनोलोजी
धातु भौतिकी
व्यवहारिक कृषि
संयुक्त स्कन्ध समवायों का प्रबन्ध
सूक्ष्म वैज्ञानिक उपकरणों का निर्माण
औद्योगिक इन्स्ट्रमेन्टेशन
उपकरणों के दंतचक्रों का काटना तथा घिसना
कपड़ा उद्योग में रासायनिक गवेषणा का प्रयोग
भूमि के ऊपर जल की खोज
आणविक इंजीनियरिंग
सूर्य सम्बन्धी गवेषणा
गणक का रूपांकन और विकास
गांवों में बिजली लगाना
ज्वार भाटे की पूर्व घोषणा

---

†मूल अंग्रेजी में

बर्मा की मुद्रा का आयात

†६०८. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बर्मा मुद्रा के नोटों के भारत में आयात पर प्रतिबन्ध उठाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इस परिवर्तन के क्या कारण हैं ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : (क) प्रारम्भ में १-५-१९५० में यह प्रतिबन्ध लगाया गया था । उस समय बर्मी मुद्रा के नोट अधिकांशत: भारतीय रूपांकन के होते थे जिन पर "केवल बर्मा में विधिग्राह्य" छपा होता था । इस छाप को रबड़ से मिटाने की प्रथा काफी मात्रा में बढ़ गई थी और इन नोटों को भारतीय धन के रूप में लोग प्रयोग करने लगे थे अत: इस प्रथा को रोकने के लिये यह प्रतिबन्ध लगाया गया था । बाद को नये रूपांकन की बर्मी मुद्रा सामान्य चलन में आई और केवल नये प्रकार के इन बर्मी नोटों पर से दिसम्बर १९५४ में प्रतिबन्ध उठा लिया गया । एक दूसरा कारण, यात्रियों की मांग और विशेषत: भारत-ब्रर्मा सीमा के यात्रियों की जो रंगून को छोड़कर बर्मा के नोटों को भारतीय मुद्रा में और कहीं परिवर्तित नहीं कर सकते थे, मांग को पूरा करने के लिये भारत सरकार को यह प्रतिबन्ध हटाना पड़ा ।

(ख) सीमा के व्यक्तियों को प्रतिबन्ध हटाने से काफी लाभ हुआ है । इसके अतिरिक्त बर्मी मुद्रा सम्बन्धी हमारे विनियम अन्य देशों की मुद्राओं सम्बन्धी विनियमों के समान हो गये हैं ?

प्रादेशिक सेना

६०९. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल में जारी की गयी एक सेना-आज्ञा द्वारा प्रादेशिक सेना के कार्यक्षेत्र और कार्यप्रणाली की व्याख्या की गयी है और उसमें कई परिवर्तन किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति लोक-सभा के टेबल पर रखी जायेगी ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) तथा (ख). प्रादेशिक सेना अधिनियम, १९४८ के अन्तर्गत जब प्रादेशिक सेना बनी थी तब अन्य कार्यों के साथ साथ उसका कार्य यह भी था कि वह आवश्यकता पड़ने पर स्थायी सेना के लिये "फील्ड फारमेशंस तथा यूनिट्स" प्रस्तुत करे । प्राप्त अनुभव के आधार पर हाल ही में प्रादेशिक सेना के कार्यों में परिवर्तन हो गया है और वे एक आर्मी आर्डर में प्रकाशित कर दिये गये हैं । अब यह स्थायी सेना के लिये "फील्ड फारमेशंस और यूनिट्स" के बजाय यूनिटें प्रस्तुत करेगी । इसके कार्यों में और कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

आर्मी आर्डर की प्रति सभा पटल पर नहीं रखी गई है क्योंकि वह रेस्ट्रिक्टेड डाकूमेंट है ।

धूप-चूल्हा

†६१०. **पंडित डी० एन० तिवारी** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अच्छी सेवा देने के लिये सूर्य-तापी-चूल्हा में कोई और सुधार हुआ है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : नहीं श्रीमान् ।

कर्तव्यरत सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु

†६११. { **चौधरी मुहम्मद शफी** :
श्री वोडयार :

क्या **वित्त** मंत्री लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) १९५५ के दौरान में भारत में केन्द्रीय सरकार के कितने कर्मचारियों की मृत्यु उस समय

†मूल अंग्रेजी में

हुई जब कि वे सरकारी कार्य कर रहे थे ; और

(ख) क्या उनके परिवारों को कुछ राशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गई थी ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) तथा (ख). माननीय सदस्यों ने जो जानकारी मांगी है उसको एकत्रित करने के लिये देश के विभिन्न प्रशासकीय पदाधिकारियों से पत्र व्यवहार करना पड़ेगा। और इससे जो परिणाम निकलेगा वह इतना नहीं होगा जितना कि उसमें समय और श्रम का व्यय हो जायगा ।

माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये यह कहना है कि भारत सरकार द्वारा १९५० में जारी किये गये उदार सेवा निवृत्ति वेतन में यह व्यवस्था की गई है कि यदि सेवा करते समय किसी स्थायी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है और इन नियमों में निहित सभी शर्तों की पूर्ति हो जाती है तो उस कर्मचारी के परिवार को सहायता दी जायगी। संक्षेप में मृत सरकारी कर्मचारी के १२ से १५ महीने तक के वेतन के बराबर उपदान दिया जाता है और इसके अतरिक्त यदि सरकारी कर्मचारी ने २५ वर्ष से अधिक की सेवा की है तो उसके परिवार को ५ वर्ष तक के लिये १५० रुपये प्रति मास से अनधिक निवृत्ति वेतन दिया जाता है ।

इसके अतिरिक्त उन सरकारी कर्मचारियों के परिवारों को जिनकी मृत्यु "नौकरी में अन्तर्ग्रस्त जोखिम" के फलस्वरूप होती है उचित नियमों के अन्तर्गत असाधारण निवृत्ति वेतन दिया जाता है ।

भारत-टर्की सांस्कृतिक करार

†६१२. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत-टर्की सांस्कृतिक करार के अनुसरण में की गई कार्यवाहियों की विस्तृत बातें जैसे, विद्यार्थियों का आदान प्रदान, प्रत्येक देश द्वारा एक दूसरे देश में सांस्कृतिक संगठनों की स्थापना और खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रम, क्या है ;

(ख) इस सिलसिले में सरकार ने कितना व्यय किया है ; और

(ग) आगामी वर्ष के लिये क्या कार्यक्रम है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)**: (क) भारत-टर्की सांस्कृतिक सन्था, कुस्तुनतुनियां को सहायता अनुदान दिया गया था, और भारत सरकार की सामान्य सांस्कृतिक योजना के अधीन दो टर्की विद्यार्थियों ने भारत में शिक्षा पाई थी ।

(ख) केवल ९,६६५ रुपये ।

(ग) अभी तक निश्चित नहीं हुआ है ।

कैंटीन ठेकेदार

†६१३. **श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय विश्वयुद्ध के दौरान में प्रतिरक्षा सेवाओं ने कितने असैनिक कैंटीन ठेकेदार रखे थे, और सैनिकों की उन ठेकेदारों ने कितने कितने समय तक सेवा की है ;

(ख) कर सम्बन्धी मामलों में तथा अन्य दूसरी सुविधाओं में इन ठेकेदारों को कितनी रियायत दी गई है ;

(ग) इन ठेकेदारों ने जो कर्मचारी रखे थे उनके वेतन तथा उनकी छुट्टी सम्बन्धी सुविधाओं की देखभाल करने के लिये क्या कोई नियम बनाये गये थे ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) युद्ध काल में सैनिकों की सेवा करने के लिये इन ठेकेदारों ने जो व्यक्ति रखे थे उनको क्या सुविधायें दी गई थीं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) गत युद्ध काल में क्वार्टर मास्टर जनरल की स्वीकृत सूची में १०५ और पंजीकृत सूची में ५० असैनिक कैंटीन ठेकेदार थे। इन ठेकेदारों और सपरिषद् गवर्नर जनरल के बीच जो करार हुये थे वे केवल युद्ध काल में ही लागू थे जो १ अप्रैल १९४६ को सरकारी तौर पर बंद हो गई थी।

(ख) गत युद्ध काल में कैंटीन के ठेकेदारों एवं उनके द्वारा रखे गये कर्मचारियों को जिन्होंने युद्ध क्षेत्र में सेवा की थी, निम्नलिखित रियायत दी गई थी :—

(१) नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा (यह सुविधा उन स्थानों पर दी गई थी जहां पर कि सैनिकों के अतिरिक्त अन्य दूसरे लोगों को इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी)।

(२) अंगहीनता अनुदान और पारिवारिक निवृत्ति वेतन।

(३) कैंटीन ठेकेदारों के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान, यदि उन्हें युद्ध-बन्दी बना लिया जाता है तो, के दायित्व को मान लेना।

(४) कैंटीन ठेकेदारों के इन कर्मचारियों के युद्ध बन्दी बन जाने पर इनके परिवारों को, परिवारों के लिये कटाई जाने वाली राशि का, भुगतान करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ठेकेदारों के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें और निबंधन इन कर्मचारियों के परामर्श से स्वयं ठेकेदारों को ही निश्चित की जाती थीं।

आयकार पदाधिकारी

†६१४. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटिश परिषद् द्वारा प्रबन्ध किये गये दो मास के करारोपण-पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिये कितने आयकर पदाधिकारी लंदन गये थे ;

(ख) क्या उन सबने अपना पाठयक्रम पूरा कर लिया है और वापस आ गये हैं ; और

(ग) उनकी सेवाओं का उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : (क) चार—१९५४ में दो और १९५५ में दो।

(इसके अतिरिक्त दो आयकर सहायक कमिश्नर भी भेजे गये थे—एक १९५४ में और एक १९५५ में)

(ख) जी, हां।

(ग) प्रतिनियुक्ति करते समय ये पदाधिकारी आयाकर विभाग में कार्य कर रहे थे और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात जब वे यहां आये तो उन्हें विभाग में फिर से नियुक्त कर दिया गया था।

सैनिक कर्मचारियों को पदच्युत करना

†६१५. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४ और १९५५ में अलग अलग से कितने सैनिक कर्मचारियों को पदच्युत किया गया अथवा कितने कर्मचारियों पर अभियोग चलाया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)**: जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा के पटल पर रख दी जायगी ।

भारत सरकार में गैर भारतीय पदाधिकारी

†६१६. **श्री एस० सी० सामंत** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९४७ में भारत के विभाजन के बाद से कितने गैर-भारतीय भारत सरकार के अधीन असैनिक पदों पर काम कर रहे हैं ;

(ख) इसी अवधि में कितने गैर-भारतीय सेवा निवृत्त हुये हैं या उन्होंने त्यागपत्र दिये हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) १५-८-१९४७ को ३५३४, और १५-१२-१९५४ को २६७९

(ख) १५-१२-१९५४ को ८५५

इनमें नेपाल, सिक्किम, गोआ या पाकिस्तान से आये हुये विस्थापित व्यक्ति सम्मिलित नहीं हैं ।

इंगलैंड में भारतीय सेना स्मारक

६१७. **श्री अमर सिंह डामर** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंगलैंड में पुरानी भारतीय सेना का कोई स्मारक है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत सरकार उसके बनाये रखने का खर्च दे रही है ?

प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी): (क) इंगलैंड में ऐसा कोई स्मारक या कीर्ति-स्तम्भ नहीं है जो केवल भारतीय सेना के फौजियों के सम्बन्ध में हो । लेकिन इंगलैंड में राष्ट्र-मंडल के तीन संयुक्त स्मारक हैं जिनमें राष्ट्र-मंडल के अन्य देशों के फौजियों के नामों के साथ साथ भारतीय सेना के फौजियों के नाम भी दिये गये हैं ।

(ख) इन स्मारकों को बनाये रखने का खर्च इम्पीरियल वार ग्रेव्स कमीशन सहन करता है । संसार के समस्त भागों में वार ग्रेवों, भवनों, तथा स्मारकों को बनाये रखने वाली निधि में राष्ट्र-मंडल के अन्य देशों के साथ साथ भारत सरकार भी अपना भाग देती है । पहचानी जाने वाली कब्रों तथा अन्त्येष्ठि क्रियाओं का जो अभिलेख इम्पीरियल वार ग्रेव्स कमीशन एकत्रित करता है उसी के आधार पर प्रत्येक देश द्वारा दिये जाने वाला भाग निश्चित किया जाता है ।

भारत का राज्य बैंक

†६१८. **श्री धुसिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में कलकत्ता और कानपुर से इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया में (जो कि अब भारत का राज्य बैंक) है कितने व्यक्तियों को परिविक्षणाधीन सहायक चुना गया था; और

(ख) प्रत्येक वर्ष में उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के थे ?

†**राजस्व और प्रतिरक्षा व्यय मंत्री (श्री अरुण चन्द्र गुह)** : (क) १९५३,१९५४ और १९५५ में इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया की बंगाल सर्किल की शाखाओं में, जिसमें कानपुर भी सम्मिलित है, परिविक्षणाधीन सहायकों की कोई भरती नहीं की गई थी । इम्पीरियल बैंक आफ इंडिया (जो अब राज्य बैंक है) के बंगाल सर्किल में परिविक्षणाधीन सहायकों की अन्तिम भरती नवम्बर १९५२ में

†मूल अंग्रेजी में

की गई थी जब कि सात उम्मीदवार चुने गये थे। उनमें से चार उम्मीदवार कानपुर ज़िले के थे और तीन कलकत्ता जिला क्षेत्र के थे। चुने हुये उम्मीदवारों ने १९५३ में अपने पदों पर काम करना शुरू किया था।

(ख) उन सात परिशिक्षणाधीन सहायकों में से कोई भी अनुसूचित जातियों या अनुसूचित आदिम जातियों का नहीं था।

भारतीय नौवहन

†६१९. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५ में भारतीय नौवहन कम्पनियों की विदेशी मुद्रा की अनुमानित आय क्या थी ?

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : १९५५ में भारतीय वाष्पपोतों तथा वायुयान मालिकों अथवा संचालकों द्वारा एकत्रित अतिरेक माल भाड़ा तथा यात्री किराये के देश को भेजे गये प्रेषण ५·१ करोड़ रुपये के थे। भारतीय जहाजी कम्पनियों की आय के कोई पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार

†६२०. **श्री गाडिलिंगन गौड़** : क्या **शिक्षा** मंत्री सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें भोपाल सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को भेंट किये गये महत्वपूर्ण अभिलेखों का ब्योरा दिया गया हो ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : भोपाल सरकार ने भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार को लगभग दो लाख अभिलेख प्रदान किये हैं जोकि १८५४ से जब कि यह राज्य बना था, १९१४ तक, प्रशासन की सभी शाखाओं के सम्बन्ध में हैं। कोई विस्तृत सूची उपलब्ध नहीं है, क्योंकि अभिलेखों की सूची बनाने में बहुत समय लगेगा।

त्रिपुरा में दुर्घटनायें

†६२१. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च, १९५५ से फरवरी १९५६ तक त्रिपुरा में कितनी मोटर दुर्घटनायें हुईं ;

(ख) दुर्घटनाओं के मुख्य कारण क्या थे ;

(ग) इन दुर्घटनाओं के कारण कितने व्यक्ति मरे ; और

(घ) उन्हें रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) ३८।

(ख) (१) बहुत तेजी से और असावधानी से मोटर चलाना

(२) मोटर गाड़ियों में यांत्रिक त्रुटियां।

(ग) ५

(घ) (१) व्यस्त सड़कों पर अनिश्चित समय पर पुलिस द्वारा मोटर गाड़ियों की अकस्मात जांच।

(२) अपराधियों को तत्काल दंड देने के लिये चलते फिरते न्यायालय।

(३) पुरानी गाड़ियों के लाइसेंसों को रद्द करना।

त्रिपुरा सरकार के कर्मचारी

†६२२. **श्री बीरेन दत्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में त्रिपुरा सरकार के कर्मचारियों ने अवैध पदावनति, सेवामुक्ति, या निलम्बन के विरुद्ध कितने मुकदमें अदालतों में चलाये थे ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) कितने मुकदमों का निर्णय कर्मचारियों के पक्ष में किया गया था ; और

(ग) न्यायलय के अनुदेशों के अनुसार सरकार द्वारा कर्मचारियों को कितनी राशि दी गई ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी त्रिपुरा प्रशासन से मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

रूस को वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल

†६२३. { **सरदार इकबाल सिंह** :
श्री आर० के० गुप्त :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री १४ दिसम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या ५०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस भेजे गये वैज्ञानिकों के प्रतिनिधि मंडल की रिपोर्ट अब सरकार को प्रस्तुत कर दी गई है ; और

(ख) क्या सरकार ने उसके सम्बन्ध में कोई निर्णय किया है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) जी, हां ।

(ख) रिपोर्ट विचाराधीन है ।

खनिज सर्वेक्षण

†६२४. { **सरदार इकबाल सिंह** :
सरदार अकरपुरी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ में और १९५५-५६ में अब तक पृथक पृथक देश के लिये किन प्रदेशों में खनिज सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) कौन कौन से खनिज पदार्थों का पता लगा है ?

†**प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय)** : (क) और (ख). १९५४-५५ में भारत के भूतत्वीय परिमाप द्वारा की गई भूतत्वीय जांच का विवरण और उसके परिणामों का संक्षेप "भारतीय खनिज पदार्थ खंड-९, संख्या ३" में दिया गया है। इसकी एक प्रति लोक सभा के पुस्तकालय में उपलब्ध है ।

जहां तक १९५५-५६ का सम्बन्ध है, भूतत्वीय सर्वेक्षण सभी राज्यों में किया जा रहा है और जांच सम्बन्धी जानकारी सर्दियों के अन्त में भूतत्ववेत्ताओं की रिपोर्टें प्राप्त होने पर उपलब्ध हो जायेगी ।

दिल्ली विश्वविद्यालय

†६२५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विश्वविद्यालय की शाम की कक्षायें प्रारम्भ करने की कोई प्रस्थापना है ;

(ख) यदि हां, तो यह कक्षायें कब से प्रारम्भ की जाने को हैं; और

(ग) इस के लिये कितनी धन राशि की मंजूरी दी गई है ?

†**शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास)** : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). प्रस्थापना वर्तमान पंजाब विश्वविद्यालय (कैम्प) कालेज, नई दिल्ली, को प्रतिस्थापित करने की थी, और इस पर शिक्षाविदों की उस समिति की, जिसे भारत सरकार द्वारा

---

†मूल अंग्रेजी में

कैम्प कालेज के भविष्य के प्रश्न की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी, रिपोर्ट के प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

पाकिस्तान के लिये विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारी

†६२६. **चौधरी मुहम्मद शफी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों की राज्यवार संख्या क्या है, जिन्होंने विभाजन से पूर्व पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था और जो वहां गये नहीं, परन्तु जिन्हें भारत में अपनी सेवायें जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई;

(ख) इसके कारण;

(ग) ऐसे कर्मचारियों की राज्यवार संख्या जिन्हें भारत में फिर से सेवा-युक्त कर लिया गया है ; और

(घ) ऐसे व्यक्तियों की संख्या जिन के मामले अभी विचाराधीन हैं ?

†**गृह-कार्य मंत्रालय में मंत्री (श्री दातार)** : (क) केन्द्रीय सरकार के उन कर्मचारियों की कुल संख्या जिन्होंने पाकिस्तान के लिये अन्तिम विकल्प दिया था, परन्तु जो वहां गये नहीं, मालूम नहीं है । तथापि सितम्बर १९५१ में सरकार द्वारा जारी किये गये प्रैस नोट के परिणामस्वरूप, ४९३६ व्यक्तियों ने जिन्होंने पाकिस्तान के लिये अन्तिम विकल्प दिया था, परन्तु जिन्हें बाद की घटनाओं के कारण पाकिस्तान में अपने पद छोड़ने पड़े थे या जिन्हें वहां अपने पदों पर काम करने से रोक दिया गया था, भारत सरकार के अधीन फिर से सेवायुक्त किये जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे । उन के मामलों पर गुणावगुणों के आधार पर विचार किया गया था । उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें अन्ततः सेवायुक्त नहीं किया जा सका, ज्ञात नहीं है । राज्यवार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं । केवल भारत सरकार, और पंजाब और बंगाल के अविभक्त प्रांतों के कर्मचारियों को ही विकल्प देने का अधिकार था ।

(ख) उन कर्मचारियों को, जिन्होंने कि अन्तिम रूप से पाकिस्तान के लिये विकल्प दिया था, भारत की सेवाओं में पुनः सेवायुक्त किये जाने का अधिकार नहीं था । तथापि कारुण्य आधार पर उनमें से कुछ को सेवायुक्त कर लिया गया था किन्तु उनकी ठीक ठीक संख्या तुरन्त उपलब्ध नहीं है ।

(ग) राज्यवार आंकड़े भी उपलब्ध नहीं हैं ।

(घ) गृह-कार्य मंत्रालय में कोई मामले विचाराधीन नहीं हैं ।

कर-अपवंचन

†६२७. **श्री एस० वी० एल० नरसिंहम्** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करगे कि क्या आंध्र राज्य के नेल्लोर ज़िले के किन्हीं अभ्रक उत्पादकों के विरुद्ध आय कर अपवंचक की शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

†**राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह)** : यह जानकारी मंगवाई गई है और प्राप्त होने पर सभा पटल पर रख दी जायगी ।

संस्कृत को प्रोत्साहन

†६२८. **श्री राम चन्द्र रेड्डी** : क्या **शिक्षा** मंत्री १२ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५४-५५ और १९५५-५६ में

(१) विश्वविद्यालयों को ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(२) प्रत्यक्ष रूप से या राज्य सरकारों के द्वारा गैर-सरकारी संस्थाओं को देने के लिये विभिन्न राज्यों का,

संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये, राज्यवार, क्या अनुदान दिये गये ।

†**शिक्षा मंत्री के सभा-सचिव (डा० एम० एम० दास)** : संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये राज्य सरकारों को सीधे ही कोई अनुदान नहीं दिये जाते हैं ।

२. सामान्यतया भारत सरकार संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये विश्वविद्यालयों को सीधे ही कोई अनुदान नहीं देती । किन्तु वह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को, जो संस्कृत के अध्ययन की सुविधायें भी देते हैं, एकमुश्त अनुदान देती है । इस के अतिरिक्त विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने संस्कृत को प्रोत्साहन देने से सम्बन्धित विशिष्ट परियोजनाओं के लिये निम्न अनुदान दिये हैं :

	१९५४-५५ रुपये	१९५५-५६ रुपये
(१) दिल्ली विश्वविद्यालय ...	*८९६४	*९५००
(२) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	*३८१९	*३७०००

(२) के सम्बन्ध में, गैर-सरकारी संस्थाओं को सीधे अनुदान दिये जाते हैं; किन्तु पहले प्रार्थना-पत्र के समय, संस्था के स्तर और वित्तीय स्थिरता के सम्बन्ध में सम्बन्धित राज्य सरकार से परामर्श किया जाता है ।

गैर-सरकारी संस्थाओं को संस्कृत को प्रोत्साहन देने के लिये निम्न राशियां सीधे ही दी गई थीं :

	रुपये
१९५४-५५	६९,६००
१९५५-५६ ...	१,०६,४२१

एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) में असैनिक

†६२९. **डा० सत्यावादी** : क्या **प्रतिरक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय कितने नियमित और अनियमित असैनिक कर्मचारी सेना इंजीनियरिंग सेवा में कार्य कर रहे हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने व्यक्ति हैं ?

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिए परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ८]**

---

†मूल अंग्रेजी में

***ये** आंकड़े विश्वविद्यालय द्वारा किये गये वास्तविक व्यय को बताते हैं

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, ३१ मार्च, १९५६]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	९७१--९४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१००१	उत्तर प्रदेश में शिक्षितों में बेरोजगारी	९७१–७३
१००३	भारतीय प्रशासन सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी	९७३–७४
१००६	सम्पदा शुल्क	९७४
१००७	काम दिलाऊ दफ्तर	९७५
१०११	हैदराबाद कृषि-ऋणी सहायता विधेयक	९७५–७६
१०१२	छात्र वृत्तियां	९७६
१०१३	असैनिक प्राधिकारियों को सेना द्वारा सहायता ...	९७७–७८
१०१५	युवक-शिविर	९७८
१०१७	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये कल्याण योजनायें	९७८–७९
१०१८	छोटे पैमाने पर बचत ...	९७९–८०
१०१९	सेल्फ-लोडिंग राइफलें	९८१–८२
१०२०	भत्ते के लिये आगरा नगर का उच्चतर श्रेणी में रखा जाना	९८२
१०२१	बुद्ध जयन्ती	९८३
१०२२	केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल	९८४
१०२४	डाक का विवाचन ...	९८४–८५
१०२६	आदिम जातियों के छात्र	९८५–८६
१०२७	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस ...	९८६–८७
१०२८	केन्द्रीय सचिवालय में रिसेप्शनिस्ट	९८७
१०३०	आंध्र में तेल मिलने की आशा	९८७–८८
१०३१	उपकुलपति-सम्मेलन की सिफारिशें	९८८–८९
१०३२	प्रतिरक्षा मुख्यालय भवन	९८९
१०३४	महंगाई भत्ता	९८९–९१
१०३५	न्यू इण्डिया फिशरीज लिमिटिड	९९१
१०३६	भारतीय पुलिस सेवा के वेतन क्रम	९९१
१०३७	भारत में विदेशी	९९२–९३
१०३९	राज्य पुनर्गठन आयोग प्रतिवेदन के बारे में हुए दंगों के कारण गिरफ्तारियां	९९३
१०४०	कपड़े पर उत्पादन शुल्क	९९३–९४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	९९४–१००८
	तारांकित प्रश्न संख्या	
१००२	अपचारी बालक	९९४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१००४ पशु-विक्रय ९९५
१००५ विदेशों से वित्तीय सहायता ... ९९५
१००८ पश्चिमी जर्मनी में भारतीय विद्यार्थी ९९५
१००९ मैसूर राज्य में भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी ९९५
१०१० भारत में विदेशी राष्ट्रों के विद्यार्थी ९९६
१०१४ अखिल भारतीय करारोपण परिषद् ९९६
१०१६ खानों का भारतीय ब्यूरो ... ९९६
१०२३ विश्व भूगोल सम्बन्धी गोष्ठी ... ९९६-९७
१०२५ शीनोकोन्ताह ताल्लुक का विभाजन ९९७
१०२९ नागरिकता अधिनियम ... ९९७
१०३३ जापान में संस्कृत का अध्ययन ९९७
१०३८ माध्यमिक शिक्षा ९९७
१०४१ विकलांगो का कल्याण ... ९९८

अतारांकित
प्रश्न संख्या

६०३ औद्योगिक वित्त निगम ... ९९८
६०४ अखिल भारतीय सेवायें ९९८-९९
६०५ मैसूरमें भारतीय प्रशासन सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के पदाधिकारी ९९९
६०६ भारतीय नौसेना ९९९-१०००
६०७ कोलम्बो योजना के अन्तर्गत अधिछात्रवृत्तियां १०००
६०८ बर्मा की मुद्रा का आयात १००१
६०९ प्रादेशिक सेना ... १००१
६१० धूप-चूल्हा १००१
६११ कर्तव्यरत सरकारी कर्मचारियों की मृत्यु ... १००१-०२
६१२ भारत-टर्की सांस्कृतिक करार १००२
६१३ कैंटीन ठेकेदार १००२-०३
६१४ आयकर पदाधिकारी १००३
६१५ सैनिक कर्मचारियों को पदच्युत करना ... १००३-०४
६१६ भारत सरकार में गैर-भारतीय पदाधिकारी १००४
६१७ इंगलैंड में भारतीय सेना स्मारक ... १००४
६१८ भारत का राज्य बैंक ... १००४-०५
६१९ भारतीय नौवहन ... १००५
६२० भारत का राष्ट्रीय अभिलेखागार १००५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश:)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
६२१	त्रिपुरा में दुर्घटनायें	१००५
६२२	त्रिपुरा सरकार के कर्मचारी	१००५–०६
६२३	रूस को वैज्ञानिकों का प्रतिनिधि मंडल	१००६
६२४	खनिज सर्वेक्षण	१००६
६२५	दिल्ली विश्वविद्यालय	१००६–०७
६२६	पाकिस्तान के लिये विकल्प देने वाले सरकारी कर्मचारी	१००७
६२७	कर-अपवंचन	१००७
६२८	संस्कृत को प्रोत्साहन	१००७–०८
६२९	एम० ई० एस० (सेना इंजीनियरिंग सेवा) में असैनिक	१००८

M29LSD—3-6-57—190—GIPF

शनिवार
31 मार्च 1956

लोक-सभा

वाद-विवाद

(भाग २---प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खण्ड ३, १९५६

(२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६)

1st Lok Sabha
(XII Session)

Preservation Unit
3-4-92
24.11.83
Parliament Library

सत्यमेव जयते

बारहवाँ सत्र, १९५६

(खण्ड ३ में अंक ३१ से अंक ४५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

M117LSD—4

विषय-सूची

[भाग--२ वाद-विवाद, खण्ड ३--२८ मार्च से १७ अप्रैल, १९५६]

अंक ३१--बुधवार, २८ मार्च, १९५६

	पृष्ठ
स्थगन-प्रस्ताव	१५१७–२०
सदस्य का बन्दीकरण	१५२०
सदस्य का ज़मानत पर रिहाई ...	१५२०–२१
सभा का कार्य	१५२१, १५२२–२३, १५६८–६९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५२१
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति	१५२२
ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--	
अड़तालिसवां प्रतिवेदन.	१५२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	१५२२
अनुदानों की मांगें	१५२४–६७
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५२४–६७
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य ...	१५२४–६७
मांग संख्या २४--पांडिचेरी राज्य	१५२४–६७
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५२४–६७
मांग संख्या ११९--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	१५२४–६७
त्रावणकोर-कोचीन आय-व्ययक, १९५६-५७ ...	१५६७–६८
दैनिक संक्षेपिका	१५७०–७१

अंक ३२--गुरुवार, २९ मार्च, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र	१५७३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
पूर्वी पाकिस्तान में हिन्दुओं की स्थिति और वहां से उनका प्रव्रजन	१५७३
सभा का कार्य	१५७४
अनुदानों की मांगें	१५७४–१६०५
मांग संख्या २२--आदिम जाति क्षेत्र	१५७४–१६०५
मांग संख्या २३--वैदेशिक कार्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २४--पाण्डिचेरी राज्य	१५७४–१६०५
मांग संख्या २५--वैदेशिक कार्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	१५७४–१६०५
मांग संख्या ११--वैदेशिक कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ...	१५७४–१६०५
त्रावनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा सम्बन्धी संकल्प	१६०५–३१
लेखानुदानों की मांगें--त्रावनकोर-कोचीन	१६३१–३३
त्रावनकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक	१६३३–३४
दैनिक संक्षेपिका	१६३५

पृष्ठ

अंक ३३—शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

स्थगन-प्रस्ताव

श्री बरलाम दास टंडन का अनशन ... १६३८–३९

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३८–७५

मांग संख्या ९२—पुर्नावास मंत्रालय ... १६३८–७५

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय १६३८–७५

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १६३८–७५

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १६३८–७५

ग़ैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालिसवां प्रतिवेदन १६७५

मद्य-निषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में संकल्प ... १६७५–८५

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के

बारे में संकल्प १६८५–९४

दैनिक संक्षेपिका १६९५

अंक ३४—सोमवार, २ अप्रैल, १९५६

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति १६९७

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक के बारे में याचिका १६९७

अनुदानों की मांगें ... १६९७–१७५८

मांग संख्या ९२—पुनर्वास मंत्रालय

मांग संख्या ९३—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय

मांग संख्या ९४—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय

मांग संख्या १३९—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनायें

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय

दैनिक संक्षेपिका ... १७५९

अंक ३५—मंगलवार, ३ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र १७३१

अतारांकित प्रश्न के उत्तर की शुद्धि १७३१

अनुदानों की मांगें १७३२–१८१५

मांग संख्या ६७—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय १७६२–१८०९

मांग संख्या ६८—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाएं १७६२–१८०९

मांग संख्या ६९—सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय के अधीन विविध

विभाग तथा व्यय १७६२–१८०९

पृष्ठ

मांग संख्या १३४—बहुप्रयोजनीय नदी परियोजनाओं पर पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या १३५—सिंचाई और विद्युत मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १७६२–१८०६

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१०–१५

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवाएं १८१०–१५

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१०–१५

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१०–१५

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय १८१०–१५

दैनिक संक्षेपिका १८१६

अंक ३६—बुधवार, ४ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ... १८१७

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन के बारे में याचिकायें १८१७

अनुदानों की मांगें १८१७–७९

मांग संख्या ४७—स्वास्थ्य मंत्रालय १८१७–४२

मांग संख्या ४८—चिकित्सा सेवायें १८१७–४२

मांग संख्या ४९—लोक स्वास्थ्य १८१७–४२

मांग संख्या ५०—स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १८१७–४२

मांग संख्या १३०—स्वास्थ्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... १८१७–४२

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और सम्भरण मंत्रालय १८४३–७९

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८४३–७९

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८४३–७९

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण ... १८४३–७९

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८४३–७९

मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संम्भरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८४३–७९

दैनिक संक्षेपिका १८८०

अंक ३७—गुरुवार, ५ अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें १८८१–१९४६

मांग संख्या १०१—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय १८८१–९१

मांग संख्या १०२—सम्भरण १८८१–९१

मांग संख्या १०३—अन्य असैनिक निर्माण कार्य १८८१–९१

मांग संख्या १०४—लेखन-सामग्री तथा मुद्रण १८८१–९१

मांग संख्या १०५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८८१–९१

पृष्ठ

मांग संख्या १४३—नई दिल्ली पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४४—भवनों पर पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या १४५—निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय १८८१–९१
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १८९२–१९४६
मांग संख्या ८८—नमक १८९२–१९४६
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १८९२–१९४६
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १८९२–१९४६
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय १८९२–१९४६
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १८९२–१९४६
दैनिक संक्षेपिका १९४७

अंक ३८—शुक्रवार, ६ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १९४९
प्राक्कलन समिति—
चौबीसवां प्रतिवेदन १९५०
अनुसूचित जाति और अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) विधेयक १९५०
कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब ... १९५०–५१
अनुदानों की मांगें १९५१–८३
मांग संख्या ८७—उत्पादन मंत्रालय १९५१–५७
मांग संख्या ८८—नमक ... १९५१–५७
मांग संख्या ८९—उत्पादन मंत्रालय के अधीन अन्य संगठन १९५१–५७
मांग संख्या ९०—सरकारी कोयला-खानें १९५१–५७
मांग संख्या ९१—उत्पादन मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... १९५१–५७
मांग संख्या १३८—उत्पादन मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५१–५७
मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ... १९५८–८३
मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप १९५८–८३
मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण १९५८–८३
मांग संख्या ८३—खानें १९५८–८३
मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा ... १९५८–८३
मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज ... १९५८–८३
मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय १९५८–८३
मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय १९५८–८३

पृष्ठ

बाल सन्यास दीक्षा रोक विधेयक १९८३

विधान मण्डलों की कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक १९८३–२०००

विचार करने तथा प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव १९८३–२०००

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (**धारा ४२९ का संशोधन**) २०००–०६

विचार करने का प्रस्ताव २०००

दैनिक संक्षेपिका २००७

अंक ३९—सोमवार, ९ अप्रैल, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र २००९

कतिपय मंत्रालयों के वार्षिक प्रतिवेदनों के वितरण में विलम्ब २००९–१०

अनुदानों की मांगें २०१०–७९

मांग संख्या ७८—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय २०१०–२४

मांग संख्या ७९—भारतीय भू-परिमाप २०१०–२४

मांग संख्या ८०—वानस्पतिक सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८१—प्राणकीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८२—भूतत्वीय सर्वेक्षण २०१०–२४

मांग संख्या ८३—खानें २०१०–२४

मांग संख्या ८४—वैज्ञानिक गवेषणा २०१०–२४

मांग संख्या ८५—तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज २०१०–२४

मांग संख्या ८६—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय के अधीन विविध व्यय २०१०–२४

मांग संख्या १३७—प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय का पूंजी व्यय २०१०–२४

मांग संख्या ४२—खाद्य और कृषि मंत्रालय २०२५–७९

मांग संख्या ४३—वन २०२५–७९

मांग संख्या ४४—कृषि ... २०२५–७९

मांग संख्या ४५—असैनिक पशु-चिकित्सा सेवायें ... २०२५–७९

मांग संख्या ४६—खाद्य और कृषि मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२७—वनों पर पूंजी व्यय २०२५–७९

मांग संख्या १२८—खाद्यान्नों का क्रय २०२५–७९

मांग संख्या १२९—खाद्य और कृषि मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय २०२५–७९

दैनिक संक्षेपिका २०८०

अंक ४०—मंगलवार, १० अप्रैल, १९५६

अनुदानों की मांगें ... २०८१–२१३९

मांग संख्या ७०—श्रम मंत्रालय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७१—मुख्य खान निरीक्षक २०८१–२१३३

मांग संख्या ७२—श्रम मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २०८१–२१३३

मांग संख्या ७३—काम दिलाऊ दफ्तर तथा पुनःसंस्थापन २०८१–२१३३

मांग संख्या ७४—असैनिक प्रतिरक्षा २०८१–२१३३

पृष्ठ

मांग संख्या १३६—श्रम मंत्रालय का पूंजी व्यय २०८१–२१३३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१३३–३९
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१३३–३९
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१३३–३९
मांग संख्या ५४—पुलिस २१३३–३९
मांग संख्या ५५—जनगणना ... २१३३–३९
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१३३–३९
मांग संख्या ५७—अन्दमान तथा निकोबर द्वीप २१३३–३९
मांग संख्या ५८—कच्छ २१३३–३९
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१३३–३९
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१३३–३९
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध ... २१३३–३९
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २१३३–३९
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय २१३३–३९

दैनिक संक्षेपिका २१४०

अंक ४१—बुधवार, ११ अप्रैल, १९५६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनचासवां प्रतिवेदन २१४१

अनुदानों की मांगें २१४१–२२०३
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल २१४१–२२०३
मांग संख्या ५३—दिल्ली २१४१–२२०३
मांग संख्या ५४—पुलिस २१४१–२२०३
मांग संख्या ५५—जनगणना २१४१–२२०३
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते २१४१–२२०३
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबार द्वीप समूह... २१४१–२२०३
मांग संख्या ५८—कच्छ २१४१–२२०३
मांग संख्या ५९—मनीपुर २१४१–२२०३
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा २१४१–२२०३
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध २१४१–१२०३
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २१४१–२२०३
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय ... २१४१–२२०३

दैनिक संक्षेपिका २२०४

अंक ४२—गुरुवार, १२ अप्रैल, १९५६	पृष्ठ
अनुदानों की मांगें	२२०५–५८
मांग संख्या ५१—गृह-कार्य मंत्रालय	२२०५–१५
मांग संख्या ५२—मंत्रिमण्डल	२२०५–१५
मांग संख्या ५३—दिल्ली	२२०५–१५
मांग संख्या ५४—पुलिस	२२०५–१५
मांग संख्या ५५—जनगणना ...	२२०५–१५
मांग संख्या ५६—देशी राजाओं की निजी थैलियां तथा भत्ते	२२०५–१५
मांग संख्या ५७—अन्दमान और निकोबर द्वीप समूह	२२०५–१५
मांग संख्या ५८—कच्छ	२२०५–१५
मांग संख्या ५९—मनीपुर	२२०५–१५
मांग संख्या ६०—त्रिपुरा	२२०५–१५
मांग संख्या ६१—राज्यों से सम्बन्ध	२२०५–१५
मांग संख्या ६२—गृह-कार्य मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ...	२२०५–१५
मांग संख्या १३१—गृह-कार्य मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२०५–१५
मांग संख्या ६६—लोहा और इस्पात मंत्रालय ...	२२१५–४१
मांग संख्या १३३—लोहा और इस्पात मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२१५–४१
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२४१–५८
मांग संख्या २—उद्योग	२२४१–५८
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े ...	२२४१–५८
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२४१–५८
सभा-पटल पर रखे गये पत्र ...	२२३५
दैनिक संक्षेपिका ...	२२५९

अंक ४३—शनिवार, १४ अप्रैल, १९५६	
अल्प सूचना प्रश्न के उत्तर की शुद्धि	२२६१–६२
अनुदानों की मांगें	२२६२–८७
मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय	२२६२–८७
मांग संख्या २—उद्योग ...	२२६२–८७
मांग संख्या ३—वाणिज्यिक सूचना तथा आंकड़े	२२६२–८७
मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२२६२–८७
मांग संख्या ११३—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय	२२६२–८७
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—उनचासवां प्रति-वेदन...	२२८७–८९
औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प	२२८८–२३०६
बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में संकल्प	२३०७
दैनिक संक्षेपिका	२३०८

अंक ४४—सोमवार, १६ अप्रैल, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

दिल्ली पुलिस द्वारा कथित लाठी चार्ज २३०९—११

सभा का कार्य ... २३११—१२

विधेयक पर राष्ट्रपति की अनुमति २३१२

जीवन बीमा विधेयक ... २३१२

अनुदानों की मांगें ... ... २३१३—८२

मांग संख्या १—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय २३१३—२३

मांग संख्या २—उद्योग ... २३१३—२३

मांग संख्या ३—वाणिज्य सूचना तथा आंकड़े ... २३१३—२३

मांग संख्या ४—वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३१३—२३

मांग संख्या ११३—वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का पूंजी व्यय २३१३—२३

मांग संख्या १७—शिक्षा मंत्रालय २३२४—७७

मांग संख्या १८—पुरातत्व विद्या २३२४—७७

मांग संख्या १९—अन्य वैज्ञानिक-विभाग २३२४—७७

मांग संख्या २०—शिक्षा २३२४—७७

मांग संख्या २१—शिक्षा-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय ... २३२४—७७

मांग संख्या ११८—शिक्षा मंत्रालय का पूंजी व्यय २३२४—७७

मांग संख्या २६—वित्त मंत्रालय २३७७—८२

मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क २३७७—८२

मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३७७—८२

मांग संख्या ३०—अफीम २३७७—८२

मांग संख्या ३१—स्टाम्प ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३२—अभिकरण विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३७७—८२

मांग संख्या ३३—लेखा परीक्षण २३७७—८२

मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३७७—८२

मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३७७—८२

मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें २३७७—८२

मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ता तथा निवृत्ति वेतन ... ... २३७७—८२

मांग संख्या ३८—वित्त मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय २३७७—८२

मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान २३७७—८२

पृष्ठ

मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन २३७७–८२
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान ... २३७७–८२
मांग संख्या १२०—भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२१—चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२२—टकसालों पर पूंजी व्यय २३७७–८२
मांग संख्या १२३—निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ... २३७७–८२
मांग संख्या १२४—छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान २३७७–८२
मांग संख्या १२५—वित्त-मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ... २३७७–८२
मांग संख्या १२६—केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन २३७७–८२

दैनिक संक्षेपिका २३८३

अंक ४५—मंगलवार, १७ अप्रैल, १९५६

कार्य मंत्रणा समिति—

बत्तीसवां प्रतिवेदन २३८५

तारांकित प्रश्नों के उत्तरों की शुद्धि २३८५–८७

अनुदानों की मांगें २३८७–२४२७

मांग संख्या २६—वित्त-मंत्रालय २३८७–२४२५
मांग संख्या २७—सीमा शुल्क २३८७–२४२५
मांग संख्या २८—संघ उत्पादन शुल्क ... २३८७–२४२५
मांग संख्या २९—निगम कर तथा सम्पदा शुल्क सहित आय पर कर ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३०—अफीम २३८७–२४२५
मांग संख्या ३१—स्टाम्प २३८७–२४२५
मांग संख्या ३२—अभिकरण-विषयों के प्रशासन तथा राजकोषों के प्रबन्ध के लिये अन्य सरकारों, विभागों आदि को भुगतान २३८७–२४२५
मांग संख्या ३३—लेखा-परीक्षा २३८७–२४२४
मांग संख्या ३४—चल-मुद्रा २३८७–२४२५
मांग संख्या ३५—टकसाल ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३६—प्रादेशिक तथा राजनीतिक पेंशनें ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३७—वार्धक्य भत्ते तथा निवृत्ति-वेतन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३८—वित्त-मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा अन्य व्यय ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ३९—राज्यों को सहायक अनुदान ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४०—संघ तथा राज्य सरकारों के बीच विविध समायोजन ... २३८७–२४२५
मांग संख्या ४१—विभाजन-पूर्व के भुगतान २३८७–२४२५

	पृष्ठ
मांग संख्या १२०——भारत सुरक्षा मुद्रणालय पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२१——चल-मुद्रा तथा टंकण पर पूंजीव्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२२——टकसाल पर पूंजी व्यय	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२३——निवृत्ति-वेतनों का राशिकृत मूल्य ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२४——छंटनी किये गये कर्मचारियों को भुगतान	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२५——वित्त मंत्रालय का अन्य पूंजी व्यय ...	२३८७—२४२५
मांग संख्या १२६——केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण तथा अग्रिम धन	२३८७—२४२५
मांग संख्या ६३——सूचना और प्रसारण मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ६४——प्रसारण ...	२४२५—२७
मांग संख्या ६५——सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अधीन विविध विभाग तथा व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १३२——प्रसारण पर पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या ७५——विधि मंत्रालय	२४२५—२७
मांग संख्या ७६——न्याय-व्यवस्था	२४२५—२७
मांग संख्या ७७——विधि मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०६——अणुशक्ति विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०७——अणुशक्ति गवेषणा	२४२५—२७
मांग संख्या १४६——अणुशक्ति विभाग का पूंजी व्यय	२४२५—२७
मांग संख्या १०८——संसद्-कार्य विभाग	२४२५—२७
मांग संख्या १०९——लोक-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११०——लोक-सभा के अधीन विविध व्यय ...	२४२५—२७
मांग संख्या १११——राज्य-सभा ...	२४२५—२७
मांग संख्या ११२——उप-राष्ट्रपति का सचिवालय	२४२५—२७
वित्त विधेयक	२४२७—३०
विचार करने का प्रस्ताव	२४२७
दैनिक संक्षेपिका	२४३१

M117LSD—190—25-3-58—GIPF.

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शनिवार, ३१ मार्च, १९५६

लोक-सभा साढ़े दस बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(**देखिये** भाग १)

११-३३ म० पू०

सदस्य का बंदीकरण तथा दोषसिद्धि

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचना देनी है कि मुझे प्रमुख प्रेजीडेंसी मैजिस्ट्रेट, बम्बई से २७ मार्च, १९५६ का निम्न पत्र प्राप्त हुआ है :

"मुझे आप को सूचना देनी है कि लोक-सभा के एक सदस्य श्री विश्णु घनश्याम देशपांडे को आज गिरिफ्तार किया गया था और बम्बई पुलिस अधिनियम, १९५१, की धारा ३७ (३) तथा धारा १३५ (३) के अधीन बम्बई के कतिपय क्षेत्रों में सभाओं पर प्रतिबंध लगाने के बारे में पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने के रोष में मेरे सामने पेश किया गया ।

उनके द्वारा अपराध स्वीकार किये जाने पर मैंने आज उन्हें दण्ड दिया है और उन पर २५ रुपये जुर्माना किया है अथवा जुर्माना न देने पर एक सप्ताह का साधारण कारावास भोगने का दण्ड दिया है । श्री वी जी० देशपांडे ने जुर्माना देने से इन्कार कर दिया है, इसलिये उन को जुर्माने न देने के कारण जेल में डाल दिया गया है । उन्हें अस्थायी रूप से पहली श्रेणी में रखा गया है ।"

*अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय** : अब पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुदान की मांग संख्या ९२, ९३, ९४ और १३९ पर सभा विचार करेगी, इस के लिये ७ घण्टे आवंटित किये गये हैं ।

माननीय सदस्य अपने कटौती प्रस्ताव टेबल पर १५ मिनट के अन्दर दे दें, यदि वे नियमित होंगे और उनके प्रस्तावक उपस्थित होंगे, तो इनको प्रस्तुत हुआ समझा जायेगा । प्रत्येक सदस्य को १५ मिनट मिलेंगे और आवश्यकतानुसार वर्गों के नेताओं को २० मिनट ।

†मूल अंग्रेजी में

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

स्थगन प्रस्ताव

श्री बलराम दास टंडन का अनशन

†**श्री यू० एम० त्रिवेदी** (चितौड़) : श्री बलराम दास टंडन के अनशन के दिन बढ़ते जा रहे हैं। मैंने इस की सूचना भी दे दी है। ऐसे मामले का निपटारा गृह-कार्य मंत्री को कर देना चाहिये था। परन्तु पर्याप्त विलंब हो गया है। इसलिये गृह-कार्य मंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देने के लिये कहा जाना चाहिये।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पंत)** : स्थगन प्रस्ताव का कोई प्रश्न नहीं है, किन्तु प्रस्ताव के साथ मुझे भी इस का खेद है कि श्री बलराम दास टंडन ने भूख हड़ताल कर दी है। मुझे यह बात पसंद नहीं है कि कोई व्यक्ति अपने आप को आत्म-याचना सहने के लिये मजबूर करे, किन्तु कई बार इस को रोका नहीं जा सकता और लोग इस का सहारा ले लेते हैं।

जहां तक इस का सम्बन्ध है मैं माननीय प्रस्तावक को बता दूं कि मैं अपने आदरणीय मित्र, श्री एन० सी० चटर्जी, डा० गोकुल चन्द नारेग, कैपटन केशव चन्द्र, आचार्य रामदेव और श्री बलराम दास जी टंडन से २८ फरवरी को मिला था और उन को पूरी सूचना दी थी जिस मात्रा तक मेरे लिये उस तारीख तक सूचना देना सम्भव था, और उनके सामने मुख्य-मुख्य सब बातें रख दी गई थीं। वास्तव में, मैं उनका सहयोग और सहायता चाहता था। पंजाब के लिये जो भी कोई योजना निकाली जाये, उस के लिये सब समुदायों और सब समुदायों के नेताओं का समर्थन प्राप्त होना चाहिये। इसलिये मैंने उनसे सहायता और सहयोग तथा सहनशीलता की अपील की और मैं इस विश्वास के साथ उनसे विदा हुआ कि मैं जो कुछ चाहता था, उस में मुझे सफलता मिली है। उस के बाद मुझे इस प्रकार का व्यवहार बिल्कुल विचित्र मालूम होता है। मैं ब्यौरा सहित योजना सभा के सामने रख सकता था। समझौते वाली कोई बात नहीं है। मुझे नहीं मालूम कि इस का क्या अर्थ है। किन्तु मैं यह योजना सभा के सामने रखूंगा। इसमें अधिक विस्तार करना होगा और समस्त ब्यौरा तैयार करना होगा। किन्तु कई मामलों में अभी इस मात्रा तक अन्तिम रूप में निर्णय नहीं किया गया है कि मैं यहां सभा के सामने पत्र रख सकूं या उन को प्रकाशित कर सकूं। ज्यों ही ये तैयार हो जायेंगे, मैं इस सभा में किसी भी प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं किसी भी चीज को छिपा कर रखना नहीं चाहता। इस प्रकार के मामलों में प्रत्येक व्यक्ति के सहयोग और समर्थन की आवश्यकता होती है और कोई बात किसी से छिपाई नहीं जा सकती।

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : जब मैं महा पंजाब समिति के प्रतिनिधियों के साथ गृहकार्य मंत्री से मिला था, तब उन्होंने कोई पूर्ण चित्र प्रस्तुत नहीं किया, बल्कि यह आश्वासन दिया था कि जो-जो बातें होंगी, उनके बारे में सूचना दी जायेगी।

अब प्रधान मंत्री और गृहकार्य मंत्री ने मास्टर तारा सिंह को लिख कर कुछ दिया है, जिसे उन्होंने स्वीकार कर लिया है। दो पक्षों या दलों के बीच भेदभाव करना अच्छी बात नहीं है, जब कि महा पंजाब समिति की इच्छाएं लाखों लोगों की आवाज है। यही योजना हमारे सामने भी रखी जानी चाहिये थी, ताकि हम कोई रचनात्मक सुझाव दे सकते या अपना अभ्यावेदन दे सकते। यदि गृहकार्य मंत्री मुझे या महा पंजाब समिति के मंत्री को यह योजना भेजें, तब कहा जा सकता है कि सरकार भेदभाव नहीं मानती।

†**पण्डित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : अकाली दल और महा पंजाब समिति ही नहीं, बल्कि लाखों हिन्दू और सिख जानना चाहते हैं कि मास्टर तारा सिंह से क्या बातचीत हो रही है और

---

†मूल अंग्रेजी में

यह योजना क्या है। इसलिये माननीय मंत्री को इन सब बातों को प्रकाशित कर देना चाहिये, क्योंकि हम सब को इस में दिलचस्पी है।

†**पण्डित जी० बी० पंत :** मैं श्री चटर्जी और भार्गव से सहमत हूँ कि इस मामले में सब लोगों को दिलचस्पी है। मैं स्वयं और प्रधान मंत्री उन सब लोगों से मिलते रहे हैं जिन्होंने इस बारे में हम से बातचीत करने की इच्छा प्रकट की। हम न केवल अकाली दल और महा पंजाब समिति के प्रतिनिधियों या कुछ कांग्रेस वालों से ही मिले हैं, बल्कि हम उन सब लोगों से मिले हैं जो इस विषय में बातचीत करना चाहते थे। अब भी हम इन के बारे में बातचीत करने को तैयार हैं। वास्तव में, बहुत पहले, उस की मुख्य-मुख्य बातें समाचारपत्रों में प्रकाशित हो गई थीं। जो कुछ बकाया है वह ब्यौरे के बारे में है, जिस का मूल ढांचे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। प्रत्येक व्यक्ति उसे जानता है, और मैं समझता हूँ इसे अपने दिल से स्वीकार करता है, चाहे कहे या न कहे।

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** यह गलत है।

†**पंडित जी० बी० पंत :** राजनैतिक उद्देश्यों के लिये चाहे वह भिन्न व्यवहार करें। किन्तु मेरा विश्वास है कि अधिकतर लोग संतुष्ट हैं कि यह अच्छी ठोस और पूर्ण योजना है जो पंजाब के सब वर्गों के सब लोगों में सद्भावना पैदा करेगी और उनका कल्याण करेगी। कोई भी व्यक्ति प्रश्न पूछ सकता है और जितनी सूचना मेरे पास उपलब्ध है वह मैं सभा के सामने रख दूंगा।

†**अध्यक्ष महोदय :** मेरा सुझाव यह है कि जब इन सब मामलों पर चर्चा हो रही हैं किसी व्यक्ति के लिये भूख हड़ताल के द्वारा सरकार को बाध्य करना उचित नहीं है।

दूसरे यह मामला राज्य पुनर्गठन विधेयक के रूप में सभा के सामने आयेगा। यदि कोई व्यक्ति भूख हड़ताल कर दे तो इसमें सरकार क्या करेगी और सभा क्या करेगी ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** एक दल की जानबूझ कर उपेक्षा की गई है और उसे लिख कर नहीं दिया गया। हमारा यही आरोप है।

†**अध्यक्ष महोदय :** इसीलिये मैं अल्प सूचना प्रश्न की अनुमति देने को तैयार था। यदि एक सदस्य नियम का पालन नहीं करता, तो दूसरे भी उसका पालन नहीं करेंगे। यदि माननीय मंत्री स्थगन प्रस्ताव का उत्तर देना चाहते थे तो उन्हें मुझे बताना चाहिये था।

†**पंडित जी० बी० पंत :** माननीय सदस्य द्वारा प्रश्न पूछे जाने के बाद आपने मेरी ओर देखा था तो मैंने समझा कि आप चाहते हैं कि मैं इसका उत्तर दूं। मैं सभा की इच्छायें पूरी करना चाहता हूँ, कुछ भी रोक कर रखना नहीं चाहता।

अनुदानों की मांगें

†**अध्यक्ष महोदय :** अब सभा पुनर्वास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर विचार करेगी।

निम्न लिखित माँगें प्रस्तुत की गईं :–

मांग संख्या	शीर्षक	राशि रुपयों में
९२	पुनर्वास मंत्रालय	३०,०३,०००
९३	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	१९,६३,५३,०००
९४	पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय	३,०००
१३९	पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय	२९,२८,७५,०००

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री एन० सी० चटर्जी** (हुगली) : पिछले दो दिनों से पाकिस्तान सरकार की कड़ी आलोचना की जा रही है कि उसने अल्पसंख्यकों के प्रति बहुत बुरा व्यवहार किया है, और विधि मंत्री तथा अन्य मंत्रियों ने बड़ी विवशता और नराशा प्रकट की है ।

पुनर्वास मंत्री ने कहा है कि अत्याधिक हिन्दुओं के प्रतिदिन भारत में आने के कारण सब योजनाएं बेकार हो गई हैं और यह स्थिति बड़ी भयानक है । परन्तु शरणार्थी लोगों में यह बात फैली हुई है कि सरकार और पुनर्वास मंत्री अपनी अयोग्यता और अक्षमता को छिपाने के लिये यह प्रचार कर रहे हैं । मूझे इस के प्रति खेद है ।

शरणार्थी कहते हैं कि सरकार अपनी त्रुटियों को छिपाने के लिये लगातार पाकिस्तान सरकार पर दोषारोपण करने का प्रयत्न कर रही है । परन्तु हमें सभा को और सरकार को बताना है कि हमारी सरकार ने अपना कर्त्तव्य पूरा नहीं किया है । उसे अब अपने उत्तरदायित्व के प्रति पूर्णतया जागरुक होना चाहिये । प्रति मास २० हजार से अधिक लोगों का भारत में आ जाना बड़ी गम्भीर और भीषण समस्या है ।

क्या हमें इस की आशा नहीं थी कि अल्पसंख्यक लोगों को पाकिस्तान से निकलना पड़ेगा ? कितने खेद की बात है कि इतनी बड़ी सरकार का इतना बड़ा संगठन इस समस्या को हल करने में असफल रहा है । आश्चर्य की बात है कि हम अपनी असफलता को छिपाने के लिये पाकिस्तान पर दोष लगाते हैं और उससे आशा करते हैं कि वह निष्क्रमण को रोकने का प्रयत्न करेगा ।

मैंने और डा० साहा ने प्रधान मंत्री से जोरदार अपील की थी कि पुनर्वास मंत्री को कलकत्ता में रहना चाहिये । यह बात सर्वसिद्ध है कि पूर्वी पाकिस्तान से लगभग ४० लाख लोग भारत में आ चुके हैं , और यह निष्क्रमण प्रति पल बढ़ता चला जा रहा है । वहां अन्सारी दल हिन्दुओं पर अत्याचार कर रहा है, प्रत्येक हिन्दू पर विशेष कर लगाया जाता है और पुलिस उन्हें तंग करती है तथा न्यायपालिक भी उन को यातनाएं दे रही है । उन्हें वर्ग ऋण देने पड़ते हैं और सब प्रकार से हिन्दुओं को वहां से भागने को बाध्य किया जा रहा है । वहां फरीदपुर में २ हिन्दुओं और २० मुसलमानों को ऋण दिया गया और उस की वसूली मुसलमानो से नहीं की गई बल्कि समस्त रकम हिन्दुओं से वसूल की गई । इस प्रकार वर्ग ऋण की वसूली के लिये हिन्दुओं की सम्पत्ति कुर्क की जाती है । मैं नाम, पते आदि सब कुछ बताऊँगा ।

पश्चिम बंगाल की अर्थ-व्यवस्था पहले ही डगमगा रही है क्योंकि वहां जनसंख्या अधिक है और भूमि कम है । उस पर अब इतने अधिक शरणार्थियों के आ जाने से यह समस्या अत्यन्त भीषण हो गई है । नेहरु-लियाकत अली सन्धि के अनुसार जो मुसलमान भारत से पाकिस्तान जा कर लौट आये हैं, उन्हें बसाना भी हमारा कर्तव्य हो गया है ।

प्रधान मंत्री ने हमारा सुझाव स्वीकार कर लिया था कि पुनर्वास मंत्री पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री और पुनर्वास मंत्री के साथ मिलकर इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करेगा । बातें बहुत की गई, परन्तु कार्य बहुत कम हुआ । विकास कार्यों और नवीन वस्तियों का जो प्रचार किया गया था, वह बिल्कुल असफल रहा है । यह कितने खेद और दुःख की बात है ।

बहुत से परिवार दो-तीन वर्षों से शिविरों में सड़ रहे हैं । उनको कोई काम नहीं दिया जाता, इस से प्रतीत होता है कि मंत्रालय में योजना की कमी है । केवल पाकिस्तान को दोषी ठहराने के बजाय यदि हम अपनी ओर देखें, तो हमें वास्तविकता का ज्ञान होगा । लोगों को बेकार रखने का मानसिक प्रभाव यह होगा कि काम मिलने पर वे काम करने के लिये अयोग्य हो जायेंगे । पश्चिम बंगाल की स्थिति

†मूल अंग्रेजी में

अब ऐसी हो गई है कि वह अब अधिक भूमि नहीं दे सकता । हम लगातार विस्थापित लोगों के लिये उद्योग स्थापित करने और उनको काम देने की बातें कर रहे हैं, परन्तु वास्तव में देखा जाये तो उनकी बड़ी दयनीय और शोचनीय अवस्था है । मैं यह नहीं पसंद करता कि स्थानीय लोगों और विस्थापित लोगों में विलय न हो । हम केन्द्रीय सरकार की बड़ी-बड़ी योजनाओं को बातें सुन रहे हैं, परन्तु, वास्तव में बातें अधिक होती हैं और काम बहुत ही कम होता है । प्रधान मंत्री इस बात का प्रयत्न कर रहे थे कि इन शरणार्थियों के पुनर्वास में सभी राज्य केन्द्र की सहायता करेंगे । किन्तु सबसे अधिक दुःख की बात तो यह है कि हमने राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश की इस बारे में आंख मूंद स्वीकार किया है । बात तो वास्तव में यह है कि ये लोग , जो आज इतनी कठिनाई उठा रहे हैं, उन्हें न तो राजनीतिक मामलों की परवा है और न ही संवैधानिक समस्याओं को ही वे समझते हैं । वे तो अपने पुराने सांस्कृतिक वातावरण में पश्चिमी बंगाल से मिले स्थानों में रहना चाहते हैं । यदि पुनर्वास की दृष्टि से किशनगंज उपयुक्त क्षेत्र नहीं था तो कम से कम मानभूम तो इस योग्य था ही । मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया ।

बात यह है कि हमारे पास भूमि नहीं है । हमें और अधिक भूमि चाहिये । हमें पश्चिमी बंगाल से मिली हुई लगभग ४,५०० वर्ग मील भूमि मिलने वाली थी । मैं उनकी सम्मति बता रहा हूँ ।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या यह उन लोगों को पूर्वी बंगाल से निकालने के लिये दबाव डालने का निमंत्रण नहीं होगा ?

†**श्री एन० सी० चटर्जी :** विलयन आदि की प्रतीक्षा न कर सीधे आते रहेंगे और हम उन्हें रोक भी नहीं सकेंगे क्योंकि यह उनकी योजना है ।

मैं जानना यह चाहता हूं कि पश्चिमी बंगाल के बाहर शरणार्थियों के पुनर्वास में कहां तक ठोस प्रगति हुई है । वर्तमान पुनर्वास मंत्री के काल में एक भी परिवार नहीं आया है । उन्होंने इस पद पर आते ही कहा था कि वे विस्थापितों को लाभदायक कार्य देने के लिये मध्यम और छोटे पैमाने के उद्योग खोलेंगे । यह भी कहा गया था कि लगभग एक दर्जन बड़े उद्योग भी खोले जायेंगे जिनमें सरकार कुछ धन देगी किन्तु मेरी समझ में नहीं आता कि आज तक कोई उद्योग क्यों नहीं खोला गया ? इन योजनाओं को रोक क्यों रखा गया है । मैंने और डा० मेघनाद साहा ने प्रधान मंत्री से मिल कर यह सुझाव दिया था कि वह पुनर्वास मंत्री और वित्त मंत्रालय का कोई व्यक्ति कलकत्ता में रखा जाये जिससे पुनर्वास कार्य बिना विलम्ब के किया जा सके । अतः इन योजनाओं को कार्यान्वित न किये जाने का कारण सभा को बताया जाना चाहिये ।

भिन्न-भिन्न ज़िलों के लिये अनेक योजनायें बनाई गई हैं किन्तु कार्यान्वित एक भी नहीं की गई । समझ में नहीं आता क्या कठिनाइयां हैं । यदि धान कूटने आदि जैसी योजनायें एक बार सफल नहीं सिद्ध हुईं तो पुनः क्यों नहीं चलाई जातीं । मेरा सुझाव तो यह है कि बड़े उद्योग की अनुपूरक अथवा सहायक उद्योग स्थापित किये जाने चाहियें ।

मैं तो चाहता यह हूं कि कुछ कार्य हो जाने के पश्चात् उसका प्रचार किया जाना चाहिये । १९५५ से केन्द्रीय मंत्रणा समिति कार्य कर रही है, अतः मैं उसकी सिफारिशें जानना चाहूंगा । मैं विकलांग निकासों का पुनर्गठन करने और विस्थापित महिलाओं को प्रशिक्षण देने का समर्थन करता हूं । केन्द्रीय मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन से ज्ञात होता है कि इस ओर बहुत अच्छा कार्य किया गया है । लड़के-लड़कियों को शिक्षा देना और तपेदिक के विस्थापित रोगियों के उपचार में सहायता देने के लिये उचित कार्यवाही की गई है ? ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री एन० सी० चटर्जी]

राज्य सरकारों को यह चाहिय कि वह स्वस्थ लोगों को शिविरों में न रहने दें। पूर्वी बंगाल के बहुत से लोग ऐसे हैं जो छोटे-मोटे काम कर सकते हैं। कुछ राशि लगा कर सरकार उन्हें काम दे सकती है। छः मास से अधिक किसी भी परिवार को शिविर में नहीं रहने देना चाहिये। सम्भव हो तो उन्हें बस्ती के विकास कार्य में लगाया जाना चाहिये।

शिविरों से बाहर के शरणार्थियों की दशा बड़ी शोचनीय है। इनमें से काफी संख्या में लोगों को काम मिल सकता है। नई बस्तियां बसाने के बजाय अच्छा तो यह होगा कि अविकसित नगरों को विकसित करके उनमें उद्योग स्थापित किये जायें। तभी इससे लाभ हो सकेगा। शरणार्थियों को अलग नहीं रखना चाहिये। वास्तव में इन लोगों के पास धन तो है नहीं अतः इसी व्यवस्था में उन्हें भी खपाने का प्रयत्न किया जाना चाहिये। इस कारण पुनर्वास नीति बनाने में विशेष सजग रहना चाहिये। मैं माननीय मंत्री को सुझाव दूंगा कि वह इस कार्य को राष्ट्रीय विस्तार और विकास कार्य में मिला दें। स्थानीय लोगों का सहयोग और सहानुभूति भी बड़ी आवश्यक है। मैं पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री के इस कथन से सर्वथा सहमत हूँ कि पुनर्वास के लिये स्वीकृत राशि में से रोजगार के नवीन साधन ढूंढने की ओर भी व्यय करना चाहिये। इस पर मंत्रालय को तत्काल कुछ उपाय करना चाहिये।

मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी के सुझाव का हृदय से समर्थन करता हूँ कि आप हज़ारों मुसलमान आप्रवासियों को जो कलकत्ते की पटसन मिलों आदि में खपाते जा रहे हैं, इसे रोकना होगा क्योंकि वे वहां के मूल-वासियों के मकान और भूमि पर कब्ज़ा करके बैठ जाते हैं। पाकिस्तान की यह सरासर ज्यादती उचित नहीं है। क्या इस चीज़ को रोका नहीं जा सकता? मैं तो कहूँगा कि उनके पार-पत्र रोक लिये जाने चाहिये। क्या नेहरू-लियाकत समझौता यही है? क्या लोगों का घर-बार लुटता रहे और आप यों ही देखते रहेंगे? माननीय मंत्री को चाहिये कि पूर्वी बंगाल से जाने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पार-पत्र तत्काल रद्द कर दें। मैं तो कहूँगा कि यदि आप ऐसा नहीं करते तो अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। न जाने कितने लोग कलकत्ता की सड़कों पर भूखों मर रहे हैं और आप उनके लिये कुछ भी न करके उल्टे दूसरे राज्य के नागरिकों को काम दे रहे हैं। यह कहां का न्याय है?

एक बात मैं पुनर्वास मंत्री से यह भी पूछना चाहूँगा कि क्या बहुत से पाकिस्तानी सीमा पार कर त्रिपुरा राज्य में घुस आते हैं और खेती करने लगते हैं? यहां की उत्पादन बाहर ले जाते हैं, जिससे हमें हानि होती है और आप हैं कि ऐसा करने के लिये उन्हें सुविधा देते हैं। अतः जब तक आप इस सम्बन्ध में अपनी इन लोगों के प्रति सहानुभूति पूर्ण नीति में परिवर्तन नहीं करेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** (नई दिल्ली) : मेरे विचार से पुनर्वास की सब से बड़ी समस्या पूर्वी बंगाल से बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थियों का आना है। अतः मैंने इस विषय पर विशेष चर्चा के लिये कहा था जिससे देश का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जा सके। मुझे खेद है कि मैं और श्री एन० सी० चटर्जी इस बारे में एकमत हैं कि अल्प-संख्यक कार्य मंत्री और प्रधान मंत्री के उत्तर से हमें बड़ी निराशा हुई है। उनका कहना है कि हम इस बारे में असमर्थ हैं क्योंकि न तो हम पाकिस्तान को समझा-बुझा सकते हैं और न ही उस पर जोर डाल सकते हैं। हम समझते थे कि श्री खन्ना के इस पर भार के संभालने से कुछ अच्छे परिणाम निकलेंगे। किन्तु बात उल्टी निकली। अतः प्रधान मंत्री को अब इस सम्बन्ध में स्वयं कार्य करना पड़ेगा। चूंकि प्रधान मंत्री ने जिस प्रकार का पत्र व्यवहार किया उससे स्थिति कुछ संभल नहीं सकती। अतः अब पाकिस्तान सरकार जैसे भी मर्जी आयेगी इस समस्या को निबटायेगी। इस हिसाब से तो पूर्वी बंगाल के १,२०,००,००० हिन्दू यहां आ जायेंगे। यह कार्य इतना दुरुह है कि हमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति और संसाधनों को इसमें लगाना पड़ेगा। यदि पंजाब की शरणार्थी समस्या पर हमने गम्भीरतापूर्वक विचार किया होता तो केवल पश्चिमी बंगाल पर यह समस्या न छोड़ दी जाती।

†मूल अंग्रेजी में

केवल थोड़ी सी सहायता केन्द्र से दे कर उसका सारा भार हमने पश्चिमी बंगाल पर छोड़ दिया है ।

पश्चिमी बंगाल में यह समस्या कैसे निबटाई गई इस पर मैं बताना चाहूँगी । सबसे पहले तो यह हुआ था कि सरकार यह समझती थी कि इन शरणार्थियों को हमें नहीं बसाना पड़ेगा । और हमारे प्रधान मंत्री पंडित नेहरू कहते थे कि कुछ ही दिनों में ये शरणार्थी वापस लौट जायेंगे । १९५२ के पश्चात् सरकार ने इसका गम्भीरता अनुभव किया और उसने लोगों का पुनर्वास करना शुरू किया ।

एक फैशन दिल्ली में यह चल रहा है कि पूर्वी-बंगाल के शरणार्थियों के बारे में कहा जाता है कि वे बड़े सुस्त हैं और सुविधाओं का उपयोग तक नहीं कर सकते । मैं इस आरोप का विरोध करती हूँ । वास्तव में देखा जाये तो पूर्वी-पाकिस्तान और पश्चिमी-पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के साथ भिन्न-भिन्न प्रकार का व्यवहार किया जाता है । श्री विश्वास ने नामशूद्र लोगों का उल्लेख किया था । वे लोग बड़े मेहनती होते हैं । इनको सुविधायें नहीं दी जा रही हैं जब कि वे काम करने को तैयार हैं । न जाने कितने लोग भूखों तड़प रहे हैं और तपेदिक से पीड़ित हैं ।

अब भूमि व्यवस्था को ले लीजिये । मुसलमान निष्क्रमणार्थी २४ लाख एकड़ भूमि छोड़ गये थे । पश्चिमी-पाकिस्तान से जो शरणार्थी आये और पंजाब और पेप्सू में बसे उनको जितनी भूमि वे छोड़कर आये थे उसकी ६०-७० प्रतिशत भूमि दी भी गई और अन्य लोगों को १० एकड़ से १५ एकड़ तक । जब कि बंगाल के शरणार्थियों को खराब किस्म की और वह भी केवल ९ बीघा भूमि के हिसाब से दी गई थी ।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** (वसिरहाट) : बल्कि उतनी भी नहीं ।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : सरकार ने जो भूमि पुनः कृषि योग्य बनाई वह ६ बीघा के हिसाब से दी जा रही है किन्तु इतनी भूमि से उन बेचारों का क्या भला होगा ? यदि बीघे के बजाय इतने एकड़ कर दिये जायें तो ग़नीमत है । हम से कहा जाता है कि इन लोगों को काम ही करना नहीं आता । अतः पुनर्वास के सारे प्रयत्न निष्फल हो जाते हैं ।

श्री एन० सी० चटर्जी की इस बात का मैं भी समर्थन करती हूँ कि स्थानीय लोगों और शरणार्थियों के बीच दुर्भावना उत्पन्न हो रही है । इस कार्य में सरकार को ग़ैर-सरकारी एजेंसियों की सहायता से दोनों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयत्न करना चाहिये ।

पंजाब में २४ लाख शरणार्थी बसाये गये जबकि पश्चिमी बंगाल में ३१ लाख से अधिक हैं । अभी नित्य प्रति उनका आना जारी है । बंगाल छोड़ कर जो मुसलमान चले गये थे, अब वापस लौट रहे हैं अतः समस्या और भी गम्भीर हो गई है ।

अब सम्पत्ति के प्रश्न को लीजिये । पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये निष्क्राम्य सम्पत्ति विधि है, किन्तु पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये वह भी नहीं है । इसका बहुत प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार है कि ऋण और मकानों आदि के रूप में सरकार ने ८५ करोड़ या ९५ करोड़ रुपया इनको दिया है जिसमे से पुनर्वास किया जा रहा है और प्रतिकर दिया जा रहा है । जब कि बंगाल में क्या इस प्रकार की कोई चीज़ है ? बंगाल में एक औसत परिवार को पुनर्वास सहायता के रूप में ७०० या ८०० रुपये मिलता है जबकि बहुतो को वह भी नहीं ।

अब हमें देखना यह है कि निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधि के न होने से लोगों के पुनर्वास पर क्या प्रभाव पड़ता है । पंजाब के शरणार्थियों को तो दावे के बदले राशि मिल जाती है जबकि पूर्वी बंगाल के लोगों के दावे हैं ही नहीं । उन्हें ३०००, ४००० या ५००० रुपये ऋण के रूप में दिये जाते हैं यह राशि बहुत

†मूल अंग्रेजी में

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

ही कम हैं। अपने दावे के लिये मिलने वाली राशि के रूप में वे इसे नहीं चुका पाते। मेरा सुझाव है कि यह राशि इन्हें ऋण के रूप में नहीं अपितु अनुदान के रूप में दी जानी चाहिये, अन्यथा वे उसे नहीं चुका पायेंगे। सम्भव है कि उसे चुकाने के लिये उन्हें अपना लोटा-थाली तक बेच देना पड़े। इस प्रकार उनका पुनर्वास नहीं हो सकेगा।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के सामने रोज़गार की समस्या बड़ी विकट है। ३०,००० व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है पर उनमें से कितनों को वास्तव में रोजगार दिया गया है। मेरा अनुभव है कि उन्हें अधूरा प्रशिक्षण दिया जाता है तथा रोज़गार देने का प्रयत्न नहीं किया जाता।

मुझे यह देख कर बड़ी प्रसन्नता हुई कि कुछ औद्योगिक योजनायें आरम्भ की गई हैं। इससे बेकारी की समस्या कुछ हद तक हल होगी। इन्हें शीघ्र ही कार्यान्वित किया जाना चाहिये। योजनाओं को कार्यान्वित करने में बड़ा विलम्ब किया जाता है और उनके लिये नियत की गई राशि व्यय नहीं की जाती। यदि यह सच है तो बड़ी लज्जा की बात है। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने में कठिनाई वित्त व्यवस्था की नहीं हैं। मुख्य कठिनाई तो यह है कि योजनाओं सम्बन्धी औपचारिकतायें पूरी नहीं हो पातीं, यदि आवश्यक हो तो हमें इस कार्य के लिये और मैत्री रखने चाहिये तथा उन्हें यह शक्ति दी जानी चाहिये कि वे स्थान विशेष पर सारा कार्य शीघ्र ही निबटा दें। इस कार्य में जो कठिनाइयां होती हैं उन्हें करने के लिये हमें कुछ उपाय सोचने चाहियें। मेरा सुझाव यह है कि इसका अध्ययन करने के लिये एक समिति बनाई जानी चाहिये। मैं जानना चाहूँगी कि पश्चिमी बंगाल में कितनी योजनायें रुकी पड़ी हैं और कितने समय से ? समय का बड़ा महत्व है यह बहुत से लोगों के जीवन-मरण का प्रश्न है। सरकारी विभागों के पराधिकारियों में सहयोग और समन्वय की बड़ी आवश्यकता है। अभी प्रत्येक पदाधिकारी केवल अपने अधिकार ही जानता है। इस कारण काम नहीं हो पाता। इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ठोस कार्यवाही की जानी चाहिये।

अब मैं एक कठिन समस्या की चर्चा करूंगी। पूर्वी पाकिस्तान से बहुत से विस्थापित व्यक्ति प्रतिमास पश्चिम बंगाल आ रहे हैं इन सब को इस छोटे राज्य में नहीं बसाया जा सकता। अभी तक १८ लाख व्यक्तियों को ऋण दिये गये हैं। इनमें से लगभग तीन लाख व्यक्तियों को और सहायता की आवश्यकता पड़ेगी। हमें इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर सुलझाना चाहिये और सब राज्यों को सहायता करनी चाहिये। बड़े सम्मेलन होते रहते हैं पर कुछ नहीं किया जाता।

मैंने सुना है कि सौराष्ट्र ने कहा है कि वह कुछ विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये तैयार है। वह स्थान उनके लिये उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि वहां की जलवायु तथा भाषा बंगाल से भिन्न है। मेरा सुझाव है कि जिन क्षेत्रों में लोग बसाये जायें वहां के गैर-सरकारी लोगों को मिला कर समितियां बनाई जानी चाहिये। इन समितियों को उपयुक्त स्थानों का चुनाव करना चाहिये। वहां जो दल बसाये जायें उनके साथ समाज सेवक भेजे जाने चाहियें जिन्हें उनकी कठिनाइयों को मिटाने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिये। विस्थापित व्यक्तियों को अन्यत्र बसाने की योजनायें तभी सफल हो सकेंगी।

पश्चिमी बंगाल में चुनाव का ख्याल कांग्रेस को इतना है कि वह दूसरी संस्थाओं की सहायता नहीं लेना चाहती। यह अच्छी बात नहीं है। सदन में विपक्ष के सदस्य ही अधिकतर उनके हितों के लिये प्रयत्न करते हैं। दूसरे दलों की सहायता नहीं की जाती इसलिये कार्य नहीं हो पाता तथा अनेक विस्थापित व्यक्तियों को कठिनाइयां होती हैं।

प्रधान मंत्री को चाहिये कि वह पाकिस्तान से बातचीत करे क्योंकि बंगाल में १२० लाख लोगों को नहीं बसाया जा सकता। पुनर्वास मंत्री पर ही यह बात नहीं छोड़ देनी चाहिये।

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों के विषय में मुझे यह कहना है कि प्रतिकर की योजनाओं को शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिये। पाकिस्तान में हम ४०० करोड़ की सम्पत्ति छोड़ आये हैं। यहां हमारे पास १०० करोड़ की निष्क्राम्य सम्पत्ति है। सरकार ने ८५ करोड़ रुपये दिये हैं। इससे सब लोगों के दावे चुकाने हैं। कम राशि होने के कारण बहुत्र कठिनाईयां उत्पन्न हो गई हैं। शेष रुपया कहां से आयेगा ? यदि सरकार वह रुपया नहीं देती तो हमें पाकिस्तान में छोड़ी गई सम्पत्ति लेनी पड़ेगी। प्रधान मंत्री को वहां के प्रधान मंत्री से इस पर चर्चा करनी चाहिये।

२२ मार्च से कुछ विस्थापित व्यक्ति प्रधान मंत्री भवन पर धरना दे रहे हैं। कहा जाता है कि इन्होंने अनधिकृत रूप से घरों पर कब्जा कर लिया है। मुझे यह भी पता चला है कि उन्हें २ अथवा ३ अप्रैल को उन मकानों में से निकाल दिया जायेगा। यदि यह बात सच है तो इसके लिये कुछ किया जाना चाहिये। उन्हें पुनर्वास की सुविधायें दी जानी चाहिये। पुनर्वास मंत्री को जो इस समय हंस रहे हैं, उनकी रक्षा करनी चाहिये।

†**पुनर्वास मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : मैं इसलिये हंस रहा हूं कि आप पहले ठीक बात कह रही थीं परन्तु अब जो बात कह रही हैं उसमें आपको ही विश्वास नहीं है।

†**श्रीमती सुचेता कृपालानी** : आप गलत बात कह रहे हैं। उन्हें रहने के लिये स्थान दिया जाना चाहिये। उन्हें भूमि दी जानी चाहिये तथा मकान बनाने की सुविधा दी जानी चाहिये। यह कह कर आप उन्हें नहीं निकाल सकते कि उन्होंने मकानों पर अनधिकृत रूप से कब्जा किया है।

†**श्री गिडवानी** (थाना) : शरणार्थी केवल पूर्वी पाकिस्तान से ही नहीं, वरन् पश्चिमी पाकिस्तान और काश्मीर से भी आये हैं। इसलिये सहायता और पुनर्वास के लिये आंकड़ों का हिसाब लगाते समय आपको इन सब की स्थिति अपने सामने रखनी चाहिये।

इन ८७ लाख शरणार्थियों पर सरकार अब तक लगभग २८७ करोड़ रुपये व्यय कर चुकी है। यदि पूर्वी पाकिस्तान से ९० अथवा ८५ लाख और शरणार्थी भारत आ जायें तो आप भली प्रकार यह समझ सकते हैं कि उनका पुनर्वास करने के लिये हमको कितने अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिये यह अत्यंत आवश्यक है कि यह सभा और सरकार इस प्रश्न के पूरे महत्त्व को समझे। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जो प्रति वर्ष २०-४० करोड़ रुपयों का उपबन्ध कर देने मात्र से हल की जा सके। इसलिये आपको अपनी योजनायें अत्यंत ठोस आधार पर तैयार करनी होंगी, यदि आप वास्तव में पुनर्वास कार्य करना चाहते हैं तो आपको आरम्भ में ही कम से कम २५० करोड़ रुपयों का उपबन्ध करना होगा।

मैं आपको यह बताना चाहता था पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के अतिरिक्त कुछ विस्थापित व्यक्ति पश्चिमी पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। परन्तु उनको सहायता अथवा पुनर्वास का कुछ भी लाभ नहीं दिया गया है। उनको विभिन्न राज्यों में जाने के लिये केवल रेलवे टिकट दे दिये जाते हैं और अपने आप बस जाने के लिये कह दिया जाता है। इसलिये इनके सम्बन्ध में भी कुछ किया जाना चाहिये।

फिर, आवास का प्रबन्ध करने का प्रश्न है। बम्बई राज्य में अब भी कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो सिद्धपुर के मंदिर में रह रहे हैं। गोधरा की धर्मशालाओं और अन्य स्थानों में रह रहे हैं। परन्तु उनके लिये मकानों का उपबन्ध नहीं किया गया है।

बम्बई में एक कैम्प है 'उल्हास नगर'। उल्हास का अर्थ है प्रसन्नता, परन्तु में समझता हूं कि कष्टों का घर बना हुआ है। वहां एक लाख व्यक्ति रहते हैं। यद्यपि हमने वहां कुछ उद्योगों की स्थापना

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गिडवानी]

करने की योजना बनायी थी, ६ उद्योगों का उपबन्ध कर भी दिया गया है, परन्तु अभी कोई कार्य शुरू भी नहीं किया गया है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है वहां कार्य शुरू करायें क्योंकि वह भारत का सब से बड़ा कैम्प है ।

इसके अतिरिक्त वहां अस्पताल का उचित प्रबंध नहीं है । छोटे मोटे आपरेशनों के लिये भी लोगों को थाना भेजा जाता है। क्षय रोगियों की संख्या भी काफी अधिक है, जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिये। इसके अतिरिक्त कैम्प में बिजली की दर बहुत अधिक है ।

फिर, निष्क्रमणार्थियों की सम्पत्ति का प्रश्न है। यह बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मुकदमों को इतने दिनों तक चलने दिया गया है। और सरकार अब तक भी उनका निर्णय करने में असमर्थ रही है। मैं महाभिरक्षक के कार्यालय के सम्बन्ध में कोई कड़ी बात नहीं कहना चाहता हूं। परन्तु फिर भी यह तो कहूंगा ही कि वह स्थान वृद्ध और अवकाश प्राप्त लोगों के लिये नहीं है। आप को इसके कारणों का पता लगाना होगा कि मामलों में इतनी देर क्यों लगायी गयी है ।

फिर, इस प्रश्न का दूसरा पहलू सम्पत्ति वापस लौटाने के सम्बन्ध में है। मैं गड़े मुर्दे उखाड़ना नहीं चाहता हूं क्योंकि इसका इतिहास अत्यंत ही कटु रहा है। मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात की व्यवस्था करें कि न्यायपालिका के कार्यों में कोई हस्तक्षेप न किया जा सके। यदि कोई व्यक्ति इसके योग्य हो और न्याय की मांग हो कि उसकी सम्मत्ति उस को वापस लौटायी जानी चाहिये तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है ।

फिर प्रतिकर का प्रश्न है। विस्थापित व्यक्ति सम्पत्ति खरीद रहे हैं परन्तु उनको उन सम्पत्तियों पर कब्जा नहीं दिया जा रहा है। इसमें बड़ा विलम्ब होता है। यदि किसी कारण से कब्जा न दिया जा सके तो उस सम्पत्ति से आनेवाले किराये की रकम को खरीदने वाले के खाते में आय के अन्तर्गत जमा किया जाना चाहिये। यदि सरकार चाहे तो प्रशासनिक व्यय के लिये इस रकम में से १० या १५ प्रतिशत कटौती कर सकती है। परन्तु चाहे कुछ भी हो, जब कोई वैध खरीदार किसी निष्क्रांत सम्पत्ति को खरीदे तब उसको किराया और कब्जा फौरन अथवा यथाशीघ्र दिया जाना चाहिये ।

फिर उन लोगों का प्रश्न है जिन को गंगानगर में भूमि दी गयी है। उन की शिकायत है कि उन को यद्यपि कागज पर कब्जा दे दिया गया है परन्तु वास्तव में भूमि पर कब्जा नहीं दिया गया है। मुझे यह तो नहीं मालूम कि इस सम्बन्ध में वास्तविकता क्या है, परन्तु मंत्री महोदय से मैं यह अनुरोध करूंगा कि इनके सम्बन्ध में भी उसी नीति को अपनाया जाये जो अलवर के सम्बन्ध में अपनायी गयी है। मुझे बताया गया है कि एक विशेष पदाधिकारी वहां गया है, परन्तु गंगानगर जिले के इन लोगों की समस्या को सुलझाने के लिये अग्रेतर प्रयास किये जाने चाहियें ।

बम्बई के निष्क्रांत मकानों में पट्टे का रुपया वसूल करने का प्रश्न है। यहां का क्षेत्रीय पदाधिकारी अत्यंत ही लापरवाह है। अनेक बार तो वह नियमों का ऐसा निर्वचन करता है जो शरणार्थियों के हितों के विरुद्ध होता है। आप को यह सुन कर आश्चर्य होगा कि यद्यपि नियमानुसार यह निश्चय कर लिया गया था कि कृषिभूमि के दावेदार ४५० रुपये प्रति एकड़ की दर पर अपने दावों से गृह-सम्पत्ति खरीद सकते हैं, परन्तु इस पदाधिकारी ने यह आदेश दिया कि इन की कीमत को प्रतिकर की नगरीय दर के अनुसार घटा दिया जाये। अन्य पदाधिकारियों से कह सुन कर इस गलती को ठीक कराया गया ।

फिर, बम्बई के ग्रामीण दावेदारों के सम्बन्ध में भी उसने यह निर्णय किया कि उनको क्षय रोग होने पर भी, अथवा विधवा और अवयस्क होने पर भी कोई नगद प्रतिकर नहीं दिया जायेगा। उच्च पदाधिकारियों और मंत्रालय तक से प्रार्थना करने पर इस सम्बन्ध में अन्य राज्यों जैसा निर्णय किया जा सका है।

आज प्रातःकाल मैंने एक पत्र में पढ़ा है कि जिन गैर दावेदारों को भूमि दे दी गयी है, सरकार ने उनसे १५ किस्तों में उस भूमि का मूल्य वसूल करने का निश्चय किया है। यह एक अच्छा निर्णय है। परन्तु इस का सम्बन्ध केवल राजस्थान से ही नहीं, वरन् अन्य स्थानों से भी है। मुझे पता नहीं कि अन्य स्थानों के सम्बन्ध में क्या स्थिति है। अभी उस दिन, विन्ध्य प्रदेश के दूतिया से कुछ प्रतिनिधि मेरे पास आये थे। उन्होंने बताया था कि पुनर्वास सुविधाओं के रूप में दी गई कृषि-भूमि के लिये उनसे किस्तें अदा करने को कहा जा रहा है, और देहाती मकानों के उनके दावों को स्वीकार नहीं किया जा रहा है। आशा है कि यह निर्णय उन पर भी लागू किया जायेगा।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : इसमें अन्तर्ग्रस्त परिवारों की संख्या लगभग ५८,००० है। ऐसे कुछ परिवार राजस्थान में हैं, और कुछ अन्य राज्यों में भी।

†**सरदार इकबाल सिंह** (फाजिल्का-सिरसा) : पंजाब में भी।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : पंजाब में, भूमियों का आवंटन अर्द्ध-स्थायी योजना के अन्तर्गत किया गया था। आपको शायद याद होगा कि पंजाब और पेप्सू में पुनर्वास के कामों के लिये भूमि का आवंटन नहीं किया गया था।

†**श्री गिडवानी** : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे बम्बई में निष्क्रांत किरायेदारों से पट्टे की राशि वसूलने के मामले की जांच करें। कहा जा रहा है कि उसमें कोई भी एकरूपता नहीं बरती जा रही है; अधिकांश मामलों में तो मकानों के लिये पट्टे की राशि बिलकुल भी नहीं वसूली गयी है पर कहीं-कहीं यह वसूली भी गयी है। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय किसी को बम्बई भेज कर इस नीति में एकरूपता लाने का प्रयास करें। इसकी उपेक्षा करने वाले अधिकारियों को स्थानान्तरित कर देना चाहिये। लोकतंत्रात्मक युग में इतना ही किया जा सकता है। हमें इसे ठीक करने के लिये कुछ उग्र कार्यवाही करनी पड़ेगी।

इस सारी समस्या को एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखना आवश्यक है। पश्चिमी पाकिस्तान से किसी भी सरकारी स्तर पर वार्ता करके ही हम सामूहिक निष्क्रमण के प्रश्न को नहीं सुलझा सकते। प्रधान मंत्री बता ही चुके हैं कि पाकिस्तान आरम्भ से ही अपने वचनों से पीछे हटता रहा है। जब तक कि पाकिस्तान के ये वर्तमान शासक रहते हैं तब तक वे अपने आश्वासनों को कार्यान्वित नहीं करेंगे। पिछले आठ वर्षों से पाकिस्तान के रुख में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। पाकिस्तान सरकार, अपनी योजना के अनुसार ही, इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर रही है।

हमें अपनी एक पुनर्वास योजना बनानी है। हमें इसको सब से अधिक प्राथमिकता देनी चाहिये और इसके लिये अधिक से अधिक धन की व्यवस्था करनी चाहिये।

पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों से मुझे पूरी सहानुभूति है। उनके लिये प्रत्येक सम्भव व्यवस्था की जानी चाहिये। लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों की कोई समस्या ही नहीं है।

ऐसे व्यक्तियों की संख्या भी बहुत अधिक है, जिन्होंने दावे नहीं किये हैं पर उन गैर दावेदारों को भी सहायता और पुनर्वास सुविधायें मिलनी चाहिये। यह बहुत अच्छा है कि सरकार ने छोटे दावेदारों के ३२५ रुपयों के प्रत्येक ऋण में से ३०० रुपयों की छूट दे दी है। हमारा कहना है कि इसे ५०० रुपयों तक कर दिया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गिडवानी]

अनधिकृत अधिकार कर लेने वालों के प्रति भी सरकार ने बड़ी कृपा की है कि उन्हें थोड़ी सी भूमि और ५०० रुपये दिये जाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन उस में एक कमी रह गई है, ६०० रुपये का दावा करने वाले एक विस्थापित व्यक्ति को, यदि उस पर ४०० या ५०० रुपयों तक का सार्वजनिक देय हो तो यह रियायत नहीं दी जाती है, फिर चाहे उनके पास उतना ऋण चुकाने के बाद २०० या ३०० रुपये तक ही क्यों न रह जाते हैं। वह उस धन से कोई मकान कैसे ले सकेगा ? प्रत्येक छोटे दावेदार को यह सुविधा दी जानी चाहिये।

मैं काफी अर्से से कह रहा हूं कि इस सब कार्य में हमें शीघ्रता करनी चाहिये। मैंने १९४७ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में ही कहा था कि पाकिस्तान की स्थापना से शान्ति स्थापित नहीं होगी।

पाकिस्तान के वर्तमान शासकों के रहते सामूहिक निष्क्रमण को नहीं रोका जा सकता है। फिर एक ऐसी स्थिति पैदा की जायेगी और प्रत्येक तीन या छः महीनों के बाद वे सामूहिक निष्क्रमण को बढ़ाते रहेंगे। हमें उसके लिये पूरी तौर से तैयार रहना चाहिये। सभी मंत्रियों और दलों को अनुभव करना चाहिए कि यह एक राष्ट्रीय मसला है। काश्मीर की आधी जनसंख्या नष्ट हो गई है और अभी तक पूरी तरह से उनका पुनर्वास भी नहीं हो सका है।

[श्री राघवाचारी पीठासीन हुए]

पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान तथा काश्मीर से आये इन अभागों की कीमत पर ही हमें अपनी स्वतंत्रता मिली है। हमें कम से कम उनके धन की क्षतिपूर्ति तो करनी ही चाहिये। इसलिये मुझे आशा है कि माननीय पुनर्वास मंत्री द्वारा रखे गये सभी प्रस्तावों का सभी लोग समर्थन करेंगे, और माननीय पुनर्वास मंत्री भी अपने मंत्रालय की व्यवस्था को अधिक गतिशील बनायेंगे। तभी हम अपने उद्देश्य को प्राप्त कर सकेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव): सबसे पहले तो मैं आप को मुबारकबाद देता हूं कि आप इस कुर्सी पर आज पहली मर्तबा रौनकअफरोज़ [शोभायमान] हुये और मुझे आपको उस जगह पर देख कर बड़ी खुशी है।

यह जो रेफ्यूजीज [शरणार्थियों] का मसला है, यह दरअसल एक बड़ा मुश्किल मसला है और मुश्किल इसकी यह हो गई है कि हर साल यह मसला सामने आता था, लेकिन इस मर्तबा जिस शक्ल में यह आया है वह इतना मुहीब [डरावना] खतरनाक और डरावना है कि हर एक आदमी के दिल के अन्दर यह एक बड़ी भारी खलिश [टीस] है कि इसका क्या इलाज हम कर सकेंगे ? जिस वक्त यह एक्सोडस [सामूहिक निष्क्रमण] ईस्ट पाकिस्तान से शुरू हुआ तो कई वर्ष तक तो हमारी गवर्नमेंट ने यह रवैया रखा, गो कि हम बार बार कहते रहे कि एक्सोडस शुरू है और यह एक्सोडस उसी किस्म का जैसा कि सन् १९४७ में हुआ था, लेकिन गवर्नमेंट के कानों पर जूं न रेंगी और वे काफी अर्से तक छिपाते रहे जब तक यहां पर १३-१४ लाख आदमी न आ गये कि यह इस तरह का एक्सोडस है। इसके बाद जब यह जाहिर हुआ कि एक छोटा सा गोला इतना बड़ा हैमीस्फियर [वृत्र खंड] बन जायगा कि जिसके वास्ते गवर्नमेंट के पास कोई जवाब नहीं होगा तो गवर्नमेंट की आंख खुली। उस वक्त भी जब पहला झटका पाकिस्तान ने दिया तो मुझ को याद है कि उसका एक बड़ा रिएक्शन [प्रतिक्रिया] हुआ, हिन्दुस्तान में एक ऐसी गड़बड़ी पैदा हो गयी और जिसका कि पहले ही से सन् १९४७ से डर था। चुनाचे मुझे याद है कि जब पहली मर्तबा नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ तो उस वक्त कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में स्वर्गीय सरदार पटेल ने हमको एश्योरेंस [आश्वासन] दिया और गवर्नमेंट की तरफ से भी ऐश्योर किया गया कि अगर ऐसा दूसरा झटका आया तो कोई और मेथड्स [तरीके] इस्तेमाल किये जायेंगे। मैंने वह आज तक और मेथडस

नहीं देखे, और न मैं उम्मीद करता हूं कि कोई और मेथड्स हमारी गवर्नमेंट ऐसे देगी जिनसे एक्सोडस बंद हो। उस वक्त जब इस मसले पर हाउस में बहस हुई, तो डा० श्यामा प्रसाद मुकर्जी जिन्दा थे। उन्होंने, और साथ ही मैंने, गवर्नमेंट की खिदमत में यह अर्ज किया कि जहां तक वालेंटरी एक्सचेंज आफ पापुलेशन [जनसंख्या का स्वेच्छापूर्ण आदान-प्रदान] का ताल्लुक है, जितने लोग यहां से जाना चाहते हैं और वहां से यहां आना चाहते हैं, उनको आप इनकरेज [प्रोत्साहित] करें। मैं जानता था कि मेरे ऐसा कहने से बहुत से पार्टी के लोग मुझ से नाखुश होंगे, लेकिन यह समझ कर कि इस मसले का हमें कोई हल निकालना है, मैंने यह तजवीज पेश की। हमने चाहा कि अगर ऐसा होता कि जिन लोगों की जायदाद वहां पर रह गई थी वह एक्सचेंज हो जाती यहां वालों की जायदाद से जो वहां जाना चाहते थे, तो देश के अन्दर कुछ थोड़ा सा सैटिसफैक्शन [संतोष] होता, लेकिन उस वक्त भी गवर्नमेंट ने कोई पर्वाह नहीं की।

नेहरू-लियाकत पैक्ट होते ही, जब मुझे आसाम जाने का मौका हुआ, तो मैंने वहां पर एथारिटीज [अधिकारियों] से पूछा कि आप इन रेफ्यूजीज के साथ इस बेसिस [आधार] पर क्यों नहीं सलूक करते कि अब इनको यहीं पर रहना है और वे लौट कर अब पाकिस्तान जाने वाले नहीं है, तो मुझ को जवाब मिला कि हम तो यह उम्मीद कर रहे हैं कि यह जो रेफ्यूजीज आये हैं, यह वापिस चले जायेंगे और जा कर अपनी जायदादों पर काबिज होंगे। अब इस तरह के बुलन्द हवाई ख्याल का क्या करा जाय? इस कदर भी वह मानने को तैयार नहीं थे कि यह लोग अब यहां से वापिस नहीं जायेंगे बल्कि उन्होंने मुझ को यह बतलाया कि गवर्नमेंट का व्यू [दृष्टिकोण] यह है कि यह लोग वापिस चले जायेंगे जब कि हम सब जानते थे कि गवर्नमेंट का व्यू गलत था, और आज वाक्यात ने साबित कर दिया है कि गवर्नमेंट का व्यू गलत था।

मैं इस एक्सोडस के सवाल को जब गहरी निगाह से देखता हूं तो मुझे यह यकीन होता है कि हिन्दुस्तान पर इससे ज्यादा मुसीबत कोई और नहीं आई। हिन्दुस्तान से पाकिस्तान की आज लड़ाई हो जाये; लाख-दो लाख आदमी मर जायेंगे और तो कुछ नहीं, काश्मीर का तनाजा [झगड़ा] बतलाया जाता है, कैनाल वाटर डिस्प्यूट [नहरी पानी विवाद] बतलाया जाता है, लेकिन मैं अदब से अर्ज करता हूं कि मेरे नुक्तेनिगाह से यह एक्सोडस का तनाजा सबसे बड़ा तनाजा है, इतना बड़ा तनाजा और कोई नहीं है। हम सब जानते हैं कि सिर्फ ३६ लाख आदमियों के हमारे यहां भीतर आ जाने से हमारी क्या हालत बन रही है और हमारे फाइनेंसेज [वित्त] पर क्या बीत रही है और जितना आराम और सहूलियत उन रेफ्यूजीज को देना हमारा फर्ज है, हम नहीं दे पा रहे हैं और इस हालत में आप बखूबी यह समझ सकते हैं कि अगर यह ९० लाख आदमी इधर आ गये तो हिन्दुस्तान का क्या हाल होगा और किस तरह हम उनका इन्तजाम कर सकेंगे, यह मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि ब्लैक होल ऑफ कलकत्ता [कलकत्ता की काल कोठरी] एक बड़ी भारी ट्रैजिडी [दुखान्त घटना] थी, लेकिन मेरी समझ में उससे यह हजार गुनी ज्यादा ट्रैजेडी है। श्री विल्सन ने अपनी किताब में लिखा कि किस तरह १०६ आदमियों को एक नाव पर बिना कोई साज-सामान के और खाने-पीने के समुद्र में भूखों मरने के लिये छोड़ दिया गया। यह ब्लैक हाल आफ कलकत्ता का जवाब है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इस तरह से ९० लाख आदमियों को बिना साज-सामान के इधर हिन्दुस्तान में भेज रही है, और अपने फर्ज और कर्तव्य की कतई उसे पर्वाह नहीं है और उन मुसीबतजदा भाइयों को नेहरू-लियाकत पैक्ट की धज्जियां उड़ा कर इधर भेज रही है। जिन्ना साहब ने जो हमको सन् १९४७ में बतलाया था कि दोनों तरफ माइनोरिटीज [अल्प संख्यक] शान्ति से रहेंगी और सेफ्टी [सुरक्षा] और इज्जत से रहेंगी, उन सब के ऊपर पाकिस्तान ने पानी फेर दिया है और कभी-कभी पाकिस्तान के साथ जो मीठी-मीठी बातें होती हैं, उनको मैं समझने से कासिर [असमर्थ] हूं कि आज भी हमारे नेशनल लीडर्स [राष्ट्रीय नेतागण] और हमारी गवर्नमेंट इस मामले को उस असली शक्ल में नहीं देख रही है जो मुसीबत हमारे

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

सामने पेश है वह क्या २५० करोड़ या ३०० करोड़ रुपये का जो आप ज़िक्र करते हैं कि हमने इस काम के वास्ते रखा है उस से हल हो जायगी ? अगर ९० लाख लोग इधर आ गये तो आप इस रकम को अगर दुगनी भी करदें, तब भी आप उनका इन्तजाम नहीं कर सकेंगे । आप एक रेफ्यूजी का जिसका कि एक तरह से ब्रेन [मस्तिष्क] साइकालिजकली डैमेज [मनोवैज्ञानिक रूप से क्षत] हो गया है और जो अपने घरबार को छोड़ कर इधर आया है, उसको आप कामयाबी के साथ रिहैब्लिटेट [पुनर्स्थापित] भी नहीं कर सकेंगे । मैं गवर्नमेंट आफ इंडिया को मुबारकबाद देता हूं जो उन्होंने यह तकरीबन ३५० करोड़ रुपया रैफ्यूजीज पर खर्च किया और खर्च करने को तैयार है, लेकिन मेरा कहना है कि हम इस तरीके से इस मसले को हल नहीं कर सकते; यह तरीका गलत है । आज हिन्दुस्तान को साफ-साफ पाकिस्तान को बता देना चाहिये कि इस रेफ्यूजीज के निकास को हम मोस्ट अनफ्रैंडली ऐक्ट [सब से अधिक अमैत्री पूर्ण कार्य] समझते हैं । पाकिस्तान के हुक्मरां [शासक], जब उनका ध्यान हमारी सरकार इसकी ओर दिलाती है तो, वे इसके लिये कान्फ्रेंस बुलाते हैं और हमारे मिनिस्टर साहब उसमें तशरीफ ले जाते हैं और वहां पर मीठी-मीठी बातें आपस में की जाती हैं । यहां पर लोग कहते हैं कि अब भी हम पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध और दोस्ती कायम रखना चाहते हैं, हम भी ऐसा ही चाहते हैं कि हमारे और उनके सम्बन्ध दोस्ती के हों, और हम भी किसी से नफरत नहीं करना चाहते, लेकिन हम असल वाकयात से तो मुह नहीं मोड़ सकते और यह एक्सोड्स का बड़ा और अहम मसला हमारे सामने पेश है, और जिसको कि हमें जैसे भी हो हल करना है । मैं समझता हूं कि अगर कहीं दुनिया के अन्दर कोई अनफ्रैंडली ऐक्ट हो सकता है तो इससे ज्यादा नहीं जो हिन्दुस्तान के साथ किया जा रहा है । इसके लिये क्या इलाज होना चाहिये, यह हमें और आप को सब को मिल कर सोचना है । एक इलाज श्री मुकर्जी ने बतलाया था, और श्रीमती सुचेता कृपलानी ने भी बतलाया था अभी आप पुराने जमाने की तरह से पाकिस्तानी नेशनल्स [राष्ट्रजनों] को यहां पर रोजी देते हैं, और अब भी आप पाकिस्तानी नेशनल्स को यहां पर अपने नेशनल्स को भूखा मार कर उनको काम देते हैं । मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि इंसानियत के नाते मुझे किसी आदमी से कोई परहेज नहीं, कोई किसी किस्म की नफरत नहीं, लेकिन गवर्नमेंट का यह जो रवैया है कि अपने लोगों को तो भूखों रख कर और उनको काम न दे कर पाकिस्तानी नेशनल्स को यहां पर अपने नेशनल्स की तौर पर बसायें और हर तरह की सहूलियत दें, गलत रवैया है, और मैं इसको कतई गलत समझता हूं । पाकिस्तान का यह रवैया कि धीरे-धीरे सारे पाकिस्तान से एक-एक हिन्दू को निकाल दिया जाय, बिल्कुल गलत रवैया और उन सारे मुआहिदों के खिलाफ़ है जो हमारे और उनके बीच में हुये हैं, और हमें यह चीज पाकिस्तान पर वाजे कर देनी चाहिये और ऐसा कदम उठाना चाहिये जिससे कि यह मसला हल हो । मैं पूछता हूं कि साउथ अफ्रीका ने जो रंगभेद की गलत पालिसी वर्ती और आपकी बात को नहीं माना और जो कि सही बात थी और जिसको उसे मानना चाहिये था, तो आपने उसके विरोध में अपने ताल्लुक़ात उससे तोड़े कि नहीं ? लेकिन इधर हम यह देखते हैं कि दोनों देशों के बीच रास्ते खुलने की बातचीत चलती है, दोनों देशों के बीच आप रेलों के चलने की बात कहते हैं और तिजारत करने की बात चलाते हैं कि फलां चीज हम वहां पर भेजें और उसके बदले में वहां से फलां चीज मंगावें, मुझे इसमें ऐतराज़ नहीं, लेकिन मैं आपसे यह जरूर पूछना चाहता हूं कि आप असली मामले को क्यों नहीं टैकिल [सुलझाते] करते और हल करने की कोई तदबीर क्यों नहीं करते और स्पेड को स्पेड क्यों नहीं कहते [वस्तु को उसकी उचित संज्ञा क्यों नहीं देते] ? एक मर्तबा काश्मीर के मामले को भुलाया जा सकता है, लेकिन इस मामले को नहीं भुलाया जा सकता ।

यह काश्मीर के मुकाबले में भी उस से बड़ा मामला है, छोटा नहीं है । अगर फिल वाक्या [वास्तव में] हमारी नेशनल गवर्नमेंट भी इस की अहमियत की तरफ़ तवज्जह नहीं करती तो कैसे काम चल सकता है ? ह्यूमन मिजरी [मानवीय दुखों] के लिहाज से देखा जाय, तो यह एक्सोडस [सामूहिक

निष्क्रमण] लड़ाई से बढ़ कर है और अमली जेनोसाइड [जाति हत्या] है। लड़ाई तो साल-छः महीनों में खत्म हो जाती है, लेकिन यह सिलसिला तो बरसों से चल रहा है, रोज-रोज वहां से लोग उजड़ रहे हैं और वह भी किन तरीकों से ? जो कि मि० चटर्जी ने बतलाया, वह इतना दिल हिला देने वाला मामला है कि कोई भी आदमी अपने दिल को काबू में नहीं रख सकता जो कि इस सारी मुसीबत को एक सही प्रर्स्पेक्टिव [दृष्टिकोण] में देखे। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि आज तो हम इन डिमान्ड्स फार ग्रान्ट्स [अनुदानों की मांगों] पर बहस कर रहे हैं, यह मामला तो एक तरह से इन्सीडेन्टली [प्रासंगिक रूप से] आता है, लेकिन इस की अहमियत को हमें भूलना नहीं चाहिये और जिस तरह का यह मामला है हम को उस को उसी प्रर्स्पेक्टिव में देखना चाहिये। यहां पर जो कुछ मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि श्री चटर्जी और श्री मेघनाद साहा की मेहरबानी से हमारे मिनिस्टर साहब को यहां से कलकत्ते ले जा कर रखा गया। जब हमारे खन्ना साहब मिनिस्टर हुये, तो यहां पर जो लोग थे वह रोज कहते थे कि अब हमारा मिनिस्टर हो गया है इसलिये हमें ज्यादा मदद मिलेगी। लेकिन नतीजा यह निकला कि हमारे मिनिस्टर साहब कलकत्ते चले गये। मैं पूछता हूं कि कृष्ण महाराज तो द्वारका चले गये, आखिर यहां की गोपियां कहां जायें ? मैं आप से बहुत जोर से अर्ज करना चाहता हूं कि मेरी ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजीज से बहुत ज्यादा हमदर्दी है, जिस का आप अन्दाज नहीं लगा सकते हैं, अगर मेरा काबू चले तो मैं हिन्दुस्तान के सारे रिसोर्सेस [संसाधन] जितने मैं लगा सकूं, सब ईस्ट पाकिस्तान से आने वाले के वास्ते लगा दूं, मैं वैस्ट पाकिस्तान वालों का मुकाबला उन से नहीं करना चाहता, हमारा फर्ज है कि हम जो कुछ भी उन के लिये कर सकें हम सारी सर्विस [सेवा] उन की करें, लेकिन गरीब नेवाज, यहां आये हुये लोग यह मेन्टैलिटी [मनोवृत्ति] नहीं रखते। यहां आये हुये लोग जो बड़ी मुद्दत से इन्तजार करते थे कि आप आ कर उन की मदद करें आप के वहां चले जाने से बड़े मायूस हो गये हैं क्योंकि उन के मसले उस तरह से नहीं होते हैं जितने कि आप के सामने होते थे।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आधे वक्त मैं यहां रहता हूं, और आधे वक्त वहां।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आधे वक्त आप यहां भले ही रहते हों, लेकिन आप की सारी तवज्जह उधर है। मैं चाहता हूं कि आप सारी तवज्जह उधर करें, क्योंकि यह मामला बड़ा है, आप के सारे काम को देख कर भी मैं कह सकता हूं कि यह मामला इतना बड़ा है जो एक आदमी तो क्या, चन्द आदमियों के जरिये होना भी मुश्किल है। इसलिये मैं अर्ज करूंगा कि यहां के मामलों के वास्ते आप श्री भौंसले को पूरे अख्त्यारात दे दीजिये। बम्बई से मेरे पास आदमी आते हैं, हम कहते हैं कि खन्ना साहब तो कलकत्ते में हैं अब हम क्या करें ? जो भाई भौंसले साहब से मिले, उन को उन से तसल्ली नहीं हुई। भौसले साहब ब अख्त्यार आदमी की तरह से काम नहीं कर सकते, जिस तरह से कि आप कर सकते हैं। मैं समझता हूं कि भोंसले साहब शराफत और इन्सानी हमदर्दी में अपना सानी नहीं रखते और वह कोई ऐसी बात नहीं है जो कि रिफ्यूजीज के लिये न करना चाहें, लेकिन वह भी मजबूर हैं। हम सब कुछ जानते हैं लेकिन हम ऐसे मिनिस्टर को लेकर क्या करें जिस के पास कुछ अख्त्यारात नहीं हैं। हमें किंग स्टोर्क नहीं चाहिये, उन को आप अख्त्यार दीजिये कि जो यहां के रिफ्यूजीज के मामलात हैं उन का फैसला पूरी तरह से वह खुद करें। अगर उन को कोई मुश्किल पड़े तो भले ही वह तार या टेलिफोन के जरिये आप से सलाह कर लें, लेकिन सारे मामलात का फैसला उसी तरह से वह करें जिस तरह से आप करते हैं जिस में हमारे मामलात बिना फैसले के पड़े न रहें।

मैं चन्द एक बातें यहां के रिफ्यूजीज के मुताल्लिक अर्ज करना चाहता हूं। मुझे ईस्ट पाकिस्तान के रिफ्यूजिज का बहुत इल्म भी नहीं है इस लिये मैं उन की सारी मुश्किलात को यहां रखने का क्लेम [दावा] करूं, यह मेरे लिये मुनासिब नहीं होगा। लेकिन फिर भी, रिफ्यूजीज की बहुत सी बातें कामन [समान] हैं। जो बातें यहां के रिफ्यूजीज पर लागू होंगी, वही कम से कम ९० फीसदी वहां के रिफ्यूजीज पर भी लागू होंगी। बहरहाल पहली बात जो मैं यहां के रिफ्यूजीज के सिलसिले में कहना चाहता हूं वह

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

यह है कि जो कीमतें आपने लगाई हैं मकानों की उन की वजह से सारे देश में आज हाहाकार मचा हुआ है। मैं गुड़गांवां जाता हूं तो वहां के लोग मेरे पास आते हैं और पूछते हैं कि आखिर यह सब क्या है ? हम इतनी कीमत नहीं दे सकते। जो कीमतें आपने लगाई हैं वह जरूरत से भी ज्यादा हैं। आप को चाहिय कि आप रिफ्यूजी भाइयों की बदकिस्मती का मुलाहजा फरमायें।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि कीमतें इतनी ज्यादा लगाई जाती हैं, मुझे मालूम है कि वह आपके अफसरों के जरिये ही मुकर्रर की गई हैं, लेकिन वह बहुत ज्यादा हैं। यह मैन्टैलिटी [मनोवृत्ति] गलत है। बहुत सी जगहें ऐसी हैं जो खाली पड़ी हुई थीं, वहां पर रिफ्यूजीज आये और उन्होंने अपने मकान बनाये, उनकी कोशिशों से कीमतें काफी बढ़ीं और उन्हीं के ऊपर आप ने ऐसे कायदे लागू कर दिये जो कि उन्हीं के रास्ते की रुकावट बन गये। जब तक आप एक जैनरल रिडक्शन [आम कमी] कीमतों में नहीं करेंगे, जब तक आप पर्सनल इन्टरेस्ट [व्यक्तिगत रुचि] ले कर खुद न इस को देखेंगे, तब तक यह मामला तय नहीं होगा। इस के अन्दर चन्द आदमियों की ख्वाहिश है कि हम किसी तरह पूरा कंपेन्सेशन [प्रतिकर] दें, मैं इस ख्वाहिश की कद्र करता हूं, लेकिन इसके यें मानी नहीं कि जिनके लिये मकान बनाये गये थे उनको न दें बल्कि उनको मुवाविजा देने के लिये इस्तेमाल करें। और यही वजह थी कि आपने बहुत से ऐसे रूल [नियम] बनाये जो कि गलत बने। मैंने उस वक्त कहा था कि मार्केट वैल्यू [बाजार भाव] न ली जाय। मेरे हाथ में श्री अजित प्रसाद जैन साहब का २२ सितम्बर, १९५४ का बयान है, जिस में उन्होंने कहा कि हम १६ आने नहीं लेंगे, ८ आने लेंगे। मैं कहता हूं कि इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप प्राइसेज [कीमतें] न बढ़ाइये, प्राइसेज कम कर दीजिये। आप मुनासिब प्राइसेज ले लीजिये, लेकिन नीलाम में जो मार्केट वैल्यू आप को हासिल हो जाती है, उस को बेसिस न बनाइये। वह गलत बेसिस [आधार] है।

दूसरी चीज जो मैं अर्ज करना चाहता हूं वह यह है कि मुझे खुशी हुई कि आप १५ साल की किस्त कर रहे हैं। मैं इन्स्टालमेंट [किस्त] के बारे में अर्ज करूंगा कि क्लेमेंट्स और नानक्लेमेंट्स [दावेदार और गैरदावेदार] सब के बारे में आप ४ बरस से १० बरस के अर्से को १५ बरस कर दें। आप को अख्त्यार था कि आप जो चाहें मुद्दत रख देते। इस समय जो हमारी हालत है गरीबी की, उस में आप खयाल कर सकते हैं कि एक शख्स डेढ़ सौ या दो सौ रूपये महीने की किस्त कहां से देगा। यह रकम बहुत ज्यादा ही नहीं बल्कि उन के लिये इस का देना नामुमकिन भी होगा। लो इनकम ग्रुप [कम आय वाले वर्ग] के लोन्स [ऋण] के लिये भी आप ने ३० साल की मियाद रखी है फिर जो यह लोग तबाह हो कर आये हैं वह तो और भी ज्यादा खराब हालत में हैं। वह उन को तो आप को और भी ज्यादा मदद करनी चाहिये। आप ने जिन लोगों के वास्ते इन्स्टालमेंट्स की मियाद १५ साल की रखी है, उनकी तरफ से तो मैं आप को मुबारकबाद देता ही हूं, लेकिन मैं आप से अर्ज करूंगा कि जिन लोगों के लिये आप ने तीन या चार साल कर दिया है उन के लिये भी कम से कम १५ साल कर दीजिये। अगर २० साल हो जाय तब तो कहना ही क्या है, लेकिन मैं अपनी डिमान्डस हाई [मांग ऊंची] नहीं करना चाहता, अगर आप १५ साल कर दें तो यह भी सैटिस्फैक्ट्री [संतोषजनक] होगा और उस से लोगों को फायदा पहुंचेगा।

अब मैं एक खास चीज के ऊपर आप की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। हाउस ने पास किया था कि ज्वायेंट हिन्दू फैमिली [संयुक्त हिन्दू परिवार] का इस मामले में खयाल किया जायेगा। और फाइनेन्स एक्ट [वित्त अधिनियम] के असूलों पर मुआअविज़ा दिया जावेगा। उस के मुताबिक रूल बना और आप ने जब ऐक्ट बनाया तब भी म ने श्री अजित प्रसाद जैन की खिदमत में अर्ज किया था कि ज्वायेंट हिन्दू फैमिली को इस में फायदा देना चाहिये। उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स [आयकर] के असूलों के अनुसार तो मैं मान लूंगा, चुनाचे हम ने रूल उन असूलों के अनुसार बनाया और हाउस ने रूल पास कर दिया। लेकिन रूल पास करने के बाद आपके डिपार्टमेंट का इन्टरप्रेटेशन [व्याख्या] ऐसा था जो कि

अजीब व गलत था। आपने बेटों को पार्सनर्ज के गुजारे [समांशी के दायरे] से निकाल दिया और सिर्फ भाइयों को फायदा दिया। आप का यह फैसला खिलाफ कानून व आर्बिट्रेरी है। सच यह है कि गवर्नमेंट आफ इण्डिया में और कोई मिनिस्ट्री इतना खिलाफ कानून या आरबिट्रेरीली [स्वच्छेचारिता] से काम नहीं करती, जितना यह मिनिस्ट्री करती है। उसकी वजह यह हो सकती है कि यह मिनिस्ट्री कदम कदम पर ऐसे मामलात से डील करती है जो मुश्किल होते हैं, लेकिन सच यह है कि अगर इस में हम कायदे कानून की ज्यादा परवाह करें तो बेइनसाफी आम तौर पर नहीं होती, लेकिन अगर आप मनमाना कानून बना लें तो इससे बढ़ कर कोई बेइन्साफी नहीं हो सकती। खुद हमारे मिनिस्टर खन्ना साहब यहां बैठे हैं, वह खुद इस रूल से फायदे में आते हैं, और लोग यह कहते हैं कि चूंकि श्री खन्ना साहब को भी इस रूल से फायदा होगा, इसलिये इस डर के मारे कि लोग ऐसा न कह सकें, और इसीलिये वह रूल की तरमीम कर रहे हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : यह गलत है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : यह गलत है, तो मैं बड़ा खुश हूं। मैं पूछना चाहता हूं कि जिस के पास दो और तीन हजार का क्लेम है, उस के घर में चार आदमी हैं—एक बूढ़ा बाप है, चार नौजवान लड़के हैं, जिन्होंने जायदाद पैदा की थी। पांच आदमी यहां आये हैं, आप उन को फायदा क्यों नहीं देते ? आप भाइयों के हक में फैसला करते हैं, लेकिन बेटों के हक में नहीं। आप के डिपार्टमेंट [विभाग] को हक नहीं था कि जो चीज पार्लियामेंट पास कर चुकी उस को एक एग्जिक्यूटिव आर्डर [कार्यपालिका आदेश] से तब्दील कर दें; और ऐसे असूल पर पानी फेर दें जो आज भी फाइनेंस एक्ट में कबूल किया गया है। मैं कोई वजह नहीं देखता कि दस बरस से जो कानून फाइनेन्स ऐक्ट में मौजूद है, और जिस पर अमल हुआ, उसको आप गैरबाद कहते हैं। फाइनेन्स मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट का एक हिस्सा एक तरह से किसी रूल को इंटरप्रेट करे और दूसरा हिस्सा—रिहेबिलिटेशन मिनिस्ट्री—दूसरी तरह से इंटरप्रेट करे यह सख्त गैरमुनासिब है। मैं कहता हूं कि जब पार्लियामेंट ने एक कानून पास कर दिया और उस कानून पास करने का जो उसका मंशा था, उससे बिल्कुल ही दूसरा इंटरप्रेटशेन उस कानून का क्यों लगाया जाता है, और क्यों पार्लियामेंट के बनाये हर कायदे की मिट्टी पलीद की जाती है। यह पार्लियामेंट की हतक है और मिनिस्ट्री का यह फेल खिलाफ कानून है।

हिन्दू ज्वायंट फैमिली के बारे में यह कहा गया है कि ४० परसेंट फैमिलीज [परिवार] इसका फायदा उठायेंगी। मैं तो यह कहता हूं कि १०० परसेंट को इसका फायदा पहुंचना चाहिये, यह रियायत तो नहीं, इन्साफ पर बनी [आधारित] है। जैसे आप कर रहे हैं उससे तो गरीबों का ही ज्यादा नुकसान होगा अमीरों का नहीं। कानून का एहतराम [सम्मान] कीजिये, उस की खिलाफवर्जी न कीजिये।

अब मैं दिल्ली पर आता हूं। मलकागंज में आपने बिल्डिंग्ज के नीलाम को बन्द कर दिया है। मारकेट्स के शरणार्थी लोग आप के फैसले का इंतिजार कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि आप उनके साथ इंसाफ करें। जो लोग वहां दोमंजिला दुकानात में कारबार करते व रहते आ रहे हैं, वे यह चाहते हैं कि आप उनको उन से महरूम न करें। आप मेहरबानी करके उनका फैसला जल्दी कर दीजिये। इस पर मैं और ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं।

अब मैं अलवर और भरतपुर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। उनका केस [मामला] भी आपके एक्टिव कंसिड्रेशन में [सक्रिय रूप से विचाराधीन] है। मैं इतना अर्ज कर दूं कि उनके साथ इंसाफ नहीं होगा, अगर आपने उनको जो जमीन और कर्जे दिये हैं उनको वह जमीन न दी और वे कर्जे माफ न कर दिये जायें। आप इन लोगों को उखाड़ कर कुरुक्षेत्र से ले गये और आपने उनसे कहा कि आपको जमीन मिलेगी, आपको कर्जे मिलेंगे। पंजाब में कल तक औक्युपेंसी राइट्स [भोग अधिकार] मिले हुये थे,

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

और आज वहां पर प्रोप्राइटरी राइट्स [मालिकाना अधिकार] हो गये हैं। कोई वजह नहीं है कि आप का वायदा ओक्यूपेंसी [अधिभोग] हकूक देने का, अब मिलकियत के हकूक देने वाला न समझा जाये। यह गज़ब है कि १०-१० एकड़ ज़मीन, जो उन लोगों को दी गई है, उसकी कीमत ४५० रुपया फी एकड़ के हिसाब से आप उनसे मांगें जबकि असली कीमत भी १५० एकड़ से ज्यादा नहीं। मैं जानता हूं कि आप यह रुपया जो खाने व तकावी के लिये दिया गया था उनसे वह नहीं मांगेंगे। आप मुफ्त उनको ज़मीन दे दीजिये जिस का आपने वायदा किया था।

श्री मेहर चन्द खन्ना : ३५ लाख रुपया जो फूड लोन [खाद्यान्न ऋण] का था, वह रिमिट [छोड़] कर दिया गया है।

पंडित ठाकुरदास भार्गव : बड़ी खुशी की यह बात है। मैं चाहता हूं कि रोज-रोज यह डिबेट हुआ करे, और रोज-रोज ऐसी अच्छी-अच्छी बातें आप से सुनने को मिला करें। अब मैं चाहता हूं कि जमीन भी अब आप उनको दे दीजिये, जिसके कि वे लोग हकदार हैं और जो लोन दे रखे हैं उनको आप माफ कर दीजिये। काफी देर से यह मामला आपके जेरेगौर है, अब इस पर और ज्यादा देर किये बिना फैसला हो जाना चाहिये।

बाम्बे लैंसीज [पट्टेदारों] के बारे में मैं ज्यादा अर्ज नहीं करूंगा। इस पर हमारे गिडवानी साहब ने काफी रोशनी डाली है। यह कभी भी सुनने में नहीं आया था कि गवर्नमेंट भी ब्लैकमार्कीट [काला बाजार] करती है। यह नहीं होना चाहिये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : क्या काले बाजार और सद्भावना के बीच कोई अन्तर है ?

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या गुडविल वह होती है जो एक टेनेंट-एट-विल [इच्छाधीन-कृषक] होता है उसको आप एक मकान एलाट कर देते हैं और वह आपके मकान में रहता है और उसको वहां रहते-रहते चार या पांच बरस बीत जाते हैं और जब कुछ अर्सा बीत जाता है फिर एलाट [बंटन] करते वक्त आप रुपया मांगते हैं; क्या यह पगड़ी नहीं ? पुराने दुकानदार का कर्जा व पुराने नौकरों की तनख्वाह नये एलाटी से दिलाना गुडविल है ? पर शिकायतें क्या हैं, उसको आप देखें उसको आप एग्जेमिन [जांच] करवायें और फिर आप किसी ठीक नतीजे पर पहुंचेंगे.....

श्री मेहरचन्द खन्ना : दीन मोहम्मद की गुडविल है, गिडवानी साहब की नहीं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : दीन मोहमम्द जब गये तो कोई गुडविल नहीं छोड़ गये। उसकी गुडविल हम को नहीं चाहिये। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप कुल मामले की तरफ जरूर ध्यान दें।

ज्यादा वक्त न होने की वजह से, अब मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी [निर्वाचन क्षेत्र] की चार-पांच जगहों के बारे में कहना चाहता हूं, और वे जगहें हैं—पलवल, सोना, बल्लभगढ़, गुड़गांवा, फरीदाबाद, इत्यादि। यहां पर रहने वाले रिफ्यूजीज के साथ हमेशा वायदे होते रहते हैं कि तुम्हारे यहां इंडस्ट्रीज [उद्योग] खुलेंगी, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। वे लोग भूखों मर रहे हैं। मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से और खास तौर से खन्ना साहब से दरख्वासत करना चाहता हूं कि उनकी तरफ भी आप ध्यान दें। पिछले पांच वर्षों में वहां क्या किया गया है ? मैं तो यही कहूंगा कि कतई कुछ नहीं किया गया है। आपने कई वायदे किए लेकिन कोई वायदा पूरा नहीं किया। आपने ६ करोड़ रुपये छोटी इन्ड्रस्ट्रीज [उद्योगों] के लिये अलग रखे हुये हैं। स्माल स्केल इंडस्ट्रीज [छोटे पैमाने के उद्योग] के वास्ते पंचवर्षीय प्लान [योजना] में भी आप के पास दो सौ करोड़ रुपये हैं। फरीदाबाद में आपने कुछ काम किया है और वहां पर आपने कुछ छोटी-बड़ी इंडस्ट्रीज़

चालू की हैं। इसके लिये मैं आपको मुबारिकबाद देता हूं। लेकिन इससे पलवल और वल्लभगढ़ के लोगों को क्या फायदा पहुंच सकता है ? उनको इससे काम नहीं मिलने वाला है। इस वास्ते मैं बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि इन जगहों पर भी इंडस्ट्रीज़ स्माल स्केल पर चलाने के लिये कोई इंतिज़ाम करें।

कांग्रेस पार्टी का एक शख्स, जिसकी सारी जिंदगी कांग्रेस की खिदमत करते-करते गुज़र गई है और जिस की उम्र ६०-६५ बरस की है, मेरे पास आया और कहता है कि मैं क़स्म खा कर आया हूं कि अपने गांव वापिस नहीं जाऊंगा जब तक होडल का फैसला नहीं हो जायेगा। होडल में कुछ मुसलमान वापिस कर गये थे और उनको ज़मीनें और मकानात दे दिये गये थे। जो पहले औरों को एलाट हो चुके थे। यह वायदा किया गया था कि वहां पर एक कालोनी बसाई जायेगी। इस वायदे को किये हुये दो साल गुज़र गये हैं, लेकिन अभी तक इसके बारे में कोई फैसला नहीं किया गया है। उस चीज़ को आप भी, पंजाब के मिनिस्टर भी और वहां का डिप्टी कमिश्नर सब जानते हैं। अभी तक इसका फैसला नहीं हुआ है। उस शख्स की तरफ आप देखिये जिसने अपनी सारी ज़िंदगी कांग्रेस की खिदमत में और देश की खिदमत में गुज़ार दी है। उसने इस काम के सिवा और कोई काम नहीं किया है। मैं सरकार से अपील करूँगा कि इस चीज़ का भी फैसला जल्दी कर दिया जाये। भोंसले साहब वहां गये थे और उन्होंने कहा था कि यहां कालोनी बनेगी। आप एक-आध घंटे के लिये वहां जाकर केस का फैसला कर दीजिये और अगर आप नहीं जा सकते तो भोंसले साहब को आथोराइज़ कर दीजिये (अधिकार दे दीजिये) कि वह वहां जा कर फैसला कर दें। उनका एक-एक दिन बड़ी मुसीबत से गुज़र रहा है। दो बरस हो गये हैं, अभी तक भी आप फैसला नहीं कर पाये हैं।

एक-दो मामलों के बारे में थोड़ा-सा और कहना चाहता हूं। केसेस तो बहुत हैं, लेकिन वक्त न होने की वजह से इन्हीं पर बोलूंगा। एक बात तो यह है कि जैसा कि मेरी बहन श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के मकान के बाहर कुछ आदमी सत्याग्रह कर रहे हैं। वे लोग मेरे पास भी आये थे। मैंने उनसे कह दिया था कि मैं उनको कोई हैल्प नहीं कर सकता, क्योंकि उन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया था। बेवाओं के मकान पड़े हुये थे एक-एक कमरे वाले, कच्चे मकान, जिन पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। मैंने उनसे कहा कि अगर तुम्हें कब्जा ही करना था तो जब हमारे स्पीकर साहब स्वर्गवासी हुये थे, तो उनके मकान पर कब्जा करते और उसमें सौ कुनबे बड़ी आसानी से समा सकते थे। जब कभी कोई मिनिस्टर साहब बाहर जाते हैं तब उनकी कोठी पर जाकर कब्जा करते, ताकि ज्यादा कुनबे वहां बस सकते। लेकिन मैं पूछता हूं कि अगर ऐसी हालत हो जाये तो गवर्नमेंट कैसे कायम रह सकती है ? यह हालत नहीं रह सकती है। खैर, मैंने उनकी मदद करने से इन्कार कर दिया। मैंने कहा कि सन् १९४७ में जिन्होंने कानून तोड़ा था, उनकी मदद तो हम लोगों ने की लेकिन अगर लोग रोज़ कानून तोड़ते रहें तो उनकी मदद कौन करेगा। इस वास्ते मैं तो उनके कानून तोड़ने की मज़म्मत करता हूं और उनके इस फेल के बारे में एक लफ्ज़ भी कहने के लिये तैयार नहीं हूंगा। लेकिन जनाबेवाला जब मैंने उनकी हिस्टरी सुनी, जब उन्होंने सारे वाकयात बतलाये तो इस पर मुझे यकीन हो गया कि उनके सत्याग्रह का असर यह होगा कि वन फाइन मार्निंग (एक किसी दिन सुबह) पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ से चिट्ठी आयेगी : मिनिस्टर साहब के पास कि इनके केस को सिमपेथेटिकली कंसिडर (सहानुभूति पूर्वक विचार) करो। क्या कसूर है उनका ? उनका कसूर यह है कि उन्होंने ६०० रुपये क जो मकान बेवाओं के लिये बनाये गये थे और जो खाली पड़े हुये थे और बेवाओं ने उनको नहीं लिया था। उन पर जाकर कब्जा कर लिया था। जनाबेवाला, भूखा मरता क्या न करता। जब उसके पास रहने के लिये कोई जगह नहीं है और अगर कोई मकान खाली पड़ा हुआ है और उसमें कोई रहने के लिये तैयार नहीं है तो अगर उसने उस पर कब्जा कर लिया तो क्या कसूर किया ? हम हर रोज़ सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी (समाज के समाजवादी ढंग) की बात करते हैं, और

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हर रोज़ कहते हैं कि हर एक आदमी को मकान दिया जायेगा। हम यह भी दावा करते हैं कि यहां पर सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी होगी। हमारी एक वेलफेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) है। ये लोग यह कहते हैं कि हम पर सख्ती न करो। मैं आपको बतलाना चाहता हूँ कि कुछ अर्सा हुआ एक प्रेस नोट जारी किया गया था कि १ अप्रैल, १९५४ के पहले अगर कोई आदमी एक मकान में रहता था और १५ अगस्त, १९५० से पहले वह दिल्ली में आ गया था और अगर वह सारा किराया अदा करे और साबित करे कि दिल्ली में वह रहा था तो उसको हक़ होगा कि वह वहीं रहता रहे और उसको उस मकान में रहने के लिये आथोराइज़ कर दिया जायेगा। जब यहां पर राशन बन्द हो गया, तो लोगों ने राशन टिकिट फैंक दिये। तो यह १५ अगस्त, १९५० की यह जो शर्त रखी गयी है यह बिल्कुल नाजायज़ है। १ अप्रैल, १९५४ कोई सैक्रोसेंट (अनुल्लंघनीय) तारीख है, यह मैं नहीं मानता। एविकशन बिल (निष्कासन विधेयक) में यह तारीख तब्दील होती रही है। खुद मिनिस्टर साहब ने सन् १९५२ कर दिया था। इस वास्ते मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आप इन लोगों की तरफ थोड़ी हमदर्दी दिखायें। यह लोग आपकी सारी शर्तें मानने को तैयार हैं। आप उस वक्त तक के लिये इंतज़ार न करें जब तक कि आपके पास पंडित नेहरू से कोई चिट्ठी न आ जाये। अगर आप ज़रा ध्यान से देखें तो आपके सामने दफा (अनुच्छेद) ४३ कन्स्टीटयूशन (संविधान) की आ जायेगी, और जो आपने वायदे किये हैं, वह भी आपके सामने हैं। क्यों आप पंडित नेहरू को मजबूर करते हैं? जो आप टैकटिक्स (तरकीबें) इस्तेमाल कर रहे हैं, वे गलत हैं। मैं बड़े अदब से अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप सही मानों में वेलफेयर स्टेट कायम करना चाहते हैं तो उनको हीलिंग बाम (संतोष बंधाने वाले उपाय) दीजिये। ये लोग भी आपके भाई हैं। जिस तरह से आप हिन्दुस्तान के सिटिज़न (नागरिक) हैं, उसी तरह से ये लोग भी हैं। आपने पार्लियामेंट के एक-एक मेम्बर को एक-एक ऐसा मकान दे रखा है जिसमें कि १०-१० शरणार्थियों के कुनबे बस सकते हैं। अब इनकी एक कोठे के बारे में शिकायत की जाती है। बहुत से आदमियों को आप रोज रेग्युलराइज़ करते आये हैं। इनके साथ इतनी शर्तें क्यों रखते हैं? आप इनकी शर्तों को नर्म कीजिये ताकि यह कहें कि अफसरान के दिल में हमारे लिये दर्द है, और उन्होंने भाइयों जैसा फैसला किया है। अगर आप सख्ती करना चाहें तो कर सकते हैं और आपकी आर्म्ड फोर्सेज़ उनको क्रश (कुचल) कर देंगी, लेकिन ऐसा करके आप उस इन्सानी जज़बे को खत्म कर देंगे जिसके बारे में कहा जाता है कि वह हिन्दुस्तान में मौजूद है। इसलिये, मैं आपसे अर्ज़ करूंगा कि जो भी इस तरह से केस आपके सामने हैं उनको आप हमदर्दी से और मेहरबानी से देखें। उनका सत्याग्रह आपकी सख्त व गैर हमदर्दाना पालिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट (विरोध) है, प्रेसर टैक्टिक्स (दबाव की चाल) नहीं है।

एक बात में और अर्ज़ करना चाहता हूँ। जितने ट्रस्ट और प्राइवेट चैरिटेबिल इंस्टीटयूशन्स हैं, उनके बारे में बताया गया था कि इनका ८० लाख रुपया है जो कि इनको दिया जायेगा। १९५४ के एक्ट में यह रकम काम्पेनसेशन पूल में शामिल न की गई और यह इनकार किया गया कि यह रुपया पूल में से निकाल कर गवर्नमेंट द्वारा सीधा इन इंस्टीट्यूशन्स को दे दिया जायेगा बल्कि इससे ज्यादा मदद पब्लिक ट्रस्ट वगैरा की जावेगी और उसको पूल में शामिल नहीं किया जायेगा। हमने श्री अजित प्रसाद जी के बयान पर यकीन किया और इसलिये उनको मुआविज़े से महरूम कर दिया। इसके साथ ही मैं समझता हूं कि यह कहना मेरा फर्ज है कि बहुत से स्कूलों और कालिजों को आप अपनी तरफ से बहुत अच्छी तरह से चला रहे हैं। लेकिन, इन पबलिक ट्रस्ट्स् (सार्वजनिक न्यासों) के साथ जो वायदा किया गया था उसको पूरे तौर पर पूरा किया जाना चाहिये। इनमें बहुत से मारे-मारे फिरते हैं उनको कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। उनको कुछ नहीं मिला है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जब आप कम्पेन्सेशन (प्रतिकर) बांट रहे हैं, तो आपको दफा १४ के मुताबिक ए० और बी० में तमीज नहीं करनी चाहिये। जब मैं कहता हूं तो

मुझे पंजाब के उन एक दो लाख आदमियों की याद आती है जिनके एलाटमेंट केंसिल (आवंटन रद्द) कर दिये गये हैं, लेकिन जिनके महज़ पेपर एलाटमेंट थे, जिनको आज तक एक कौड़ी भी नहीं मिली है। और जो सबसे गरीब हैं। आप अब उनको अपनी टेबल से कुछ क्रम्ब्स (टुकड़े) देना चाहते हैं और उनको दो-दो एकड़ ज़मीन का कलील मुआवजा तजवीज किया है देना चाहते हैं। आप उनके लियें कम से कम चार एकड़ का प्रावीजन (व्यवस्था) कर दोजिये। जो प्रोवीज़न आपका इस वक्त है उसको हटा दीजिये। यह दुरुस्त नहीं है। अब तीन-चार बार घंटी बज चुकी है, कहना तो बहुत बाकी है, लेकिन अब खत्म करता हूं।

निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :—

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९२	श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा-पश्चिम)	त्रिपुरा की बस्तियों और अन्य स्थानों पर विस्थापित व्यक्तियों के लिये अधिक आवास ऋण की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९२	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों से ऋण की वसूली बन्द किये जाने की आवश्यकता।	१०९ रुपये
९२	श्री बीरेन दत्त	विस्थापित व्यक्तियों की बस्तियों में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९२	श्री बीरेन दत्त	विस्थापित व्यक्तियों को वन करों की अदायगी से विमुक्ति	१०० रुपये
९२	श्री बीरेन दत्त	इस बात का सुनिश्चय किये जाने की आवश्यकता कि विस्थापित व्यक्तियों के लिये स्वीकृत ऋण उन्हें दिये जाते हैं।	१०० रुपये
९२	श्री बीरेन दत्त	उन विस्थापित व्यक्तियों को, जिन्हें आवास ऋण दिया जाता है नालीदार चादरें दिये जाने की आवश्यकता है।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	संक्रमण कैम्प खोले जाने और वर्तमान कैम्पों की दशा सुधारे जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	विस्थापित व्यक्तियों की उस भूमि से बेदखली बन्द करना जहां वे बस चुके हैं।	१०० रुपये
९३	श्रीबीरेन दत्त	त्रिपुरा के पुनर्वास विभाग के कार्य-संचालन में नौकरशाही।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य के बारे में मंत्रणा देने के लिये सभी प्रकार के दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों का एक मंत्रणा निकाय बनाये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
९३	श्री बीरेन दत्त	कसलीचेरा कैम्प के उन विस्थापित व्यक्तियों को जो जंगली जानवरों के आक्रमण के कारण उसे छोड़ गये थे, भूमि और आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	तालिम्हारा, मालागार, बेलोनिया और नूतन नगर में बस्तियां बसाये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में नये और पुराने शरणार्थियों को दिये जाने वाले सभी प्रकार के ऋणों की राशि के बढ़ाये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में शरणार्थियों को रोजगार देने के लिये छोटे पैमाने के उद्योगों के आरम्भ किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में शरणार्थियों द्वारा बनाई गई सहकारी समितियों को पर्याप्त ऋण दिये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	अंशदायी आवास योजना के अन्तर्गत त्रिपुरा के विस्थापित व्यक्तियों द्वारा दी गई ऋण याचिकाओं का शीघ्र निबटारा किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये उच्च वर्ग के औद्योगिक ऋणों के ग्रामीण क्षेत्रों में भी दिये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों को अस्थायी योजना ऋणों की स्वीकृति में शीघ्रता किये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री शिवमूर्त्ति स्वामी (कुष्टगी)	विस्थापित व्यक्तियों को १९५७ से पूर्व अचल सम्पत्ति के लिये प्रतिकर दिये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये
९३	श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर)	गैर-दावेदारों का पुर्नवास और उन्हें आवंटित मकानों और दुकानों के मूल्य पूरा करने के लिये क़िस्तों का घटाना।	१०० रुपये
१३९	श्री बीरेन दत्त	सहायता की राशि को बढ़ा कर त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों के लिये इमारतों, सड़कों, कैम्पों, घरों और अपाहिज गृहों का शीघ्र निर्माण कराये जाने की आवश्यकता।	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
१३९	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में अगरतला में विस्थापितों द्वारा बनाये गये बाट-ताला बाज़ार के निर्माण के लिये अगरतला नगरपालिका को सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३९	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विस्थापितों द्वारा बनाई गई मोटर यातायात संस्थाओं को आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये
१३९	श्री बीरेन दत्त	त्रिपुरा में विस्थापित व्यक्तियों द्वारा खोले गये स्कूलों तथा कालेजों के निर्माण के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने की आवश्यकता ।	१०० रुपये

सभापति महोदय : ये सभी कटौती प्रस्ताव सभा के समक्ष हैं ।

श्री बीरेन दत्त : पुनर्वास की सामान्य समस्याओं पर चर्चा की जा चुकी है और अब मैं अपने राज्य की पुनर्वास सम्बन्धी कठिनाइयों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ । विभाजन से पूर्व त्रिपुरा की जनसंख्या तीन लाख थी जो अब दस लाख हो चुकी है । त्रिपुरा एक विकसित राज्य नहीं है । यह एक पहाड़ी इलाका है और पहाड़ियों के बीच कुछ भूमि खंड हैं और इस पहाड़ी क्षेत्र में प्रत्येक कृषक को केवल ७०० रुपये आवंटित किये गये हैं जबकि पश्चिम बंगाल में कम से कम २३०० रुपये दिये गये हैं । न जाने पुनर्वास विभाग ने किस प्रकार परिगणना की है और किस प्रकार यह काम किया है । माननीय मंत्री ने स्वयं वहां जा कर स्थिति को देखा था और कहा था कि वहां सभी प्रकार के ऋण बहुत कम दिये गये हैं । यहां संचार साधन अधिक विकसित नहीं हैं सामान का आयात करने में भी बड़ी कठिनाई होती है । ऐसी हालत में व्यापार के लिये अधिकतम ऋण ६०० रुपये दिया गया है । इस प्रकार तीन लाख में से केवल एक लाख व्यक्तियों को ऋण मिला है। शेष अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह लोग अगरतला के आस पास ही रह रहे हैं। जब प्रधान मंत्री अकस्मात उस स्थान को देखने गये तो सेना की जीपों और मोटर गाड़ियों में भर भर कर इन लोगों को जंगलों में ले जाया गया और जब वहां की आदिम जातियों के लोगों ने बांस इत्यादि से उनके लिये झौपड़ियां बनानी चाहीं तो इसमें भी बाधा डाली गई । उन बेचारों को खुले मैदानों में रहना पड़ा । अभी तक कोई मंत्रणा परिषद् भी नहीं बनायी गयी है । निदेशक और अन्य पदाधिकारी अभ्यावेदनों को भी नहीं सुनते हैं । हमने कई प्रकार से मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न किया । आखिर जब श्री खन्ना वहां गये तो उन्होंने स्वीकार किया कि ऋण कम दिये गये थे परन्तु साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि केवल कुछ व्यक्तिगत मामलों में इसे बढ़ाया जा सकता था ।

जब कभी शरणार्थी किसी उपयुक्त भूमि खंड को ढूंढ लेते हैं, जहां खेती की जा सकती है, तो वहन-विभाग के कर्मचारी पुनर्वास निदेशालय को शिकायत भेजते हैं । वे कहते हैं कि इस भूमि को रक्षित रखा जायेगा । मैं सभा को विश्वास दिलाता हूँ कि इन सभी लोगों को बसाया जा सकता है । केन्द्रीय ट्रैक्टर संगठन से प्राप्त उत्तर के अनुसार ८०,००० एकड़ भूमि में खेती की जा सकती है । यदि पाकिस्तान से और लोग न आ जायें तो इतनों को बसाया जा सकता है । यहां अनुसूचित जातियों के और पिछड़े हुये वर्गों के लोग ही यहां आये हैं । यहां जुंग प्रकार की खेती के अतिरिक्त और कोई कुटीर उद्योग नहीं है ।

[श्री बीरेन दत्त]

आदिम जातियों के लोगों का निर्वाह इधर उधर खेती करने से होता है। इन लोगों ने ठीक प्रकार से खेती बाड़ी करना आरम्भ किया है। वहां कृषि विभाग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है। चार हज़ार एकड़ भूमि दी गई है। परन्तु इस के लिये बडी घूंस आदि दी जा रही है कई बार झगड़े तक हो गये हैं जिन में कई लोग मारे भी जा चुके हैं।

पूर्वी पाकिस्तान जाने वाले कुछ मुस्लिमों ने सम्पत्ति का विनिमय किया था जिसे सरकार मान्यता नहीं दे रही है इस प्रतिवेदन में बहुत सी बातें राज्य सरकार पर छोड़ी गई हैं, परन्तु त्रिपुरा सरकार विधान नहीं बना सकती है अतः केन्द्रीय सरकार को चाहिये कि वह वन विभाग को यह निदेश दे कि वनों की कृषि योग्य भूमि को छोड़ दिया जाये। कृषि विभाग ने भी बीज और सिंचाई आदि की सुविधायें नहीं दी हैं और कहा है कि यह पुनर्वास विभाग का कर्तव्य है। वे लोग अपना सर्वस्व पाकिस्तान में लुटा कर आये हैं और उन्हें दो रुपया प्रति व्यक्ति मासिक दिया जाता है। यदि पानी की व्यवस्था की जाये तो वे खेती कर सकते हैं। त्रिपुरा के विस्थापित यदि कलकत्ता में बस जाते हैं तो उन्हें २००० रुपये दिये जाते हैं। आरोग्यशाला में क्षय रोग के पीड़ितों को कुछ धन राशि भी दी जाती है परन्तु यहां के विस्थापितों के साथ वैसा बर्ताव नहीं किया जाता है। यदि यहां विस्थापित व्यक्तियों को ठीक प्रकार नहीं बसाया जाता है तो पंचवर्षीय योजना को कार्यान्वित करने में बड़ी कठिनाई होगी। राज्य में संचार साधनों और सड़कों आदि का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है।

हमने माननीय मंत्री को ज्ञापन भेजा था उसका उत्तर भी मिला है, परन्तु व्यवहारिक रूप से कुछ भी नहीं किया गया है। वहां पानी की व्यवस्था की जानी चाहिये ताकि लोग पटसन, कपास और तिलहन पैदा कर सकें। १९५६ से पूर्व दिये गये ऋण को अनुदान मान कर और ऋण दिये जाने चाहियें ताकि कृषक सिंचाई का प्रबन्ध कर सकें। पुनर्वास विभाग को लोगों को रोजगार दिलाने के लिये मोटर इंजीनियरिंग उद्योग को आरम्भ करना चाहिये। विस्थापित व्यक्तियों द्वारा चलाई गई संस्थाओं, स्कूलों और सहकारी समितियों को आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये। कुछ मीन क्षेत्र आरम्भ किये जाने चाहियें। मछेरों ने कुछ बांध बनाये हैं और यदि सरकार कुछ आर्थिक सहायता दे तो वहां लाभप्रद मीन क्षेत्र बनाये जा सकते हैं।

त्रिपुरा में कुछ बुनकरों ने कुछ सहकारी समितियां स्थापित करके अपना कार्य आरम्भ किया है, उन्हें आर्थिक सहायता दी जानी चाहिये और उनके माल को बेचने के लिये अगरतला और कलकत्ता के कुछ एम्पोरियम खोले जाने चाहियें।

पुनर्वास मंत्री त्रिपुरा में कुछ बस्तियां बसाना चाहते हैं। मेरे विचार से अगरतला का पुनर्निमाण करना ठीक होगा। विस्थापितों के आने से वहां की जन संख्या १२,००० थी, वह अब बढ़ कर एक लाख हो गई है। यदि वहां अच्छे मकान बना कर, जल निस्सारण की व्यवस्था करके और बाज़ार बना कर उसकी हालत को काफी सुधारा जा सकता है। वरतला बाज़ार शरणार्थियों ने बिना सरकार की सहायता के बनाया है। त्रिपुरा सरकार वहां से शरणार्थियों को निकालने का प्रयत्न कर रही है। मैं मंत्री महोदय से प्रार्थना करता हूँ कि वहां से एक भी शरणार्थी को न निकाला जाये।

मेरा सुझाव है कि त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य की प्रगति को देखने और उसकी जांच पड़ताल करने के लिये एक समिति होनी चाहिये और प्रशासन की सहायता के लिये एक मंत्रणा बोर्ड होना चाहिये।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : त्रिपुरा में एक नहीं तीन परामर्शक हैं।

†**श्री बीरेन दत्त** : यह पदाधिकारी पुनर्वास की ओर ध्यान नहीं देते हैं।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : वहां केवल इसी कार्य को करने के लिये एक पुनर्वास परामर्शक रखा गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बीरेन दत्त** : वे वास्तविक कार्य को तो जा कर नहीं देखते हैं। वहां मंत्रणा परिषद् की आवश्यकता है। आप कांग्रेसी संसद् सदस्यों को भेजकर इसकी जांच करा कर देखें तब पता चलेगा कि पुनर्वास कार्य कैसे हो रहा है ।

लाला अचिंत राम (हिसार) : आज इस महकमे को चलते हुये नौ वर्ष हो गये। जब यह शरू हुआ था तो ऐसा मालूम होता था कि यह छः महीने या साल भर में खत्म हो जायेगा, लेकिन यह शैतान की आंत की तरह से बढ़ता ही जा रहा है और ऐसा मालूम होता है कि शायद यह खत्म होने को नहीं आयेगा। आज यह इतना लम्बा चौड़ा हो गया है कि कुछ कहना ही नहीं है। आज ईस्ट बंगाल (पूर्वी बंगाल) से जो तूफान आ रहा है उसने हमारे तमाम देश के भीतर एक तूफान ला दिया है। इसलिये जब तक हम इस मसले (समस्या) को हल नहीं कर लेंगे तब तक कोई मसला हमारे देश का हल नहीं हो सकता। कल-परसों की बात है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस के बारे में कुछ अल्फाज कहे, और वह बड़े डिगनीफाइड (सभ्य) अल्फाज थे। उनकी समूचित (भाषण) स्पीच तकरीबन डेढ़ घंटे तक हुई, जिसमें से वह कोई पांच या सात मिनट एग्जोडस (सामूहिक निष्क्रमण) के ऊपर भी बोले। वैसे तो उन्होंने सारी बातें कह दी थीं, लेकिन मैं दो तीन बातें पांच मिनट में कह देना चाहता हूं। एक बात हमारे प्रधान मंत्री ने यह कही थी कि यह जो एग्जोडस हो रहा है उससे हिन्दुस्तान को तो नुक्सान हो ही रहा है लेकिन सब से ज्यादा नुक्सान हिन्दुस्तान का न होकर पाकिस्तान का होने वाला है। आम लोग भी यही बात कहते हैं, लेकिन अगर एक जिम्मेदार आदमी ऐसी बात कहे तो उसमें वजन होता है। मैं समझता हूं कि उनकी बात में काफी वजन था भी। उन्होंने मिसाल दी थी कि वीवर्स (बुनकर) जैसे काम करने वाले आदमी यूरोप और फ्रांस से इंगलैंड भाग कर आये थे। मैं समझता हूँ कि पंडित जी ने जो अल्फाज कहे वह सब मे ज्यादा वजनदार इसलिये थे कि उन्होंने बतलाया कि पाकिस्तान की बुनियादी पालिसी जो है वह गलत है। उनके दिल में इत्मीनान नहीं है, डर है। और उनके जितने भी काम होते हैं वह सब डर की नीति पर ही चल रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वह आप जानते हैं। पार्लियामेंट में भी वहां पर एक बात कही गई कि हर एक आदमी बुजदिली में आकर काम करता है। पाकिस्तान 'सीटो' में शामिल हुआ, बगदाद पैक्ट में शामिल हुआ, इस डर से कि उसको हिन्दुस्तान खा लेगा। आज जब पाकिस्तान इस्लामी रिपब्लिक (गणराज्य) हो गया है तब भी वही बात है। हर चीज में उनके अन्दर डर पाया जाता है। उन्होंने कहा कि हम तो सेपरेट एलेक्टोरेट (पृथक् निर्वाचक) रखेंगे, हालांकि वहां पर हिन्दू माइनारिटी (अल्प संख्या) में हैं फिर भी उनको उनसे डर है। आज उस मुल्क के अन्दर हर चीज की बुनियाद में डर होने की खास वजह यह है कि उसके पिता ने उसको घुट्टी में ही डर भर दिया था। जिस वक्त जिन्ना साहब ने यह पाकिस्तान बनाया उस समय भी उस की बुनियाद में डर ही था। मैं तो ऐसा महसूस करता हूं कि जितने भी उनके आमाल हैं उन सब की जड़ में डर है। हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, लेकिन मैं तो इस बात का मुन्तजर था कि वह कोई इस सिचुएशन (परिस्थिति) का हल बतलाते कि आखिर लोग क्या करें। यह भी कह गया था कि जो वजीर (मंत्री) हैं पाकिस्तान गवर्नमेंट के या ईस्ट पाकिस्तान के, उनका भी कोई इरादा वहां के हिन्दुओं को निकालने का नहीं है, पंडित जी ने भी कहा कि उनको विश्वास है कि पाकिस्तान सरकार का इरादा नहीं हैं कि हिन्दुओं को वहां से निकाला जाये। लेकिन आखिर इसका हल क्या है ? आज सबसे बड़ा सवाल यह है। मैं तो यह महसूस कर रहा हूं कि जिन्ना साहब की पालिसी का नतीजा यह हो रहा है कि वहां से हिन्दुओं को निकाला जा रहा है। आप को यह भी पता है कि पख्तूनों के बारे में जो उन लोगों की पालिसी है उसकी भी एक ही वजह है और वह है उनका डर। लेकिन एक दिन आयेगा कि जैसे रूस के अन्दर क्रुशेव और निकोयान पैदा हुये उसी तरह से पाकिस्तान में भी क्रुशेव और निकोयान पैदा होंगे और कहेंगे कि जिन्ना

†मूल अंग्रेजी में

[लाला अचित राम]

जो था, **ही वाज एनिमी नम्बर वन आफ दि मुस्लिम्स आफ इंडिया एंड पाकिस्तान** (वह भारत और पाकिस्तान के मुस्लिमों का सबसे बड़ा शत्रु था)। पाकिस्तान से ही यह आवाज निकलेगी। मेजारिटी (बहुमत) की पब्लिक ओपीनियन (जनमत) यह होगी।

श्री मेहर चन्द खन्ना : पाकिस्तानी मुस्लिम्स।

लाला अचित राम : पाकिस्तानी मुस्लिम कहेंगे। खैर, यह तो उनका मामला है। लेकिन हम क्या करें? मैं समझता हूं कि आज दुनिया के अन्दर लाख कोई जोर लगाये, सबसे बड़ी चीज वर्लड पब्लिक ओपीनियन (विश्व लोक सम्मति) है। चाहे उसके खिलाफ ब्रह्मा ही क्यों न हो, कोई महात्मा ही क्यों न हों। दुनिया में पब्लिक ओपीनियन की परवाह किये बगैर कोई सरकार जिन्दा नहीं रह सकती। आज जो पाकिस्तान बना है, आखिर वह किस बुनियाद पर बनाया गया? वह पब्लिक ओपीनिन पर बना है। हिन्दुस्तान के वास्ते रास्ता यह है कि वह पब्लिक ओपीनियन क्रियेट करें। डेढ़ घंटे हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने तकरीर की, सिर्फ काश्मीर के बारे में वजाहत (व्याख्या) करने के लिये ताकि वह हिन्दुस्तान की पालिसी बता दें, पाकिस्तान आये दिन प्रोपेगन्डा करता है कि काश्मीर हिन्दुस्तान के साथ रह नहीं सकता, क्योंकि काश्मीर में मुसलमान ज्यादा हैं। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस एक्सोडस के मसले को हल करें तो उस के लिये रास्ता यही है कि आप सच्चाई का दुनिया में प्रचार करें। क्या आप यह सुन सकते हैं कि रूस के आदमी रूस से निकल जायें? क्या आप इस बात को समझ सकते हैं कि इंग्लैंड का जो (नागरिक) सिटिजन है वह वहां से निकल जाये? क्या अमरीका का सिटिजन अमरीका से निकाला जा सकता है? इस चीज का कभी ख्याल भी नहीं किया जा सकता। यह गजब की बात है कि पाकिस्तान में इतना भारी बेइंसाफी और इतना ज्यादा जुल्म हो रहा है। विदेशों से सैकड़ों आदमी आते हैं वह हमारी तारीफ करते नहीं थकते। वह हमारे बड़े हमदर्द होते हैं। उनको एड्रेस पेश किये जाते हैं। उनको यहां से वहां ले जाया जाता है और वहां से और जगह ले जाया जाता है। दीवानेखास में उनको हम ले जाते हैं और लाल किले में हम उनको एड्रेस पेश करते हैं। गोआ के मुताल्लिक वे कहते हैं, काश्मीर के मुताल्लिक कहते हैं। लेकिन गजब की बात है यह इस एक्सोडस के बारे में कोई भी अपना मुंह नहीं खोलता। हर रोज एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, दो हजार आदमी ईस्ट बंगाल से आ रहे हैं। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब आये और वह लॉन में बातें कर रहे थे। कई तरह की बातें उनके साथ हो रह थीं लेकिन एक्सोडस के बारे में कोई बात नहीं हुई। मैं कहूंगा कि भारत सरकार प्रचार न करने की अपराधी है। पिछले चन्द महीनों में आपके दोस्त मुल्कों के बड़े-बड़े आदमी यहां आये। इंडोनेशिया के, बरमा के, युगोस्लाविया के प्राइम मिनिस्टर और प्रेजीडेंट यहां आये। उनके आने का देश के अन्दर बड़ी गरमजोशी से इस्तकबाल (स्वागत) किया गया। यह एक अनहर्ड आफ इवेंट (ऐसी घटना जिसके बारे में कभी न सुना हो) था। किसी ने भी इस मामले के बारे में एक लफ्ज भी नहीं कहा। मुझे तारीफ करनी पड़ती है खन्ना साहब की कि उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी है। जब उन्होंने यह कहना आरम्भ किया तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। मैं चाहता हूं कि गवर्नमेंट आफ इंडिया इस मामले की सुध लें, वह यह देखे कि कितना पाप हो रहा है, कितना गुनाह हो रहा है। आज तो पाकिस्तान से हिन्दुओं को निकाला जा रहा है कल को दूसरे देशों से भी इन लोगों को निकाला जा सकता है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि कोई डेफिनिट स्टेप (निश्चित कार्यवाही) लिया जाये, अच्छा माहौल (वातावरण) पैदा किया जाये तभी मसला हल हो सकता है।

दूसरी बात यह है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जून में कामनवेल्थ कांफ्रेंस (राष्ट्रमंडल सम्मेलन) में शामिल होने के लिये जा रहे हैं। वहां दूसरे मसलों के बारे में बात करते हैं लेकिन इन बदनसीब लोगों के बारे में कोई बात नहीं की जाती है। यह कहा जा सकता है कि वहां पर इस मसले

के बारे में बात नहीं हो सकती। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप प्राइवेट लेटर (पत्र) लिख सकते हैं, पैम्फलेट भेज सकते हैं, लीफलेट्स भेज सकते हैं और इसी तरह का दूसरा प्रापेगंडा कर सकते हैं। आप न्यूजीलैंड के प्रधान मंत्री को, कनाडा के प्रधान मंत्री को और दूसरे प्रधान मंत्रियों को इसके बारे में इस तरह से जानकारी करा सकते हैं। आप उनको बता सकते हैं कि यहां पर क्या हो रहा है। इसमें शराफत में फर्क आने की कोई बात नहीं है। यह तो इन्साफ की बात है। इस वास्ते जो दूसरा कदम उठाना चाहिये वह यह है कि जो मैंने अभी बतलाया है।

तीसरी बात यह है कि यहां पर बुल्गानिन साहब आये, ख्रुश्चेव साहब आये और उन्होंने काश्मीर के मुताल्लिक, गोआ के मुताल्लिक बयानात दिये। उनका खूब स्वागत किया गया और लोगों ने उनके एलान की तालियां बजा कर स्वागत किया। काश्मीर का सवाल मेरे ख्याल में हल हो चुका है। यह जो लोग आ रहे हैं और जितनी भारी तादाद में ये आ रहे हैं इनमें से किसी ने इस मसले के बारे में कुछ नहीं कहा। कितनां जुल्म हो रहा है इसके बारे में पार्लियामेंट के किसी मैम्बर के दिल में इन लोगों के लिये कोई ख्याल नहीं आया है। कोई नहीं जानता कि इन पर क्या मुसीबत आ रही है। इसलिये मेरा सुझाव है यह कि समस्त संसार में अपने लिये सार्वजनिक सम्मति बनाये और मुझे आशा है कि आपको सफलता मिलेगी।

आज भी हिन्दुस्तान के अन्दर चार करोड़ के करीब मुसलमान रह रहे हैं। वे यहां के सिटिजन हैं। आज पंडित जवाहर लाल नेहरू की मेहरबानी से, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेहरबानी से यह फैसला हो गया है कि यहां पर कोई इवैक्वी ला (निष्क्रमण सम्बन्धी विधि) नहीं होगा और न ही कोई ऐसा लॉ है। किसी मुसलमान की जायदाद कोई नहीं ले सकता। इस वास्ते मैं कहूंगा कि जरूरत इस बात कि है ये मुसलमान भी अपने फर्ज को समझें। इस्लाम की बुनियाद क्या है। कुरान शरीफ मैंने पढ़ा है। कुरान शरीफ कहता है कि जो पड़ौसी हो उसकी आप परवा करो, अगर तुम्हारा पिता दूसरे मत का है तो उसको अपने सिर पर उठा कर उसके इबादत खाने में ले जाओ। इस तरह की आयतों पर आयतें पढ़ी जाती हैं। क्या आज पाकिस्तान कुरान शरीफ के मुताबिक चल रहा है?

श्री नंद लाल शर्मा : इस्लामी स्टेट है, पाकिस्तान।

लाला अचित राम : हां वह एक इस्लामी स्टेट है। मैं भारत के मुसलमानों को कहना चाहता हूं कि उठो और फर्ज को निभाओ। जो इस्लाम कहता है उसके मुताबिक हिम्मत से अमल करो। अगर आप हिन्दुस्तान की खिदमत करना चाहते हैं तो उसकी कुछ मदद करो। आप पाकिस्तान में जायें और उनको बतलायें। वे यह नारा लगाये "कि पाकिस्तान में हिन्दुओं से वैसा ही बर्ताव किया जाये जैसा कि वह चाहते हैं कि हिन्दुस्तान में मुसलमानों के साथ हो" आपकी जायदादें यहां पर महफूज (सुरक्षित) हैं और इनको हड़पने वाला कोई नहीं है। जो पार्लियामेंट के मैम्बर हैं उनकी जगहें भी महफूज हैं, उनको इन जगहों से कोई हटा नहीं सकता है। अगर आज पंडित नेहरू कह दें कि आपको यहां से खड़ा होना है इलैक्शन के लिये तो कोई आपके खिलाफ कांग्रेस का आदमी खड़ा नहीं होगा। वहां जाकर आप प्रापेगंडा करें और उनको समझायें और वहां पर पब्लिक ओपीनियन इसके फेवर (पक्ष) में क्रियेट करें। आप उनको कहें कि क्या वे लोग यह चाहते हैं कि आप वहां आ जायें और भारत उनसे छूट जाये। मुझे पक्का यकीन है कि वे लोग यही कहेंगे कि नहीं, हम यह नहीं चाहते। आप यहां पर महफूज इसलिये हैं कि गांधीजी ने हिन्दुओं और मुसलमानों में कोई भेद नहीं किया, उन्होंने सबको यहां शैलटर (आश्रय) दिया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि उन्होंने हिन्दू धर्म की भी रक्षा की है। उनकी कुरबानी बहुत बड़ी है। उनकी मौत एक हिन्दू के हाथों में हुई है। मैं कहता हूं कि अगर आप पाकिस्तान जाकर प्रापेगंडा करें तो वहां पर अगर कोई मुसलमान ही आपको मार दे तो कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तभी इस्लाम बच सकता है, तभी

[लाला अचिंत राम]

पाकिस्तान बच सकता है, तभी हिन्दुस्तान का भी भला हो सकता है। ऐसा करके ही आप इस्लाम की अच्छी खिदमत (सेवा) कर सकते हैं। आपके यहां से जाने के बाद आपके जितने भी इंट्रेस्टस (हित) हैं वे यहां पर सेफ (सुरक्षित) रहेंगे।

मैं पंडित नेहरू से इत्तिफाक (सहमत) करता हूं जब वह कहते हैं कि पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वह नहीं चाहती कि हिन्दू वहां से जायें। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है कि हिन्दू वहां से न जायें। जो जुल्म वहां पर हो रहा है उसको मैं भलीभांति जानता हूं। लेकिन कोई न कोई रास्ता निकलना अभी भी सम्भव है। मैं जानता हूं कि वहां पर रेप (बलात्कार) हो रहा है, एबडकशन (अपहरण) हो रहे हैं, घरों के ताले तोड़े जा रहे हैं, औरतों को मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है। यह चीज़ें दुनिया में पहले कहीं भी नहीं हुई हैं। इन सब चीज़ों में सच्चाई है इनको मैं मानता हूं। लेकिन इस मसले का हल निकलना कोई मुश्किल बात नहीं है। अभी-अभी पाकिस्तान के विदेशी मामलों के वज़ीर ने एक स्टेटमेंट निकाला है जिसमें उन्होंने कहा है कि जिन मामलों के बारे में समझौता नहीं हो सकता है उनको छोड़ दिया जाये और जिनके बारे में समझौता हो सकता है उन पर समझौता कर लिया जाये। मैं इसको एक बहुत ही संसीबल (बुद्धिमत्तापूर्ण) स्टेटमेंट समझता हूँ। यह एक बहुत ही अकल की चीज़ है। आपको इसे वेलकम (स्वागत) करना चाहिये। हमें उन मामलों के बारे में समझौता कर लेना चाहिये जिन पर कि समझौता हो सकता है। हम काश्मीर का निर्णय नहीं कर सकते तो यह तो करें। आज कलकत्ता के अन्दर हज़ारों मुसलमान आकर नौकरी करते हैं। मैं नहीं चाहता कि उनको निकाल दिया जाये। लेकिन हमें उन लोगों को यह सब चीज़ें तो अवश्य बतलानी चाहियें। हमें उनको यह सब चीज़ें अवश्य समझानी चाहिये और उनके साथ नेगोशियेट (बात चीत) करना चाहिये। हम उनको कहते हैं कि हम कोओपरेट (सहयोग देने) करने को तैयार हैं। पहले नेहरू-लियाकत पैक्ट हुआ था और पहले पहल वह काफी सफल रहा। दो-तीन साल तक उस पर अच्छी तरह से अमल किया गया। अब भी मैं यह समझता हूं कोई ऐसा ही पैक्ट हो जाये और जिसे पाकिस्तान भी मंजूर कर ले तो बहुत अच्छा रहेगा।

यह तो बाहर की बात हुई। लेकिन सवाल यह है कि अब हम क्या करें। मुझे इस बात का अफसोस है कि आज ईस्ट बंगाल को फिर से बसाने का काम आल इंडिया बेसिस पर नहीं लिया जाता। बातें तो बहुत करते हैं लेकिन अमल नहीं किया जाता। मैंने देखा कि वहां ४५ या ५० हजार अनअटेच्ड (जिसका कोई सम्बन्धी नहीं) विमैन (स्त्रियां) हैं उनमें से ४५ हजार तो बंगाल में रहती हैं बाकी पांच हजार बाहर रहती हैं। अभी तक वहां से ३७ लाख हिन्दू आये हैं। उनमें से कोई २७ या ३० लाख तो वैस्ट बंगाल में बसते हैं। खन्ना साहब ने उनको बाहर बसाने की बहुत कोशिश की, कई कानफरेंसेज़ की गयीं और उनमें बहुत सी बातें भी कही गयीं लेकिन इस काम के लिये स्टेट्स ने अभी तक १५ हजार एकड़ जमीन दी है जिसमें से १० हजार एकड़ बिहार में है और बाकी और जगह।

श्री गिडवानी : वह भी मिलेगी ?

लाला अचिंत राम : यह तो मदद करने का मखौल उड़ाना है यह तो इंडियन नेशनलिज्म की माकरी है। मैं तो कहूंगा कि इस काम के लिये तो आपको एक बोर्ड बनाना चाहिये जिसमें आपका इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर (उद्योग मंत्री) हो, होम मिनिस्टर हो, और इस काम को वार बेसिस (युद्ध आधार) पर चलाया जाये। अगर पाकिस्तान ने लड़ाई शुरू कर दी होती तो भी मैं समझता हूँ कि इससे ज्यादा बुरी हालत लोगों की न होती। आज तो बंगाल में लोगों को रहना मुश्किल हो गया है। पंजाब की बात और थी। वहां अगर हिन्दू आये तो मुसलमान भी चले गये और जगह छोड़ गये। लेकिन बंगाल में तो कतई दूसरी हालत है।

दूसरी बात इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इस बारे में सन्त विनोबा से बात की थी। उन्होंने कहा कि भूदान यज्ञ के सिलसिले में जो जमीन बिहार में मिली है उसमें से कुछ इस काम के लिये दी जा सकती है। मैं मिनिस्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वे सन्त विनोबा से मिलें। मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि जो उनको जमीन अपने एफर्टस (प्रयत्न) से मिली है उस १५,००० एकड़ जमीन से ज्यादा जमीन विनोबा जी से मिल सकती है।

चटर्जी साहब ने कहा था कि आपकी स्कीमों का कोई रिजल्ट (परिणाम) नहीं निकलता। मैं किसी की खुशामद नहीं करना चाहता लेकिन इतना मैं कहूँगा कि खन्ना साहब ने इस काम में जान डाल दी है। हम अपनी कमजोरी को छिपाना नहीं चाहते कि हम हिन्दुओं का हिन्दुस्तान आना नहीं रोक सके। अपनी कमजोरी छिपाना पाप है। लेकिन इस वजह से यह कहना ठीक नहीं कि हमने वहां से आने वालों के साथ कुछ नहीं किया। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर गलत बात की हम आलोचना करें तो अच्छी बात को तो हमें अच्छा कहना चाहिये।

एक बात मैं काश्मीर के बारे में कहना चाहता हूं। वहां तो वास्तव में बड़ी सीरियस सिचुएशन (गम्भीर स्थिति) हुई। वैस्ट पाकिस्तान से जो हिन्दू आये थे उनको तो जो मुसलमान गये उनकी जगह में से हिस्सा दे दिया गया और उनको रुपये में चार आना, पांच आना जो भी मिल सकता था मिला। जो हिन्दू ईस्ट बंगाल से आ रहे हैं उनको भी इन आठ सालों में अपनी जायदाद को कुछ न कुछ बेचने का मौका मिला। लेकिन जो लोग काश्मीर से आये उनको तो कोई भी मौका नहीं मिला। उन पर तो हमला हुआ और कोई डेढ़ लाख आदमी इधर आ गये। इन आठ बरस तक आप ससपेंस (अनिश्चयता) में रहे कि उनके क्लेम लें या न लें क्योंकि वे तो हमारी ही टैरीटरी (प्रदेश) के रहने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमारे प्रधान मंत्री का स्टेटमेंट हुआ उससे तो यही मालूम होता है कि अब पाकिस्तान में जनमत संग्रह नहीं हो सकता। अब तो एक तरह से यह फैसला हो गया कि पाकिस्तान हैल्ड (अधिकृत) टैरीटरी में ये लोग नहीं जा सकते। ऐसी हालत में आप उनके क्लेम इनवाइट (मांगिये) कीजिये। ये डेढ़ लाख आदमी हैं। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हुआ है वह एक तरह से सीलिंग (अन्तिम) स्टेटमेंट है। उसका लोगों पर यह असर हुआ है कि काश्मीर में अब प्लेबीसाइट (जनमत संग्रह) नहीं हो सकता। इसलिये मैं आपसे कहूंगा कि आप उनके भी क्लेम उसी तरह से इनवाइट कीजिये जैसे कि आपने पाकिस्तान से आने वालों दूसरे लोगों के इनवाइट किये थे। उनकी सबसे ज्यादा कुर्बानी है। मैं इस मामले के डिटेल्स (ब्योरे) में नहीं जाना चाहता। मुझे यह देख कर दुःख होता है कि वे बेचारे वहां से भी मार खा कर आये और यहां भी उनके लिये कोई आखिरी फैसला नहीं किया गया है। मुझे यह जान कर खुशी हुई कि आप सोच रहे हैं कि उनको असिस्टेंस (सहायता) दी जाये। लेकिन अभी आपने उनका क्वांटम (अभ्यंश) मुकर्रर नहीं किया है। मैं कहूँगा कि आप कृपा करके उनके साथ वैसा ही सलूक करें जैसा कि वैस्ट पाकिस्तान से आने वाले दूसरे लोगों के साथ आपने किया। मैं जानता हूँ कि आप बोल्ड स्टेप (साहसपूर्ण कार्यवाही) लेने के आदी हैं। अगर इस मामले में भी आप बोल्ड स्टेप ले लेंगे तो इन लोगों का बहुत भला हो जायेगा।

इसके अलावा चन्द बातें मुझे पंजाब के बारे में कहनी हैं।

पहली बात तो मुझे यह कहनी है कि आपने तो अपने यहां से इवेक्वी ला हटा दिया इसलिये जो हिन्दू लोग यहां आये हुए हैं उनके लिये तरह-तरह के रेस्ट्रिक्शन (प्रतिबन्ध) पैदा हो गये और उनको मकान नहीं मिल रहे हैं। इसलिये मैं आपको कहूंगा कि आप यह उसूल बना लीजिये कि जो भी आदमी वैस्ट पाकिस्तान से रिफ्यूजी हो कर आये हैं, चाहे वे राजस्थान में हों, या बम्बई में हों या और किसी जगह हों, उनको मकान दिया जाये। अगर आपको तसल्ली हो जाये कि फलां आदमी उन ४७ लाख में से एक है जो कि पाकिस्तान से यहां आये हैं तो आपको उसे मदद देनी चाहिये।

[लाला अचिंत राम]

दूसरी बात मुझे इंस्टालमेंट्स (किस्तों) के बारे में अर्ज करनी है। आपने चार इंस्टालमेंट का उसूल रखा है। मैं समझता हूं कि वह ठीक नहीं है। गवर्नमेंट दूसरी पंचवर्षीय योजना पर इतना रुपया खर्च कर रही है। क्या वह इन लोगों के साथ कुछ रियायत नहीं कर सकती। अगर इंस्टालमेंट्स का नम्बर बढ़ा दिया जाये तो इनको बहुत राहत मिल सकती है। आखिर ये लोग रुपया वापस तो देंगे ही। ले कर चले तो नहीं जायेंगे।

इसके अलावा मुझे उन रिफ्यूजीज़ के बारे में कुछ कहना है जो कि अपने रिश्तेदारों के पास रहते रहे हैं। अब तक उन्होंने अपनी डिमांड आपके सामने नहीं रखी। लेकिन अब आप उनको मकान दें, रिलीफ दें, जो कुछ ठीक समझें दें।

इसी के साथ मैं टी० वी० पेशेंट्स की तरफ भी आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ। मुझे यह जान कर दुःख हुआ कि ईस्ट बंगाल के रिफ्यूजीज़ में ३,००० टी० वी० के पेशेंट्स (रोगी) हैं मगर सिर्फ ५०० वैड्स का ही इन्तिजाम किया गया है। इन वैड्स को बढ़ाया जाये। जब रिफ्यूजी पेशेंट इनके पास जाते हैं तो खन्ना साहब कहते हैं कि तुम हैल्थ मिनिस्टर (स्वास्थ्य मंत्री) के पास जाओ। उनके पास जाते हैं तो कहा जाता है कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्टर (पुनर्वास मंत्री) के पास जाओ। अब आप बतलाइये कि वे बेचारे कहां जायें।

अनएटेच्डस विमैन (निराश्रित स्त्रियों) की तरफ भी मैं आपकी तवज्जह दिलाना चाहता हूं। उनको ज्यादा तादाद में मदद की जानी चाहिये और उनके रहने का इन्तिजाम किया जाना चाहिये। इसी सिलसिले में एक अनएटेच्ड औरत मेरे पास आयी थी। वह कहती थी कि उसके रहने के लिये कोई जगह नहीं है। तो मेरा कहना है कि ऐसी औरतों के लिये और टी० बी० के पेशेंट्स (रोगियों) की तरफ आपको खास तौर से ध्यान देना चाहिये। मेरे पास एक आदमी आया था जो कि रिक्शा चलाता था। ऐसा करने से उसके लंग्स (फेफड़े) बैठ गये। वह अस्पताल में दाखिल होने गया तो उससे कहा गया कि जगह नहीं है। ऐसे आदमियों का जल्दी वन्दोबस्त किया जाना चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन लोगों की उम्र ६० या ६५ साल है उनके क्लेम्स को प्रायरिटी (प्राथमिकता) दी जानी चाहिये। कहा जाता है कि ये लोग झूठे मैडीकल सर्टिफिकेट दाखिल करते हैं। अगर आप ऐसा समझते हैं तो मैं कहूँगा कि आप उनको इंटरव्यू (मुलाकात) कीजिये और उनके साथ मुनासिब बरताव कीजिये।

शायद आपने अपने नोट में कुछ लिख दिया होगा उसकी वजह से बहुत से आदमी अनआथोराइज्ड (अनाधिकृत) कह कर हटाये जा रहे हैं। यों तो हम सभी अनआथोराइज्ड हैं। मगर मैं कहना चाहता हूं कि आप अगर उनको मकान न दें तो कम से कम जगह तो दीजिये। वे अपना मकान खुद बना लेंगे।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : हम दोनों शरणार्थी हैं।

†**लाला अचिंत राम** : इसीलिये मैं कहता हूँ कि हर व्यक्ति को मकान, पानी और बिजली की सुविधा मिलनी चाहिये।

इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने कहा है कि मकानों का किराया कैपीटलाइज़ कर दिया जाय यानी इकट्ठा करके लिया जाय। इसके लिये उनको फोर्स (मजबूर) नहीं करना चाहिये। यह पावर आप अपने हाथ में न लीजिये।

मुझे बड़ी खुशी है गवर्नमेंट ने खन्ना साहब को यह पोर्टफोलियो दिया। उन्होंने इस काम में जान डाल दी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री एस० सी० सामन्त : (तामलुक) : यदि हम भारत में शरणार्थी और पुनर्वास की समस्या को दस वर्षों में हल नहीं कर सके तो मेरी राय में वह संसार का दसवां आश्चर्य है। उसे हल करने के लिये १९५० में नेहरू-लियाकत समझौता हुआ था। यदि हम विश्लेषण करें तो हम यह पायेंगे कि हमारी ओर से समझौते के एक शब्द का भी उल्लंघन नहीं किया गया है, किन्तु जैसा कि माननीय मंत्री ने कल बताया पाकिस्तान उक्त समझौते की क्रियान्विति में पूर्ण रूप से असफल रहा है।

इस सदन में १९५० में जब समझौते के प्रश्न पर चर्चा की गई थी तो हमारे प्रधान मंत्री ने कहा था कि पाकिस्तान से वार्ता करना ही एकमात्र उपाय था, और उसका विकल्प युद्ध था। हम युद्ध नहीं चाहते थे इसलिये हमने वार्ता करना ही ठीक समझा। उस समय प्रधान मंत्री ने कहा था :

> "पाकिस्तान एक विदेशी सरकार है। विदेशी सरकार से व्यवहार करने के सामान्यतः दो तरीके होते हैं। एक तरीका वार्ता का है जिसके ज़रिये दबाव डाला जा सकता है। यह दबाव चाहे राजनीतिक, आर्थिक, राजनीयिक हो किन्तु बुनियादी तौर से वार्ता का वही तरीका है। उसका विकल्प युद्ध है।"

इसके बाद उन्होंने कहा :

"निस्संदेह एक बीच की स्थिति हो सकती है—न युद्ध और न शांति ही—सम्बन्ध विच्छेद की"।

अब स्थिति यह है कि पूर्वी बंगाल से भारत आनेवाले शरणार्थियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री द्वारा १९५० में जो विकल्प बताया गया था उसे वह स्वीकार कर ले। सरकार का यह कर्तव्य है कि युद्ध के अतिरिक्त जो भी विकल्प उपलब्ध उसे वह स्वीकार करे।

पश्चिम बंगाल की जनता पर ३७ लाख अतिरिक्त लोगों का भार आ पड़ा है। क्या आप इस बात की कल्पना कर सकते हैं कि हम किस प्रकार रह रहे हैं। इन सब बातों का कारण विभाजन ही है। विभाजन को समूचे भारत ने स्वीकार किया था इसलिये विभाजन के जो परिणाम हों उन्हें बंटाने में भी समूचे भारत को योग देना चाहिये। मेरे कुछ मित्र यह कह सकते हैं कि वह आर्थिक सहायता दे रहे हैं, किन्तु धन ही तो सब कुछ नहीं है। आखिर इतने लोगों को रहने के लिये स्थान भी तो आवश्यक है। कोई चार हज़ार व्यक्तियों को अण्डमान भेजा गया है और मैंने वहां जाकर देखा है कि वह कुछ संतुष्ट हैं। मेरा ख्याल है कि विस्थापितों को वहां बसाने के लिये और तरीके खोजे जाने चाहियें। कम से कम एक लाख विस्थापितों को वहां बसाया जाय। प्रत्येक राज्य को चाहिये कि वह आगे आकर पश्चिम बंगाल की इस भार को हल्का करने में सहायता दे। मैं जानता हूँ कि बारह राज्यों ने कुछ विस्थापितों के पुनर्वास का भार वहन करने का सुझाव दिया है। किन्तु कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया जा सकता है और किस प्रकार से ?

कुछ लोग पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों पर यह आरोप लगाते हैं कि वह राज्यों में जाकर वापस लौट आते हैं। मेरा आप से अनुरोध है कि आप इस मामले की तह में जाइये। मैंने अभी कहा कि वह अण्डमान में शांतिपूर्वक रह रहे हैं। इसलिये उन्हें विभिन्न स्थानों को ले जाने से पूर्व उचित वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिये। माननीय मंत्री बड़े उद्योगों की स्थापना करने और वहां शरणार्थियों को बसाने के लिये प्रयत्नशील हैं किन्तु उनकी आठ-नौ योजनायें सफल नहीं हो रही हैं। इसके क्या कारण हैं।

शरणार्थी समस्या को सरकार ने एक साधारण घटना के रूप में लिया है किन्तु वह एक साधारण घटना कदापि नहीं हो सकती है। हमारे प्रदेश में प्रतिदिन एक हज़ार शरणार्थी आ रहे

[श्री एस० सी० सामन्त]

हैं। यह एक असाधारण बात है जिसके बारे में असाधारण कार्यवाही की जानी चाहिये। माननीय मंत्री को मौक़े पर ही निर्णय कर देने की शक्ति दी जानी चाहिये। यदि आवश्यकता हो तो वित्त मंत्री को वहां एक समिति भेजनी चाहिये जो उन्हें मौके पर निर्णय करने में सहायता दे।

मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव इस बात की शिकायत कर रहे थे कि माननीय पुनर्वास मंत्री पश्चिम बंगाल में एक लम्बे अर्से रहे हैं। मेरा उनसे नम्र निवेदन है कि जब माननीय मंत्री दिल्ली में नौ वर्ष रहे तो पूर्वी पाकिस्तान में क्या हो रहा था। और पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों के साथ कैसा व्यवहार हो रहा था? अब भी पुनर्वास मंत्री पश्चिम बंगाल में छः मास से कम ही रहते हैं।

निक्रमण का प्रश्न बहुत विराट है, यह प्रत्येक व्यक्ति जानता है और उसे निकट भविष्य में हल किया जाना चाहिये। इस समय कोई एक हजार व्यक्तियों का प्रतिदिन निक्रमण हो रहा है किन्तु सम्भव है कि आगे यह संख्या अधिक हो जाये। ऐसी स्थिति यदि आती है तो क्या हम अपने दायित्वों का त्याग कर सकते हैं। ऐसा करना सम्भव नहीं है इसलिये माननीय पुनर्वास मंत्री उन तरीकों पर पूर्ण विचार करें जो वह और उनकी सरकार अपना सकती है।

किन्तु हमें मौजूदा स्थिति का सामना करना है और इसके लिये हमें मंत्रालय को सशक्त बनाना होगा। सशक्त बनाने से मेरा तात्पर्य यह है वह संवैधानिक और वैधानिक कठिनाइयां, जो माननीय मंत्री को अविलम्ब कोई निर्णय करने से रोकती हैं, दूर की जानी चाहियें। उदाहरण के लिये, उन बारह राज्यों को लीजिये। उनमें पुनर्वास के लिये जो स्थान चुने गये थे उन्हें बहुत पहले ही कृषि योग्य बनाया जाना चाहिये था किन्तु पर्याप्त धन के अभाव में यह नहीं किया जा सका है।

मेरा माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह पश्चिम बंगाल में जाकर देखें कि जिन व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है अथवा किया जा रहा है उनकी क्या स्थिति है। पाकिस्तान का कथन है भारत शरणार्थियों को प्रलोभन देकर उन्हें पाकिस्तान से खींच रहा है। मेरा निवेदन है कि पूर्वी पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति आये और वह भी देख ले कि इन अभागे शरणार्थियों को हम क्या सुविधायें दे सके हैं।

उस दिन प्रधान मंत्री कह रहे थे कि दक्ष और प्रविधिक व्यक्तियों को पाकिस्तान छोड़ने की अनुमति दे कर पाकिस्तान ने गलती की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि शरणार्थियों में जो व्यक्ति ऐसे हों उनका उपयोग भारत के संसाधनों की खोज करने के लिये किया जाये।

अंत में मैं केन्द्र स्थित और अपने राज्य के पुनर्वास मंत्री को बधाइयां देता हूँ क्योंकि वह कठिन परिश्रम कर रहे हैं। पिछले आठ वर्षों में शरणार्थी पुनर्वास मंत्री से बहुत कम मिल पाते थे किन्तु अब वह शरणार्थियों के बीच बार-बार जाते हैं और उनके कष्टों को समझने का प्रयास करते हैं।

श्री एस० के० राजमी : (सिहोर) : मैं विरोधी पार्टी और उस लड़ाकी विरोधी पार्टी का मेम्बर होते हुए हुकूमत के साथ कोई बेइन्साफी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अच्छे काम की सराहना की जाय। लेकिन यह दुःख की बात है कि बहुत कोशिशों के बाद भी, बहुत खोजने के बाद भी मैं सच्चाई और ईमानदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज तक मुझे इस हुकूमत की जिन्दगी में कोई ऐसा काम नहीं मिला जिसकी सराहना और तारीफ की जा सके। जब हुकूमत के कामों को देखा जाता है तो उस के कामों के उन नतीजों को देखा जाता है जो देश में उभरते हैं।। उन नतीजों को देखते हुए मेरी समझ में यह आता है कि शायद हमारे मुल्क की किस्मत दोस्तों के हमदर्द हाथों के बजाये दुशमन के बेरहम

हाथों में चली गई है। यह बात हकूमत के किसी एक विभाग के लिये नहीं कही जा सकती, लेकिन अगर इसकी कोई बदतरीं मिसाल हो सकती है तो यह रिहैबिलिटेशन (बहालियत) का महकमा है। इस बारे में सिर्फ नेशनल लेवल पर ही नहीं जाना चाहिये था बल्कि इस मसले को इन्सानियत के नुक्ता निगाह से हल करना चाहिये था। इस मामले में कांग्रेस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी और भी ज्यादा थी। इसलिये कि जितने बेचारे लोग रिफ़्यूजी बने हैं, जिन्होंने अपने घर-बार छोड़े हैं, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से हिन्दुस्तान और पाकिस्तान की तकसीम को कबूल नहीं किया था। हमारे नेताओं ने हमें यह यकीन दिलाया था कि चाहे कुछ भी हो जाये लेकिन हिन्दुस्तान की तकसीम कबूल नहीं की जायेगी लेकिन तकसीम कबूल की गई। इसलिये कि जब हम तकसीम कबूल नहीं कर रहे थे तो उस वक्त हम जेल खानों में थे और तकसीम जब कबूल की गई तो हकूमत की गद्दियों पर बैठ कर की गई। उसके नतीजे में आज लाखों आदमी तबाह हुये ; यह हमारी इखलाकी जिम्मेदारी थी कि हम ईमानदारी के साथ रिफ्यूजियों के मसले को हल करते लेकिन नहीं किया। यह हम नहीं कहते हैं बल्कि ट्रेजरी बेंचिज़ पर बैठने वाले साथी मेम्बरों ने भी कहा है। कि आज दस साल गुजरने के बाद भी रिफ़्यूजियों का मसला वैसा ही उलझा हुआ मसला है जैसे कि शुरू में था और उसने ईस्ट बंगाल में बड़ी खतरनाक सूरत अख्तियार कर ली है। इस महकमे ने हिन्दू और मुसलमान दोनों को तबाह किया है ।

तू दोस्त किसी का भी सितमगार न हुआ था,
औरों पै वह जुल्म जो मुझ पर न हुआ था ।

तुम न हिन्दुओं के दोस्त हो न मुलमानों के। हकूमत के सामने तो कुछ खास तरह के ढंग हैं और उसने उन्हीं तरीकों से काम लेने का फैसला कर लिया है वह कभी भी इस बात के लिये तैयार नहीं हैं कि किसी भी मसले को इन्सानियत के नुक्ता नज़र से या डैमोक्रेटिक तरीके से, जिससे कि वह अपने आप को चैम्पियन कहते हैं, हल करें। मैं आपको एक ऐसी मिसाल बताता हूँ जिसके मुकाबले की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब की कोठी के बाहर कुछ रिफ्यूजी बैठे हुए हैं वह लोग कई दिनों से वहां पड़े हुए हैं। मैं पूछता हूँ सदाकत और ईमांन का वास्ता देकर पूछता हूँ कि कोई भी इन्सान जिसके दिल में जरा भी इन्सानी अज़मत है वह अपने दिल पर हाथ रख कर कहे कि अगर उसके मकान के बाहर एक आदमी मुसीबत ज़दा पड़ा हुआ चिल्ला रहा हो तो क्या वह किसी तरह भी अपने घर में इतमीनान से बैठ सकता है चाहे उसकी ज़िम्मेदारी हो या नहीं। मैं कहता हूँ कि रिफ्यूजियों के मसले को जिस तरह से लेना चाहिये था उस तरह से गवर्नमेंट ने नहीं लिया जितना रुपया खर्च किया गया मैं आपसे कहता हूँ वह रुपया तकरीबन सब बर्बाद हो गया और रिफ्यूजियों पर खर्च नहीं हुआ। उससे रिफ्यूजी तो नहीं आबाद हो सके, हां खर्च करने वालों के बहुत से परिवार ज़रूर उस रुपया से आबाद हो गये हैं।

आज भी बहुत सी स्कीमें आपके सामने हैं। इन स्कीमों पर आप करोड़ों रुपया खर्च करने का विचार रखते हैं। आप बहुत ज्यादा रुपया रिफ्यूजियों को ट्रेनिंग देने पर खर्च कर रहे हैं लेकिन आज ट्रेनिंग पाए हुए लोगों का क्या हाल है। क्या इस तरफ भी आपका ध्यान गया है। आज उनको नौकरी या रोजगार नहीं मिल रहा है। वह लोग भटकते फिरते हैं, कोई उनको पूछने वाला नहीं किस तरह की जिन्दगी यह लोग बसर कर रहे हैं। भोपाल में, बंगाल में, देहली में, और दूसरी जगहों पर क्या उसकी तरफ आपका ध्यान गया है ? अगर ट्रेनिंग पाये हुए लोगों का यह हाल तो दूसरों का क्या होगा। कई लोगों ने मुझ से आकर कहा है कि कोई रोज़गार नहीं मिल रहा है क्या करें। उनको किस्मत पर छोड़ देना ठीक नहीं है। आपको चाहिये कि जो लोग ट्रेनिंग पाये हुए हैं

[श्री एस० के० रजमी]

उनको रोज़गार देने का बन्दोबस्त आप करें। अगर आपने ऐसा न किया तो उनको कोई दूसरे तरीके अख्तियार करने पर मजबूर होना पड़ेगा। इसलिये मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप उनकी तरफ ध्यान दें।

अब जो माडल टाउनशिप की हालत है वह आपसे छिपी हुई नहीं है। कई जगहों पर आपने माडल टाउनशिप बसाए हैं। भोपाल में, फरीदाबाद में, नीलोखेड़ी में यह सब कुछ हो रहा है। लेकिन बेरोज़गारी वैसी ही वहां पर है जैसी कि पहले थी। रिफ्यूजियों की तकलीफों में कोई फर्क नहीं आया। मैं चाहता हूँ कि आप उनसे हमदर्दी से पेश आयें। मैं आप को एक बात बतलाना चाहता हूँ एक शख्स जिसने बड़ी मुश्किल से मैट्रिक किया वह भोपाल में एक नौकरी के लिये भटकता फिरता रहा है। लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली। आखिर में वह मेरे पास आया और उसने सारी बात मुझे बतलाई। उसने कहा कि क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आता। उसने मुझे बताया अब मेरे सामने दो ही रास्ते हैं एक तो यह कि खुदकशी कर लो और दूसरा यह कि मैं भूपाल छोड़कर चला जाऊं। भोपाल मैं छोड़ नहीं सकता क्योंकि मेरे पास रुपया नहीं और खुदकशी का रास्ता ही मेरे पास बाकी रह जाता है। उसने मुझे यह भी बतलाया कि मैंने ६० दरख्वास्तें दी हैं, लेकिन कोई पूछता नहीं। मैंने उससे कहा कि एक चार्ट बना कर ले आओ। उसने एक चार्ट बनाया जिसमें सारी डिटेल्ज़ दी गई। मैंने उस चार्ट को चीफ कमिश्नर के पास भेज दिया। चीफ कमिश्नर साहब ने उसे नौकरी तो दे दी लेकिन साथ ही यह भी कह दिया कि चूंकि तुम सोशलिस्टों के पास गये हो इसलिये बहुत खराब आदमी हो। उसने जवाब दिया कि मैं पहले कांग्रेसियों के पास गया लेकिन किसी ने मेरी मदद न की——हार कर मैं सोशलिस्टों के पास गया तो मुझ पर यह इल्जाम लगाया जाता है। इस तरह से आप रिफ़्यूजियों को रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते। फिनान्स मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम तैयार की है कि इस साल के अन्दर-अन्दर सब लोगों को रोज़ी दे दी जायेगी लेकिन इन दस सालों के अन्दर क्या होगा, यह कोई नहीं जानता क्या ये लोग जो बेरोजगार हैं जिन्दा भी रहेंगे। इन रिफ्यूजियों का एक-एक दिन बड़ी मुश्किल से गुज़र रहा है। मैं तो यह कहता हूँ कि आपके अफसर चन्द एक को छोड़कर, ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। जिस जज़्बे के साथ उन्हें काम करना चाहिये उस जज़्बे के साथ वे लोग काम नहीं कर रहे हैं। यह तरीका और यह बरोजगारी उन्हें तबाह कर देंगी। यही बंगाल में और यही दूसरी जगह हो रहा है।

मैं मानता हूँ कि आज जो लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं यह पाकिस्तान के लिये ठीक नहीं है। उससे न पाकिस्तान का और न हिन्दुस्तान का भला होने वाला है। यह बहुत खराब चीज़ है। लेकिन इसी के साथ ही साथ यह भी याद रखने की बात है कि इसके बहुत से कारण हैं जिनका अगर आप पता लगाने की कोशिश करेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस माइग्रेशन की सिर्फ यही बजह नहीं है कि पाकिस्तान बदमाशी कर रहा है। इसकी बहुत सी बजूहात हैं। आप भी किसी न किसी गलती पर हैं। आपकी फॉरेन पालीसी की बहुत तारीफ की जाती है और आप समझते हैं कि आपकी फॉरेन पालिसी ठीक है। जब यह पालिसी यहां पर डिस्कस होती है तो यह कहा जाता है कि जिस पालिसी पर चला जा रहा है वह ही सही है। जब ऐसी बात है तो क्या वजह है कि आप अपने पड़ौसी मुल्क के साथ कोई सैटलमेंट नहीं कर पा रहे। यह इसी का नतीज़ा है कि माइग्रेशन की रफ़्तार तेज़ हो रही है और आप इतना रुपया खर्च करने के बावजूद भी रिफ़्यूजियों की प्राबलम सॉल्व (हल) नहीं कर पा रहे हैं। और मसला रोजबरोज मुश्किल होता जा रहा है। यह प्राबलम तभी हल हो सकती है जब इसे नेशनल लेवल के साथ-साथ इन्सानी हैसियत से हाथ में लिया जायेगा। आप जिस तरह से इन मामलात को सुलझाते हैं, जिस तरह का बर्ताव आप इन लोगों से करते हैं, उससे तो ऐसा मालूम पड़ता है कि आपमें कोई इखलाकी और इन्सानी जज़्बा ही बाकी नहीं रह गया। आप

रिफ़्यूजियों की हमदर्दी हासिल करने की कोशिश नहीं करते हैं। अभी मकानों के बारे में आपने क्या पालिसी अपनाई है। राजेन्द्रनगर में इन मकानों के बारे में कितना ही शोर मचा है। आज गवर्नमेंट रिफ़्यूजियों के साथ विजिनैस कर रही है। और यह विजिनैस भी उसी किस्म का है जिस तरह का किसी जमाने में हमारे क़बाइली भाई यहां आकर किया करते थे। इस तरह से ये मामले सुलझाये नहीं जा सकते। इससे तो रिफ़्यूजियों के दिलों में आप अपने लिये कोई हमदर्दी पैदा नहीं कर सकते। आपको अपने इन्सानी पहलू से देखना होगा और तब मिलकर चलने की कोशिश करनी होगी। आपको उनका कोआपरेशन हासिल करना होगा। आप पाकिस्तान को गालियां देकर, जो कुछ वहां हो रहा है, उन बुराइयों को गिनते रहकर, इस प्राबलम को हल नहीं कर सकते। आपको अपनी गलतियां भी रास्त करनी होंगी, आपको कोई तजवीज़ इसको हल करने की ढूंढनी होगी। पाकिस्तान को ही गालियां देते रहना दुरुस्त नहीं है। हमें चाहिये कि हम यह भी देखें कि हम कहां पर गलती पर हैं, हमारे सामने जो लोग अब भी पाकिस्तान से आ रहे हैं उनके यहां आने पर रोक लगाने और पाकिस्तान से निपटारा करने के दो ही रास्ते हैं। आप चाहते हैं कि यह सवाल पीसफुल तरीकों से हल होना चाहिये। एक तो यह एप्रोच है और दूसरे एप्रोच जो हो सकती है वह है पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल। जहां तक मैं समझता हूँ आप पाकिस्तान के खिलाफ लड़ना नहीं चाहते और हथियार उठाने के आप खिलाफ हैं। और जाहिर है कि एक ही रास्ता रह जाता है और वह है पीसफुल एप्रोच का। अब सवाल यह पैदा होता है कि जो पीसफुल एप्रोच है वह कौन सी है और कैसे कामयाब हो। उसके रास्ते आपको खोजने होंगे। यह चीज़ है जो आपको तय करनी है। यकीनी तरीके पर आपकी फारेन पालिसी कहीं न कहीं गलत है। उसमें कहीं न कहीं कमी है जिसे आपको ढूंढना होगा। खाली इतना कह देने से ही कि पालिसी बहुत अच्छी है वह अच्छी नहीं बन जाती। देखने की चीज यह है कि वह पालिसी जिस पर कि हम चल रहे हैं, कामयाब साबित हो रही है या नहीं। मेरी राय में आपकी फॉरेन पालीसी का ही नतीजा है कि न सिर्फ बंगाल में ही बल्कि कश्मीर में चालीस लाख इन्सानों का रिफ़्यूजी कैम्प खुला हुआ है। जिस पर आप अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आपको इस मसले पर कांग्रेसी होने के नाते ही गौर नहीं करना होगा बल्कि पूरे देश की इन्सानियत के नाते देखना होगा। और इसके लिये सारे देश के अन्दर और बाहर खुशगवार फ़जा पैदा करनी होगी। जो लोग यहां लम्बी-लम्बी तक़रीरें करते हैं उनसे में अपील करूँगा कि वह इस मसले पर हमदर्दी के साथ सोचें। हमदर्दी का जज़बा अपने अन्दर पैदा करें और ईमानदारी से काम लें।

अब मैं बंगाल के उन बदनसीब डिस्पलेस्ड मुस्लमानों के बारे में थोड़ा सा कहना चाहता हूँ। यह कहा गया है कि उनकी आबादी वहां पर सात लाख और दस लाख के बीच है। मैं समझता हूँ कि उनकी आबादी दस लाख के करीब होगी——ये लोग हमेशा बंगाल में ही रहे और कभी पाकिस्तान नहीं गये। उनको उनकी जायदाद से महरूम कर दिया गया है और आज भी उनको उनकी जायदादें वापस नहीं की गई। आज ये लोग भटकते फिरते हैं, ये वे लोग हैं जिनको बंगाल में फ़सादात ने अपने घरों से दरबदर कर दिया। उनका पूछने वाला कोई नहीं उनको मकान और जायदाद देने की बात सीरियसली कनसिडर (गम्भीरतापूर्वक सोचकर) नहीं की जा रही। मैं चाहता हूँ कि हमारी कोशिश यह होनी चाहिये कि उनको जल्दी से जल्दी बसाया जाये। उनको यह कहा गया था कि वह अपने क्लेमों की अर्जियां अथारिटी के सामने पेश करें। जब तक उनका तसफीया नहीं होता तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। उसके साथ ही साथ यह कानून भी पास कर दिया गया और उन्हें यह कह दिया गया कि तसफीया हो जाने के बाद भी तब तक उनको कब्जा नहीं मिल सकेगा जब तक दूसरों के लिये, जो उनकी जायदादों और मकानों पर काबिज़ हैं, कोई ऑल्टरनेट अकामोडेशन नहीं मिल जाती। उसके साथ आल्टरनेट अकामोडेशन ढूंढने की कोशिश

[श्री एस० के० रजमी]

नहीं की जा रही है ? ये वे लोग हैं जिनकी पाकिस्तान के साथ कोई हमदर्दी नहीं है--पाकिस्तान के लिये कोई मुहब्बत नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान जाकर ये लोग वापस आये होंगे ।

श्री एस० के० राजमी : जी नहीं-- ये लोग पाकिस्तान गये ही नहीं -- ये लोग तो बंगाल में ही हमेशा से रहते हैं । उनकी हालत बहुत दर्दनाक है । बरसों बीत गये लेकिन उनकी जायदादें अभी तक वापस नहीं दी गईं । यही हालत राजस्थान के मेवों की है । जिनकी अर्जियों का फैसला हो चुका है उनको सर्टिफिकेट नहीं दिये जा रहे । उनका कितना ही रुपया, शायद लाखों करोड़ों रुपया, इस तसफिया कराने में खर्च हो चुका है और अब सर्टिफिकेट लेने में रुपया खर्च करना पड़ रहा है । आप आपने स्टाफ के आदमियों को तो बढ़ाते जा रहे हैं, यहां तक कि चपरासी साढ़े उन्नीस हज़ार से ज्यादा हो गये हैं जैसा कि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है, लेकिन काम पहले के मुकाबले में उतनी तेजी से नहीं हो रहा है । अभी एक भाई ने मुस्लमानों के बारे में कहा है । मैं कहता हूँ कि पहले आप फैसला कीजिये और यह तै कीजिये कि आपको पाकिस्तान के साथ क्या तरीका इख्तियार करना है । आप जो कदम उठायेंगे उसमें हिन्दुस्तान के मुसलमान आपका साथ देंगे । मुसलमान किसी से पीछे नहीं रहने वाले हैं । मुसलमान हर तरह से तैयार हैं । पहले आप अन्दरूनी तौर पर तै कर लीजिये कि आपको क्या कदम उठाना है---पाकिस्तान की क्या पालीसी है उसका हम पर कोई असर नहीं है--पहले आप तै कीजिये कि आपको क्या करना है जिस काम के करने की आपकी तैयारी होगी उसमें मुसलमान बराबर आपका साथ देंगे लेकिन आप तो जो यहां के हालात शाया करते हैं उनसे मालूम होता है कि हिन्दुस्तान जन्नत हो रहा है ।

हमारे कुछ भाई पंजाब गये थे, वे लौट कर आये उन्होंने कहा--

†**सभापति महोदय :** माननीय सदस्य अब अपना भाषण समाप्त करें ।

श्री अजित सिंह (कपूरथला-भटिंडा--रक्षित अनुसूचित जातियां) : सबसे पहले में गवर्नमेंट को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत काम किया है हम उजड़े हुए लोगों को बसाने के लिये । गवर्नमेंट ने जो पालिसी लोगों को बसाने के लिये बनायी है इसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं । लेकिन साथ ही मुझे यह कहते हुए दुःख होता है कि जो पालिसी हमारी गवर्नमेंट ने हम रिफ्यूजीज़ के बैटरमैंट (भलाई) के लिये बनाई उसको इम्प्लीमेंट (क्रियान्वित) करने में एग्जीक्यूटिव (कार्यपालिका) अथारिटी (पदाधिकारी) ने पूरा गौर नहीं किया और उसको रद्दी की टोकरी में फेंकने की कोशिश की । सबसे पहले मैं अपने वर्दी (योग्य) प्राइम मिनिस्टर को कोट करूंगा जिन्होंने अगस्त सन् १९४८ में कहा था :

"मानवता सम्बन्धी कारणों के अतिरिक्त भारत की भलाई के लिये भी यह आवश्यक था कि शरणार्थियों को शीघ्रातिशीघ्र बसाया जाये ।"

मुझे इस बात से बहुत खुशी हुई है कि हमारे प्राइम मिनिटर साहब रिफ्यूजीज़ को बसाने के लिये बहुत उत्साह रखते हैं और हमेशा चाहते हैं कि हमें अच्छी तरह से बसाया जाये । लेकिन जो पालिसी आज चल रही है मैं कुछ उसकी तस्वीर आपके सामने रखना चाहता हूं । हमने पिछले साल यह पास किया था कि जिस प्रापर्टी (सम्पत्ति) की कीमत दस हजार या उससे कम होगी उसको नीलाम नहीं किया जायेगा । बल्कि उस प्रापर्टी को उसमें रहने वाले के वैरीफाइड क्लेम (प्रमाणित दावे) के अगेन्स्ट (विरुद्ध) उसको दे दिया जायेगा । श्री अजित प्रसाद जैन ने भी सन् १९५४ में कहा था :

"सरकार द्वारा निर्मित मकानों में यदि मौजूदा अभिभोक्ता रहना चाहें और उनको खरीदना चाहें तो उन्हें वहां से हटाया नहीं जायेगा । जो विस्थापित व्यक्ति इन मकानों में रह रहे

†मूल अंग्रेजी में

हैं किन्तु जिनके कोई दावे नहीं हैं उन्हें मकान का उचित मूल्य सुविधाजनक किश्तों में अदा करने का अवसर दिया जायेगा ताकि वह मकान के मालिक बन सकें ।"

तो मैं आप को यही बतलाना चाहता हूं कि इस इंस्टालमेंट (क़िस्त) के बारे में श्री मेहर चन्द खन्ना जी की हकूमत ने क्या किया है। उन्होंने यह तै किया है कि मकान की जो कीमत हो उसका एक तिहाई या एक चौथाई एक क़िस्त में ले लिया जाये और जो बाकी साढ़े सात हजार या आठ हजार हो उसको तीन साल में ईक्वल इस्टालमेंट्स (बराबर किश्तों) में वसूल कर लिया जाये। यह ठीक है कि उन रूल्स (नियमों) को हमने ही बैठ कर बनाया है मगर मैं आप से अम्बली दरखास्त (नम्र अनुरोध) करता हूं कि उनको अमेंड (संशोधित) किया जाये। आपने राजस्थान के लोगों को १५ साल में रुपया अदा करने की छूट दे दी है इस तरह से मैं चाहता हूं कि यहां भी आप लोगों को २० साल में रुपया अदा करने की छूट दे दें। मैं ऐसा इसलिये यह कह रहा हूं कि जो किश्त आपने मुकर्रर की है वह लोग दे नहीं सकते। यह किस्त करीब २०० रुपये के होगी, अगर ठीक से वर्क आउट (आगजन) किया जाये तो यह १७५ रुपये महीने होगी। अब जो आदमी मुश्किल से महीने में १५० रुपया पैदा करता है वह इतना रुपया हर महीने कैसे अदा कर सकता है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मैं आनरेबल मिनिस्टर साहब से पूछ सकता हूं कि क्या इन किश्तों के असूल का हाउसेज़ पर भी लागू किये जाने का कोई प्रास्पेक्ट (संभावना) है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : क्या आप चाहते हैं कि मैं अभी एक वक्तव्य दे दूं ? पंडित ठाकुर दास भार्गव कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री अन्त में उत्तर दे सकते हैं या यदि वह चाहें तो वह अभी बोल सकते हैं ।

†**श्री मेहर चन्द खन्ना** : किन्तु आप चाहें तो मैं अभी उत्तर दे सकता हूं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : जैसी आपको सुविधा हो ।

श्री अजीत सिंह : मुझे आनरेबल मिनिस्टर साहब के चेहरे से मालूम होता है कि वह मेरी तजवीज़ को मंजूर कर लेंगे और इससे मुझे खुशी है।

श्री मेहर चन्द खन्ना : मुझे नहीं मालूम था कि आनरेबल मेम्बर ज्योतिषी भी · ·

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्री यदि इस विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना चाहते हों तो वह उत्तर दे सकते हैं और माननीय सदस्य अपना भाषण बाद में जारी कर सकते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : हमने जो अपने शरणार्थी भाइयों को राजस्थान में और बाहर बसने के लिये जमीनें दी हैं उनके बारे में हमने यह फैसला किया है कि उनको जो इन जमीनों की क़ीमत देनी है उसको वह १५ साल में दे सकते हैं। इन भाइयों की तादाद ५८,००० फैमिलीज़ (परिवार) है। पहले जो हमने इनके लिये मुद्दत मुक़र्रर की थी वह तकरीबन चार या पांच साल थी। करीब दो महीने हुए कि हमारे एडवाइजरी बोर्ड (परामर्शदाता बोर्ड) के कुछ रुक्नों (सदस्यों) ने और कुछ दूसरे भाइयों ने यह मामला हमारे सामने रखा। राजस्थान में जो हमारे शरणार्थी भाई बसे हैं उनमें हरिजनों की बड़ी तादाद है। उनके २५ या २६ हजार कुनबे वहां बसे हैं। उनको जब यह दस-दस एकड़ जमीनें मिली थीं तो उन भाइयों का यह ख्याल था कि यह उनके बसने के लिये मिली थीं और उनके दिमाग में शायद यह बात थी कि इन जमीनों की कीमत उनको नहीं देनी पड़ेगी। सन् १९५० में जबकि क्लेम मांगे गये तो इन लोगों से भी क्लेम मांगे गये मगर उनको तस्दीक नहीं किया गया। ऐसा इस लिये किया गया कि यह समझा गया था कि चूंकि इनको जमीनें मिल चुकी हैं इसलिये इनके क्लेम्स की जरूरत नहीं है। अब हमने यह फैसला किया है कि जो उनके क्लेम आये थे, और जिनको हमने

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मेहर चन्द खन्ना]

तस्दीक नहीं किया था उनको वैरीफाई (सत्याश्यत) करेंगे और उसके एवज़ में जो कुछ भी उनको कम्पेन्सेशन स्केल के मातहत मिलता है हम उनको मुजरा देंगे, और जो जमीन उनके पास है उसकी जो कीमत है उसका हम मुजरा लेंगे और जो रकम कि हमने उनको फूड लोन (खाद्यान्न ऋण) के तौर दी थी और जो कि अनकरीबन ३५ लाख रुपये है वह माफ कर देंगे।

अब जो सवाल आपके सामने आया है वह यह है कि आया वही सहूलियतें हम उनको भी दें जिनको रहने के लिये मकाम मिले हैं और वह मकान के मालिक बनना चाहते हैं। जो सवाल आपके सामने है वह यह है कि एक आदमी को तो जमीन मिली बसने के लिये तो अगर आज वह आदमी जमीन से निकाला जाय तो उस का रिहैब्लिटेशन (पुर्नवास) है वह मेरे ख्याल के मुताबिक ही नहीं बल्कि आपके ख्याल के मुताबिक भी खत्म हो जाता है। दूसरी तरफ एक आदमी वह है कि जिसका पाकिस्तान में मकान नहीं था, हिन्दुस्तान में वह मालिक मकान बनना चाहता है तो उसके लिये जो गवर्नमेंट की पालिसी है वह यह है कि वह उसकी क़ीमत दे और मालिक बने। अगर वह आज उस मकान में बसा है और उस मकान को मैं फरोख्त (विक्रय) करता हूं और उसका कोई दूसरा मालिक बन जाता है, तो जहां तक उसके मकान में रहने का सवाल है वह तो खत्म नहीं हो रहा है .....

श्रीमती सुचेता कृपालानी : सिर्फ दो साल के लिये।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप भी एडवाइज़री बोर्ड की मेम्बर हैं और जो मैंने इंस्टालमेंट्स (किश्तें) मुक़र्रर किये हैं वह ऐडवाइज़री बोर्ड के कंसलटेशन (परामर्श) से मुक़र्रर किये हैं। पंडित ठाकुर दास भार्गव ऐडवाइज़री बोर्ड के मेम्बर हैं। यह तो हो सकता है कि उन्होंने ५ के लिये कहा हो और मैंने ४ माना हो, इतना तो फ़र्क हो सकता है लेकिन मेरे और उनमें कोई मैटीरियल डिफ्रैंस (खास फर्क) नहीं है .....

लाला अचिंत राम : आप दोनों ग़लती कर सकते हैं।

श्री मेहर चन्द खन्ना : आप ज़रा ठहरिये। अब सवाल है रिहब्लिटेशन का और दूसरी तरफ सवाल ओनरशिप (स्वामित्व) का है। अब जहां तक रिहैब्लिटेशन का ताल्लुक है, उसमें तो ज़मीन से हर एक आदमी जो उजड़ता है या उखड़ता है तो उसका रिहैब्लिटेशन बिल्कुल खत्म हो जाता है तो हमने इसलिये कि उन भाइयों का रिहैब्लिटेशन खत्म न हो क्योंकि वह ज़मीनें उनको रिहैब्लिटेशन के लिये मिली थीं तो बावजूद इसके कि रूल्स इसकी इजाज़त नहीं देते, मैं रूल्स का अमेंडमेंट हाउस के सामने लाऊंगा और वह जल्दी ही आने वाला है और हमने सोचा कि उनकी मियाद १५ वर्ष कर दी जाय। लेकिन जो आदमी एक मकान का मालिक बनना चाहे तो उसको अपने मकान के मालिक बनने के लिये क़ीमत अदा करनी पड़ेगी और अगर आज वह मालिक नहीं बन सकता क्योंकि वह एक साथ इंस्टालमेंट्स नहीं दे सकता तो उसको दो वर्ष का स्पैशल प्रोटेक्शन (विशेष संरक्षण) है, बतौर किरायेदार के, और उसके बाद जो आर्डिनरी प्रोटेक्शन (साधारण) है वह उसके लिये मौजूद है। जहां तक गवर्नमेंट का ख्याल है गवर्नमेंट का कोई इरादा नहीं है कि, उन आदमियों के लिये जो कि मकानों में बस रहे हैं और जो मिलकियत चाहते हैं, उनके लिये जो इंस्टालमेंट्स मुकर्रर हैं, उनको तबदील किया जाय या उनको बढ़ाया जाय। इसकी पूरी वज़ाहत जब मैं अपनी जवाबी तक़रीर करूंगा उसमें ब्यान कर दूंगा और इसको और भी साफ़ कर दूंगा। यह नहीं कि गवर्नमेंट को उनके साथ हमदर्दी नहीं है। हम तो इस मुल्क में सोशलिस्टिक पैट्र्न का सामाजिक ढांचा क़ायम करना चाहते हैं। इसको वेलफ़ेयर स्टेट (कल्याणकारी राज्य) बनाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इस मुल्क के हर एक आदमी के पास मकान हो और वह बसे लेकिन मैं उसका यह मतलब नहीं

समझा था कि बसे तो 'अलिफ़' मकान में और 'बे' की जो मिलकियत थी उसे खत्म कर दिया जाय और 'बे' बिना मकान के सड़क पर हो जाय और अलिफ जिसका कि कोई मकान नहीं था, उसका मालिक बन जाय, इसकी वजाहत साहबे सदर मैं अपनी जवाबी तक़रीर में करूंगा ।

†**सभापति महोदय** : अब श्रीमती इला पालचौधरी अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अड़तालीसवां प्रतिवेदन

†**श्रीमती इला पालचौधरी** (नवद्वीप) : मैं प्रस्ताव करती हूँ :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ४८वें प्रतिवेदन से, जो २८ मार्च, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

†**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के ४८वें प्रतिवेदन से, जो २८ मार्च, १९५६ को सभा के समक्ष उपस्थित किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

मद्यनिषेध के लिये अन्तिम तिथि निर्धारित करने के बारे में संकल्प

†**सभापति महोदय** : अब सदन द्वारा मद्यनिषेध के लिये एक लक्ष्य-तिथि निर्धारित किये जाने के बारे में श्री सी० आर० नरसिंहन द्वारा २ मार्च १९५६ को प्रस्तुत किये गये संकल्प पर चर्चा की जायेगी ।

संकल्प पर चर्चा के लिये आवंटित समय में से अब आप की चर्चा के लिये केवल ५९ मिनट शेष हैं। श्री एल० जोगेश्वरसिंह अपना भाषण जारी रख सकते हैं। इससे पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि माननीय मंत्री कितना समय लेंगे ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्री (श्री नन्दा)** : कोई तीस चालीस मिनट । (**अन्तर्बाधाएं**)

†**सभापति महोदय** : अब स्थिति यह है कि चर्चा के लिये ५९ मिनट बाकी हैं। प्रस्तावक को उत्तर देने के लिये कुछ समय अपेक्षित होगा। क्या माननीय मंत्री चालीस मिनट का समय चाहते हैं।

†**श्री केशव अय्यंगार** (बंगलौर-उत्तर) गैर-सरकारी संकल्पों में भी माननीय मंत्री सारा समय ले लेते हैं .....

†**सभापति महोदय** : एक और सदस्य खड़े हैं जिन्हें कि बोलने का अवसर दिया जाना चाहिये। श्री कृपलानी भी बोलना चाहते हैं और मुझे विश्वास है कि सदन को उनके भाषण सुनने में दिलचस्पी है। इसलिये मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूँ कि क्या तीस मिनिट का समय उनके लिये पर्याप्त होगा ?

†**श्री नन्दा** : यदि इस मामले में सरकार के दृष्टिकोण को माननीय सदस्य सुनना नहीं चाहते हैं तो मेरे लिये तीस मिनट से भी कम समय पर्याप्त होगा।

†**सभापति महोदय** : हमारे समक्ष केवल यही विकल्प है कि हमें समय बढ़ाना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग): मैं प्रस्ताव करता हूँ :

कि मूल संकल्प के स्थान पर यह रखा जाये :

"कि इस सभा की राय है कि मद्यनिषेध को द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक अविभाज्य अंग समझा जाये और यह सभा सिफारिश करती है कि राष्ट्रव्यापी मद्यनिषेध तेजी से और प्रभावपूर्ण तरीके से करने के लिये योजना आयोग आवश्यक कार्यक्रम बनाये।"

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** (आन्तरिक मनीपुर) : मद्यनिषेध प्रभावशाली तरीके से लागू किया जायेगा अथवा नहीं इसके बारे में मुझे संदेह हैं। इसके सिद्धांत से मैं सहमत हूँ किन्तु मैं चाहता हूँ कि मद्यनिषेध को एक क्रमिक कार्यक्रम के रूप में लागू किया जाये न कि किसी देश व्यापी आधार पर।

मनीपुर, आसाम और त्रिपुरा की आदिम जातियों की और उन क्षेत्रों की दशा भारत की अन्य आदिम जातियों से भिन्न है। चूंकि मद्यनिषेध समिति ने उक्त क्षेत्रों का दौरा नहीं किया इसलिये वह उनकी स्थिति से परिचित नहीं है। यह इस बात से स्पष्ट है कि जब समिति ने मद्यनिषेध लागू किये जाने वाले क्षेत्रों का नक्शा प्रकाशित किया था तो उसमें त्रिपुरा को मनीपुर का नाम दिया था और मनीपुर को त्रिपुरा का। जब तक उक्त क्षेत्रों में जाकर आप उनकी वास्तविक स्थिति का पता नहीं लगाते हैं तब तक आप उनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते हैं। आदिम जातियां उन दुर्गम पहाड़ों में रहती हैं जो आधुनिक जीवन की सुविधाओं से दूर हैं और वहां लोक प्रथा और परम्परा के कारण शराब पीते हैं। प्रायः प्रत्येक घर में चावल से शराब बनाई जाती है और उत्सव आदि जैसे अवसरों पर सभी उसे पीते हैं।

आदिम जाति क्षेत्रों के आन्तरिक भागों में लोगों को चाय अथवा नींबू का रस या ऐसा कोई पेय उपलब्ध नहीं है। इसलिये वह दिनभर के परिश्रम के बाद एकत्रित होकर देशी शराब पीते हैं। वह अच्छे नागरिक हैं किन्तु उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वह देशी शराब के स्थान पर कोई अच्छा खाद्य अथवा अन्य पेय प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात पर विचार किया जाना आवश्यक है और फिलहाल वहां मद्यनिषेध लागू न किया जाये।

उनकी प्रथाएं परम्पराएं और आदतें इतनी जल्दी नहीं बदली जा सकती हैं। इसके लिये पहले शेष भारत के साथ उनका मनोवैज्ञानिक और सामाजिक सामंजस्य करना होगा। उनके सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण को बदलना आवश्यक है। इसके लिये आपको वहां एक सांस्कृतिक दल भेजना चाहिये जो उन्हें शराब पीने के दुष्परिणामों को समझाये। ईसाई मिशन वहां अच्छी सेवा कर रहे हैं। वहां जो व्यक्ति ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं वे शराब नहीं पी सकते हैं और यदि वे पीते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। इसलिये वे कभी शराब नहीं पीते हैं। वहां की जनता के कार्यों में सरकार की रूचि नहीं है और जनता गरीब है इसलिये वह शराब का आश्रय लेती है। इसलिये इन क्षेत्रों में द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया जाना चाहिये। इसके पूर्व आप वहां मद्यनिषेध लागू नहीं कर सकते हैं।

अफीम वही व्यक्ति खाते हैं जिनके पास लाइसेंस हैं। यदि चिकित्सक ऐसे व्यक्तियों की देख भाल करें तो अफीम खाने की इस बुरी आदत को छुड़ाया जा सकता है। कुछ दिनों पूर्व श्री नन्दा ने एक साधु सम्मेलन की अध्यक्षता की थी। यदि वह हिमालय की पहाड़ियों में रहने वाले साधुओं की एक सभा आयोजित करें और यदि सभी साधु इस संकल्प को पारित करें कि सभी तीर्थ स्थानों में गांजा पीना निषिद्ध है तो मेरा ख्याल है कि गांजा कोई नहीं पीयेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं अपने राज्य मनीपुर के बारे में कुछ कहूँगा। पहाड़ी क्षेत्रों में शराब बनाना ही कुछ व्यक्तियों का पेशा है। यदि उनके लाइसेंस रद्द कर दिये गये और उन्हें किसी प्रकार का रोज़गार न दिया गया तो वह बेकार हो जायेंगे। मुझे मद्यनिषेध के लागू किये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है किन्तु उसके फलस्वरूप जो व्यक्ति बेकार होंगे उन्हें रोज़गार दिया जाना चाहिये यही मेरा निवेदन है।

†**श्रीमती खोंगमेन** (स्वायत्त जिले--रक्षित-अनुसूचित जातियां) : मैं माननीय सदस्य से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। वह आदिम जातियों को आर्थिक सहायता देकर उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहते हैं। यदि सभी चावल की शराब बनाये जाने की अनुमति दे दी जाये तो उनके खाने के लिये क्या बचेगा ?

†**श्री एल० जोगेश्वर सिंह** : मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सभी चावल ....

†**सभापति महोदय** : शांति, शांति। माननीय महिला सदस्या ने अपने प्रश्न का उत्तर स्वयं दे दिया है।

†**आचार्य कृपालानी** (भागलपुर व पूर्निया) : मद्यनिषेध की वर्तमान रूप रेखा भारत में कुछ नई सी है। उसका सूत्रपात गांधीजी द्वारा किया गया था। उन्होंने मद्यनिषेध को न केवल नैतिक दृष्टिकोण से वरन् सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखा था। इसलिये राजनैतिक स्वतन्त्रता प्राप्ति के कार्यक्रम में उन्होंने उसे समाविष्ट किया था। उनके लिये राजनैतिक स्वतन्त्रता का तब तक कोई मूल्य नहीं था जब तक कि देश को आर्थिक व सामाजिक स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं होती थी और नैतिक सुधार नहीं किया जाता था।

अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि जबकि शेष कार्यक्रम की उपेक्षा की जा रही है या उसकी ओर कम ध्यान दिया जा रहा है तो क्या हम केवल इसी बात को कर सकते हैं ? वह चाहते थे कि जीवन को सरल बनाने का जो सर्वांगीण कार्यक्रम था उसका एक अंग मद्यनिषेध हो। किन्तु यदि हमारा जीवन सरल होने नहीं जा रहा है तो मेरा खयाल है कि मद्यनिषेध ठीक तौर से काम नहीं कर सकेगा। यदि हम मद्यनिषेध लागू करना ही चाहते हैं तो हमें नैतिक और सामाजिक सुधार और आर्थिक उन्नति करनी होगी। मेरा ख्याल है कि मधनिषेध उस हद तक सफल नहीं हुआ है जितना कि वह हो सकता था और इस की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि देश की जनता और अधिकारी गांधीजी के कार्यक्रम को कार्यरूप में परिणित करें।

आज का मद्यनिषेध अधिकांशतः पुलिस और कानून पर निर्भर है। दुर्भाग्य से हमारी पुलिस भी सदाचारी नहीं है। इसका अर्थ यह नहीं है कि मद्यनिषेध से मेरा विरोध है। मेरा खयाल है कि संसार के किसी भी देश में यदि मद्यनिषेध कहीं सफल हो सकता है तो वह देश भारत है। जब शिक्षित, धनी और तथाकथित फैशनपरस्त लोग शराब पीकर नशे के कारण जानवरों जैसा व्यवहार करते हैं तो मुझे उनसे कोई सहानुभूति नहीं होती है बल्कि मैं उनकी बेहूदगी का मज़ा लेता हूँ। किन्तु जब गरीब लोग गाढ़े पसीने की कमाई से अर्जित धन शराब में गंवाते हैं तो मुझे दुःख होता है और उनके प्रति सहानुभूति होती है। शराब का प्रभाव गरीबों पर, उनके परिवारों पर उनकी जीविका पर और उनके बच्चों पर पड़ता है इसलिये मुझे उनके प्रति बहुत सहानुभूति है।

जैसा कि मैंने कहा मद्यनिषेध सामाजिक कार्यक्रम का एक अंग है। यदि समाज पर उसका प्रभाव न पड़ता होता और यदि वह किसी व्यक्ति विशेष का प्रश्न होता तो मुझे किसीके शराब पीने में कोई आपत्ति न होती किन्तु यह एक सामाजिक समस्या है और भारत के निर्धन

†मूल अंग्रेजी में

[आचार्य कृपालानी]

व्यक्तियों की समस्या है। हमें एक सामाजिक कर्तव्य को पूरा करना है। हमारे उच्च और शिक्षित वर्गों को एक सामाजिक कर्तव्य को पूरा करना है। गीता में कहा गया है कि जैसा बड़े, सुसंस्कृत और शिक्षित लोग करते हैं वैसा ही गरीब भी करते हैं।

गांधी जी ने यह सुधार पुलिस की सहायता से शुरू नहीं किया था अपितु उन्होंने जन नेताओं को इस सम्बन्ध में कहा था। उनके ज़माने में बहुत से लोगों ने इसी आग्रह पर शराब पीना बन्द कर दिया, वह आदिम जातियों अथवा अन्य समुदायों के नेताओं को बुलाते थे तथा उनके सामने शराब न पीने के फायदे रखते थे। वह नेता अपनी पंचायतें बुलाते थे तथा इस पर विचार करके शराब-बन्दी का फैसला कर देते थे। हमें चाहिये कि हम इस विषय पर पुलिस और अदालतों पर ज्यादा खर्च न करके प्रचार कार्य पर विशेष ध्यान दें। केवल इसी तरीके से भारत में मद्यनिषेध सफल रह सकता है, यदि ऐसा न किया गया तो हमें इस मामले में उसी तरह हार होगी जैसे कि अमेरिका को हुई थी।

परन्तु यदि सरकार कानून द्वारा ही इसे लाना चाहती है तो उसे सब से पहले पुलिस का सुधार करना चाहिये।

दूसरी बात यह है कि मद्यनिषेध केवल तभी सफल रह सकता है जबकि इसे केवल किसी क्षेत्र विशेष तक ही सीमित न रख कर सारे भारत पर लागू किया जाये। ऐसा न होना चाहिये कि एक जिले में मद्यनिपेध हो तथा दूसरे में इसे पीने की खुली छूट हो, इस तरह की नीति असफल ही रह सकती है।

और एक बात यह है कि जब जनसाधारण पर मद्यनिषेध लागू किया जाय तो इसे फौजी भाइयों पर भी लागू किया जाना चाहिये।

और एक बात यह है कि मद्यनिषेध को किसी बेतुके ढंग से लागू नहीं किया जाना चाहिये। आप अपने उत्सवों अथवा समारोहों में अतिथियों को शराब मुहैय्या नहीं करते हैं किन्तु जब हमारे अधिकारी विदेशियों द्वारा दी गई पार्टियों में शामिल होते हैं तो वह भर-भर के शराब पीते हैं। मुझे मालूम नहीं कि क्या इस तरफ ध्यान देना सरकार के लिये सम्भव होगा कि हमारे अधिकारी विदेशी दूतावासों की ओर से दी गई पार्टियों में शराब न पीयें।

सरकार भले ही कहे कि वह गांधीजी के पदचिन्हों पर चल रही है, किन्तु सच्चाई यह है कि गांधीजी जिस ढंग से यह काम करना चाहते थे उस ढंग से यह नहीं हो रहा है। मैं मद्यनिषेध में दिलचस्पी रखने वाले सज्जनों से निवेदन करूँगा कि वह दिल्ली सरकार की नकल न करें। इस आज्ञा का कोई लाभ नहीं है कि अमुक होटल अथवा रेस्तोरां पर अमुक समय शराब पीना मना होगा, उन्हें चाहिये था कि वह सारे होटल वालों, क्लब वालों आदि को बुलाते तथा उनसे कहते कि शराब नोशी से समाज को किस तरह नुकसान हो रहा है। इस तरह से वह अपना सहयोग दे देते। उन्हें यह कहने की आवश्यकता नहीं थी कि शराब पीना पाप है। इस तरह से आप मोटी मोटी तनख्वाहें लेने वाले उन अधिकारियों से भी कह देते जो कि शराब पीने के आदी हैं। मद्यनिषेध के लिये समय-सीमा निश्चित करना ठीक है किन्तु उस दौरान में वह सभी चीजें की जानी चाहियें जिनका कि मैं ने सुझाव दिया है। इस समस्या पर सभी दृष्टिकोणों से विचार किया जाना चाहिये तथा केवल भ्रष्टाचारी अधिकारियों पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये। मैं मद्यनिषेध के पक्ष में हूँ किन्तु हमारा इस विषय में वही दृष्टिकोण होना चाहिये जो कि राष्ट्रपिता का था।

†**श्री नन्दा** : मैं इस संकल्प पर हुए वाद-विवाद के सम्बन्ध में सरकार का दृष्टिकोण बतलाने का प्रयत्न करूँगा। माननीय सदस्यों ने चर्चा के दौरान में जो बातें कहीं उनसे मेरा कार्य बहुत सरल हो गया है। मद्यनिषेध के प्रश्न पर सदन के सभी दल सहमत हैं। मद्यनिषेध की नीति को सदस्यों का जो पूरा-पूरा समर्थन मिला है तथा जिस वास्तविकता और संतुलन के साथ इस प्रश्न पर चर्चा की गई है उससे मैं बहुत उत्साहित हुआ हूँ। मद्यनिषेध का परिपालन करने में जो कठिनाइयां तथा खतरे हैं उनका भी उन्होंने ध्यान रक्खा है। किन्तु इस बात में पूर्ण मतैक्य है कि इस नीति का पालन किया जाना है।

मद्यनिषेध के प्रश्न के कुछ पहलू ऐसे हैं जो अब विवादास्पद नहीं रह जाते हैं। क्या व्यक्तिगत स्वातंत्र्य तथा अधिकारों के आधार पर मद्यनिषेध को वांछनीय या उचित कहा जा सकता है?--इस प्रश्न पर अब हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे संविधान ने इसे तय कर दिया है। संविधान के निदेशक तत्वों में नागरिक का यह एक आधारभूत कर्त्तव्य निर्धारित किया गया है कि वह मद्य-पान नहीं करेगा। राज्य पर भी यह दायित्व रक्खा गया है कि मद्य-पान की इस बुराई को उन्मूलित करे। श्री कृपालानी ने मद्य-पान को पाप समझ कर इस पर विचार करने के सम्बन्ध में कोई बात कही है। व्यक्तिगत रूप से मैं समझता हूँ कि उस प्रश्न के प्रति संकुचित नैतिक दृष्टिकोण नहीं अपनाना चाहिये। हमें इस बुराई को इस आधार पर उन्मूलित करने के लिये बढ़ना है कि इसकी सामाजिक तथा आर्थिक हानियां बड़ी भयानक हुई हैं और उनसे अन्य बुरे परिणाम निकले हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य ने बतलाया, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो मद्य-पान के लिये पैसा खर्च कर सकते हैं और कभी-कभी--कम से कम वे ऐसा समझते हैं--व्यक्त रूप से उन्हें कोई हानि होती दिखाई नहीं देती। श्री कृपालानी ने जिन अन्य बुराइयों का जिक्र किया यदि वे मद्य-पान से पैदा न होतीं तो शायद हम ऐसे लोगों को छोड़ देते। किन्तु हमारे हृदय में देश के उन असंख्य व्यक्तियों का हित निहित है जो गरीब, नासमझ और असहाय्य हैं। मेरा मजदूर वर्ग के साथ निकट का सम्बन्ध रहा है और मैंने देखा है कि क्या हो रहा है। दिन भर के कड़े परिश्रम के पश्चात् थकावट दूर करने का अन्य साधन न होने पर वे मद्य-पान की अस्थायी उत्तेजना में डूब जाते हैं। उन्हें यह गलत धारणा है कि इससे उन्हें लाभ होता है। वास्तव में वे पीने के लिये मजबूर होते हैं, प्रलोभित होते हैं। किसी शासन को किसी समाज को उनके मार्ग में प्रलोभन रखने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रलोभन को हटा दिया जाना चाहिये। पैसे वाले व्यक्ति जो पीने पर पैसा खर्च कर सकते हैं उनका भी इन प्रलोभनों को समाप्त कर देने का कर्त्तव्य होना चाहिये। फिर कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एक सामाजिक प्रतिष्ठा है। वे जो करते हैं, दूसरे उसकी नकल करते हैं। उनका यह कर्त्तव्य है कि वे उन गरीब, नासमझ और असहाय्य लोगों का खयाल रक्खें और उनके सम्मुख खराब उदाहरण पेश न करें।

कुछ माननीय सदस्यों ने राजस्व का जिक्र किया। इसमें सन्देह नहीं कि राजस्व को हम महत्ता देते हैं तथा अपनी योजना के लिये जितना भी रुपया बचा सकें वह हमारे लिये आवश्यक है।

[**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** पीठासीन हुईं]

किन्तु इस बात पर जरा और ग़ौर कीजिये। आखिर, योजना का यह रुपया हम किस चीज़ पर खर्च करने जा रहे हैं? हम स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य सामाजिक कल्याण के कामों पर बहुत सा रुपया खर्च करते हैं। किन्तु यदि हम प्रारम्भ में ही ग़रीब लोगों की खुशहाली को बर्बाद कर दें जो वास्तव में उसके लिये पैसा खर्च नहीं कर सकते और तब उन्हें शिक्षा तथा ये कल्याणकारी अवसर

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

प्रदान करें--शायद उन्हें नहीं, हो सकता है किसी और को--तो यह ठीक नहीं है। पहले उनका जीवन नष्ट कर दें और फिर उन्हें यह सांत्वना दें--यह कहां तक उचित है ।

इसलिये, मेरा यह विचार है कि मद्यनिषेध स्वयं ही एक बहुत बड़ा कल्याणकारी साधन है और जब तक कि हमारा यह विश्वास है कि हम इसे सफलतापूर्वक लागू कर सकते हैं तो वित्त सम्बन्धी विचार इसके रास्ते में बाधक नहीं होना चाहिये।

श्री कृपालानी ने कुछ बातें कहीं जो मैं समझता हूँ प्रत्येक के ध्यान देने योग्य हैं। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये, अन्यथा यह सफल नहीं हो सकता। यह चीज़ नहीं हो सकती कि बम्बई या मद्रास के लोगों के लिये मद्य-पान ठीक हो और दूसरे स्थानों के लोगों के लिये नहीं। इसी प्रकार यह नहीं हो सकता कि समाज के एक भाग के लिये मद्य-पान अच्छा हो और दूसरे के लिये खराब। हर माने में इस समस्या का एक राष्ट्रीय आधार पर समाधान करना है। किन्तु मद्यनिषेध को लागू करने की कुछ समस्यायें और हैं जिन पर मैं आगे प्रकाश डालूंगा।

श्री कृपालानी ने यह भी कहा कि इस सम्बन्ध में हमारा सर्वतोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिये। मैं उनसे पूरी तरह सहमत हूँ। यह महज़ इसलिये नहीं है कि गान्धी जी ने इसे प्रारम्भ किया था, अथवा हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के रचनात्मक कार्यक्रम का यह अंग था। यह इसलिये है कि जो सामाजिक व्यवस्था हम स्थापित करना चाहते हैं उसके प्राप्त करने का यह एक आवश्यक तत्व है। हम एक समाजवादी समाज का निर्माण करने के ध्येय से अपनी योजनायें कार्यान्वित कर रहे हैं। यह सोधे हमारे निदेशक तत्वों से उद्भूत होता है। किन्तु इन निदेशक तत्वों को हमें सम्पूर्णता में देखना चाहिये; मद्यनिषेध को दूसरी चीज़ों से अलग नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं सहमत हूँ कि मद्य-निषेध के सम्बन्ध में हमें सर्वतोन्मुखी दृष्टिकोण अपनाना है। जहाँ तक मुझे स्मरण है, संविधान के उसी अनुच्छेद में स्वास्थ्य तथा पोषण का भी जिक्र है। संविधान के निर्माताओं का यही दृष्टिकोण था ।

इसलिये जहां तक नीति का प्रश्न है, उस पर विवाद करने का सवाल नहीं उठता। किन्तु इस मामले का एक दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है। हम वास्तविक मद्यनिषेध चाहते हैं, नाममात्र का नहीं। यह नहीं कहा जा सकता कि आजकल जो मद्यनिषेध है वह पूर्णतया सफल रहा है। इसलिये प्रश्न यह है कि जहां तक कि सफलता नहीं मिली है उस सीमा तक और शक्तिशाली उपाय किये जायें जिससे कि यह सफल हो। मुझे विश्वास है कि यह किया जा सकता है। इसी के लिये योजना आयोग ने एक समिति नियुक्त की जो कि सारी कठिनाइयों को देखे और मद्यनिषेध को सफल बनाने के उपाय बताये। इस समिति ने, जो १६ दिसम्बर, १९५४ को नियुक्त की गई थी, अपना प्रतिवेदन १० जनवरी, १९५५ को पेश किया। माननीय सदस्यों ने इसे पढ़ा होगा। समिति द्वारा एक विस्तृत स्कीम तैयार की गई है। योजना आयोग ने इस पर विचार किया तथा कुछ निदानों पर पहुँचा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे में मद्यनिषेध के सम्बन्ध में योजना आयोग का दृष्टिकोण दिया गया है। बाद में राष्ट्रीय विकास परिषद् ने भी इसकी पुष्टि की। परिस्थिति को समय-समय पर पुनरीक्षित करने के लिये एक केन्द्रीय समिति स्थापित की गई है, राज्यों में मद्यनिषेध बोर्ड स्थापित किये गये हैं। कार्यक्रम की कुछ महत्वपूर्ण बातें ये हैं : विज्ञापनों का बन्द कर देना, सार्वजनिक रूप से मद्य-पान का प्रलोभन समाप्त कर देना, क्रमवार कार्यक्रम बनाने के लिये एक टेकनीकल समिति की स्थापना करना, दुकानों की संख्या कम करना, इन दुकानों के खुलने के दिनों की संख्या कम करना, मद्य में नशे के तत्व को बराबर कम करते जाना। तदनुसार राज्य सरकारों को पत्र भेज दिया गया है। इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि न केवल हमारे पास प्रतिवेदन आया है वरन् उस पर कार्यवाही भी की जा रही है।

मैं जानना चाहता हूँ कि मैं कितना समय और ले सकता हूँ। अन्य माननीय सदस्यों ने बहुत अधिक समय ले लिया है। मैंने ३० या ४० मिनट के लिये कहा था। अभी मैंने १५ या २० मिनट ही लिये हैं।

†**सभापति महोदय** : सभा को इस संकल्प पर चार बजकर पांच मिनट तक विचार करना है। यदि सभा समझती है कि इस समय में वृद्धि की जाये तो यह उस पर निर्भर है।

†**एक माननीय सदस्य** : आधा घंटा बढ़ा दिया जाये।

†**सभापति महोदय** : क्या मैं समझूं कि सभा की सामान्य राय यही है कि आधा घंटा बढ़ा दिया जाये ?

†**माननीय सदस्य** : जी, हाँ।

†**सभापति महोदय** : माननीय मंत्रीजी को बीस मिनिट और चाहियें। वह अपना भाषण जारी रक्खें।

†**श्री नन्दा** : संकल्प में तथा अनेक संशोधनों में यह प्रश्न उठाया गया है कि समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित किस प्रकार किया जायेगा। संकल्प में एक तिथि दी गई है। इस तिथि सम्बन्धी प्रश्न को लेने से पूर्व मैं एक और पहलू के सम्बन्ध में कहना चाहूँगा जिसका तिथि लक्ष्य निर्धारण से निकट सम्बन्ध है।

इस पहलू का सम्बन्ध है उस प्रक्रिया से जो इसे लागू और क्रियान्वित करने के लिये अपनाई जाएगी। समिति ने इस प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया है। उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रक्खा कि मद्यनिषेध की नीति तथा कार्यक्रम के प्रशासन में कुछ कमियां हैं। उन्होंने कभी यह दावा नहीं किया कि जहाँ यह लागू किया गया है वहां शत-प्रतिशत सफलता मिली है। किन्तु इस सम्बन्ध में दूसरी ओर से जो चित्र प्रस्तुत किया जाता है कि यह कार्यक्रम असफल रहा है वह भी अतिरंजित है कुछ लोग जब इस प्रश्न के काले पहलू के सम्पर्क में आते हैं जैसे अवैध रूप से शराब बनाना, चोरी छुपे शराब लाना ले जाना, भ्रष्टाचार इत्यादि, तो वे उससे इतने पराभूत हो जाते हैं कि उन्हें यह प्रतीत होने लगता है कि मद्यनिषेध सर्वथा असफल रहा है। किन्तु यह तस्वीर वास्तविक नहीं है। अवैध रूप से कुछ शराब-निर्माण अवश्य हो रहा है। किन्तु जो सूचना हमें मिलती है वह बहुत अतिशयोक्तिपूर्ण है। यह भी सच है कि जैसे-जैसे इसे अधिकाधिक लागू किया जायेगा स्वभावतः ही इस प्रकार के अधिक मामले हमारे सम्मुख आयेंगे; किन्तु एक सीमा तक। उस सीमा तक पहुँचने के बाद फिर उनकी संख्या में गिराव होगा। बम्बई में गत वर्ष उससे पहले के वर्ष की अपेक्षा अपराधों में २० प्रतिशत कमी हुई। किन्तु यह इस समस्या का एक पहलू है——नकारात्मक पहलू। इसका सकारात्मक पहलू भी है। मुझे व्यक्तिगत रूप से विदित है कि कामगारों के अनेक परिवारों में मद्यनिषेध शान्ति तथा खुशी लाया है। विशेषकर स्त्रियां वहां यह अनुभव करती हैं जैसे जीवन में एक नयापन आ गया हो। थोड़े नहीं, वरन् बहुत बड़ी संख्या में लोगों को मद्यनिषेध से लाभ पहुंचा है। किन्तु एक बात स्पष्ट है। मद्यनिषेध के मार्ग में कठिनाइयां भी बड़ी हैं। कारण यह कि इस में अनेक स्वार्थ सन्निहित हैं, बहुत सा रुपया लगा हुआ है और इसलिये समाज विरोधी तत्व स्थिति से लाभ उठाने के लिये गठबन्धन कर लेते हैं। समिति ने इस तथ्य को पहचाना और इस का सामना करने के उपाय निकाले। लेकिन यदि सफलतापूर्वक हमें इसका सामना करना है तो इसके लिये मूल्य चुकाना होगा। यह मूल्य है प्रशासन तथा जनता द्वारा अथक प्रयास। जहां तक प्रशासन का सम्बन्ध है, मैं पूरी तरह से उसके उत्तरदायित्व को समझता हूँ। पुलिस तथा अन्य विभागों को

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

इस सम्बन्ध में बहुत बड़ा काम करना है। किन्तु अधिकतर भाग जनता को ही अदा करना है। ज्यादातर लोगों को मद्यनिषेध से सहानुभूति होनी चाहिये और यह सहानुभूति सक्रिय होनी चाहिये। मद्यनिषेध के पक्ष में उनकी उत्कंठा और अनुभूति को क्रियात्मक स्वरूप दिया जाना है उन्हें स्वयं यह महसूस करना है कि इस मामले में उनका अपना विशेष उत्तरदायित्व है।

उस तरह हमें सक्रिय जनमत तैयार करना होगा, अन्यथा, मेरी व्यक्तिगत राय यह है कि मद्यनिषेध की सफलता संभव न होगी। अतः मद्यनिषेध उसी हद तक सफल हो सकता है जिस हद तक कि समाज का नैतिक बल तथा समर्थन इसे प्राप्त हो।

आगे हमारी राष्ट्रीय विस्तार सेवाओं, सामूहिक परियोजनाओं में इस सम्बन्ध में सर्वतोन्मुखी दृष्टिकोण होना चाहिये और सभी दिशाओं से जनता और प्रशासन को सहयोग देना होगा।

अन्त में अब मुझे तिथि के प्रश्न का उत्तर देना है। मैं ने बता दिया है कि सरकार जिस नीति से सहमत हुई है वह इस समिति की सिफारिशों के आधार पर है और हम इस विषय में समिति की सिफारिशों से सहमत हैं। अन्तर केवल उस आशय के रूप में और उसे कार्यान्वित करने के तरीके में है। मैं तो यह कहूँगा कि लक्ष्य-तिथि एक या दो वर्ष आगे की रखना संभव नहीं है। इसका कारण यह नहीं है कि हम इस विषय की धीमी प्रगति में विश्वास करते हैं। मेरे विचार से यह धीरे-धीरे चलने की नीति मद्यनिषेध की संपूर्ण कल्पना के बिल्कुल विरुद्ध है। ज्यों-ज्यों समय बीतता जायगा, इस समस्या को हल करना अधिकाधिक कठिन होता जायगा और समाज विरोधी तत्व दृढ़ होते जायेंगे। जब कुछ राज्य मद्यनिषेध लागू कर बड़े धैर्य से स्थिति का सामना कर रहे हैं, यह बहुत ही अनुचित है कि उनके सीमावर्ती अन्य राज्य उनके कार्यक्रम की सफलता को खतरे में डाल रहे हैं। अब तक देश की एक-चौथाई जनसंख्या और एक-तिहाई क्षेत्र मद्यनिषेध के कार्यक्रम के अधीन हैं और अन्य भी इसके अधीन आ रहे हैं जैसे कुर्ग। राजस्थान में अब दूकानें कम करने का कार्यक्रम है तथा भोपाल और अन्य कुछ स्थानों में प्रगति हो रही है। दिल्ली में भी कुछ किया जा रहा है। अतः मद्यनिषेध को और अधिक आगे स्थगित करना संभव नहीं है किन्तु प्रश्न यह है कि क्या वह एक या दो साल में किया जा सकता है? मैं ऐसा नहीं सोचता। मैं उसके कारण बताऊंगा।

हमारे पास प्रशासनिक शक्ति सीमित है और संगठित सामाजिक कार्यवाही के लिये जनता की शक्ति की भी कुछ सीमाएं हैं। यदि यह पूरी शक्ति मद्यनिषेध के कार्यक्रम के लिये उपलब्ध हो तो हम उसे एक साल में भी कर सकते हैं। किन्तु और भी कुछ करना है। मैं चाहता हूँ कि समिति के प्रतिवेदन में दी गई चेतावनी ध्यान से पढ़ी जाये। उस में कहा गया है : "लक्ष्य-तिथियों को प्राप्त करना तभी आसान होता है जब कि वे वास्तविक दशाओं से संबंधित होती हैं। जिन राज्यों में मद्यनिषेध जारी किया गया है उनके अनुभव से यह दिखायी पड़ता है कि मुख्यतः दो कठिनाइयों का सामना करना होता है। एक तो सक्रिय जनमत का निर्माण है और दूसरी कठिनाई निहित स्वार्थों और कानून तोड़ने वालों से उत्पन्न होती है। इस बात की ओर ध्यान देना अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि सब तरह की कार्यवाही विधान बनाने की इसे लागू करने की और शिक्षा सम्बन्धी उचित समय में की जाये"।

यह कोई मनमानी तिथि निश्चित करने का प्रश्न नहीं है। उसका आधार यह होना चाहिये कि इन चीज़ों को करने में कितना समय लगेगा। मेरे विचार से लक्ष्य तिथि प्रत्येक राज्य की दशाओं के उचित अध्ययन पर निर्भर होनी चाहिये और वह अध्ययन तुरंत प्रारम्भ हो जाना चाहिये। मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण, जो योजना आयोग और सरकार का भी दृष्टिकोण है, यह है कि यदि आप सारे देश के लिये एक तिथि मान लें तो उसमें कठिनाई यह है कि इस विषय में सबसे कमज़ोर राज्य में

अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कठिन दशाएं उत्पन्न होंगी । माननीय सदस्य जानते हैं कि कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्हें उत्पादन-शुल्क से काफी राजस्व प्राप्त होता है । अतः वह तिथि ऐसी होनी चाहिये जो सबसे कमजोर राज्य को भी लागू हो और मंजूर हो । अतः निर्धारित तिथियां प्रत्येक राज्य की दशाओं से सम्बन्धित होनी चाहियें ।

†**श्री डाभी** (कैरा उत्तर) : कोई राज्य यह कह सकता है कि उसे १५ वर्षों की आवश्यकता है ।

†**श्री नन्दा** : मेरा उत्तर यह है कि यह बात पूर्णतः राज्यों पर ही नहीं छोड़ देनी चाहिये । यहां एक सिफारिश है कि निर्धारित कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये राज्यों में एक समिति नियुक्त की जा सकती है । अतः इसका यह आशय नहीं कि मामला इसी तरह चलने दिया जाये । यह वह आधार है जो सारे देश के लिये बताया गया है । इस में केवल परिवर्तन जो मैं करना चाहता हूँ यह है कि उसे तुरंत संपूर्ण देश के लिये लागू न कीजिये । सम्पूर्ण देश के लिये एक दूर की तिथि की प्रतिक्षा करने के बजाय उसे सभी राज्यों में लागू कीजिये क्योंकि लक्ष्य दिनांक वह होगा जो सबके लिये उपयुक्त होगा । हमें उस तिथि की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिये । कुछ राज्य केवल अगले पांच वर्षों में मद्यनिषेध पूरा करने के लिये तैयार हों जब कि कुछ अन्य राज्य केवल दो ही वर्षों में पूरा करने के लिये तैयार हों । अतः तिथियों का एक क्रम रखना होगा और मैं यह समझूंगा कि अंतिम तिथि सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये लक्ष्य-तिथि होगी ।

मैंने तिथि के बारे में दृष्टिकोण बतलाने के बारे में प्रयत्न किया है और समस्या का वही उचित, वास्तविक और तत्पर दृष्टिकोण है । मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य उससे असहमत न होंगे ।

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : पांच वर्ष या दस वर्ष या ऐसी ही कोई समय-सीमा निर्धारित की जाये अन्यथा एक ही चीज़ बार-बार होती जायगी ।

†**श्री नन्दा** : समय सीमा होगी किन्तु वह इसी क्षण नहीं बनायी जा सकती । वह संभावनाओं के अध्ययन, अनुसंधान और उचित जांच पर निर्भर होगी । यदि माननीय सदस्यों को केवल कोई एक तिथि से समाधान होता हो और इस बात की चिन्ता न हो कि बाद में क्या होता है, तब तो बड़ी आसानी से कोई तिथि दी जा सकती है । वास्तव में जो मद्यनिशेध को सफल बनाना चाहते हों, उन्हें भिन्न प्रकार से समस्या की ओर देखना होगा ।

†**डा० रामा राव** (काकिनाड़ा) : मद्यनिषेध की सफलता के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि बेकार होने वाले लोगों को वैकल्पिक काम दिया जाये ?

†**श्री नन्दा** : मद्यनिषेध कार्यक्रम के परिणामस्वरूप जो लोग बेकार हो जायेंगे, उनके प्रति हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनको काम दें । हमें उनके सम्पर्क में रहना चाहिये और उन पर प्रभाव डालना चाहिये अन्यथा वे ही लोग मद्यनिषेध के सबसे गहरे शत्रु होंगे क्योंकि वह अवैध शराब आदि बनायेंगे किन्तु हम मद्यनिषेध कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये तब तक नहीं रुक सकते जब तक कि इनमें से प्रत्येक व्यक्ति को काम न दे दिया जाये । मैं इससे सहमत हूँ कि इन लोगों को काम दिलाने का कार्यक्रम मद्यनिषेध के सम्पूर्ण कार्यक्रम का एक मुख्य अंग होना चाहिये और वे दोनों कार्यक्रम साथ साथ चलें ।

†**श्री टेकचन्द** (अम्बाला-शिमला) अपनी निजी भट्टियों पर सरकार कब शराब बनाना बन्द कर देगी ? क्या सरकार इसे बन्द करने का विचार करती है ?

†**श्री नन्दा** : ऐसा करने का विचार है । किन्तु हमें इस ओर भी ध्यान देना है कि वैध शराब बनाने की जगह कहीं अधिक मात्रा में अवैध शराब न बनने लगे । वह उसका एक पहलू है जो वास्तव

†मूल अंग्रेजी में

[श्री नन्दा]

में महत्वपूर्ण है। यह बात नहीं कि सरकार द्वारा शराब बनाया जाना कल से बिलकुल बन्द हो जायगा क्योंकि उसका अर्थ यह होगा कि वह मद्यनिषेध की एक लक्ष्य-तिथि थी किन्तु मद्यनिषेध के कार्यक्रम में सरकार को अन्य तरीकों से भी मदद करना होगा। मैंने देखा है कि कोई परियोजना प्रारम्भ होते ही उसके साथ शराब की दुकान खुल जाती है। कई जगहों पर ऐसा हुआ है और उसके बहुत बुरे परिणाम हुए हैं। हमें इस प्रकार की चीज़ बन्द करनी होगी।

आन्तरिक मनिपुर से जिस सदस्य ने मानचित्र के बारे में बात उठायी थी उसके विषय में मेरा यह कहना है कि वह मान चित्र बनाने वाले व्यक्तियों का दोष था जिन्होंने उन प्रदेशों को ग़लत रखा था, वह समिति का दोष नहीं था।

आदिम जाति के क्षेत्रों के सम्बन्ध में, एक विशेष नीति बनाई गई है जो प्रतिवेदन में उल्लिखित है। अतः माननीय सदस्य द्वारा बताई गई बातों को ध्यान में रखा गया है और यहां एक उचित नीति बतायी गई है।

अभी एक दिन श्री ए० के० गोपालन ने पूछा था कि क्या यह शासक दल के लिये कार्यक्रम था। यदि वह कार्यक्रम केवल अकेले एक ही दल के लिये हो तो वह कभी सफल नहीं हो सकता। वह सभी दलों के लिये, सम्पूर्ण राष्ट्र के लिये कार्यक्रम है और हमें इसी भावना से उसे कार्यान्वित करना है। श्री ए० के० गोपालन ने कहा कि हम उसे सिद्धान्ततः स्वीकार करते हैं। इस विषय में मद्यनिषेध चाहने वाले राष्ट्र के दो मत नहीं हो सकते। सिद्धान्त स्वीकार कर लेने के बाद कार्यक्रम की निश्चित सफलता के लिये कार्यवाही भी करनी होगी। मद्यनिषेध के लिये दृढ़ इच्छा तथा उसमें विश्वास होना चाहिये और बाकी सब प्रयत्न से हो जायगा। आशा है कि भारत में वह प्रयत्न भी होगा।

हमें कहा जाता है कि अन्य देश सफल नहीं हुए हैं। मेरे विचार से हमें उससे कोई रुकावट नहीं होनी चाहिये। मेरी अपनी धारणा है कि यद्यपि वह कठिन काम है, फिर भी हम सफल हो सकते हैं। सफलता हमारी एकता और प्रयत्नों पर निर्भर है। इस प्रकार उन प्रयत्नों से और मद्यनिषेध के सफल कार्यक्रम से हम अपने देश को महान् और शक्तिशाली बनायेंगे।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन** (कृष्णगिरि) : वाद-विवाद प्रारम्भ करते हुए मेरा उद्देश्य था कि मैं यह जान सकूं कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में मद्यनिषेध की स्थिति क्या है तथा क्या इसका योजना में विलीनीकरण होगा। इस संकल्प पर कितने ही संशोधन प्रस्तुत किये गये। वाद-विवाद पर दृष्टिपात करते हुए यह जानकारी होती है कि आने वाले कुछ वर्षों में मद्यनिषेध होने की आशा है। परन्तु आने वाले कुछ वर्षों में बहुत अधिक धन व्यय होगा जो कि जनता को मिलेगा इसलिये जनता में मद्यनिषेध का प्रचार तथा उत्साह नितांत आवश्यक है अन्यथा इस बुराई से खतरा हो सकता है। मद्यनिषेध के सम्बन्ध में हमें एक सर्वतोमुखी कार्यक्रम अपनाना चाहिये तथा इसे क्रियान्वित करने में साहस से आगे बढ़ना चाहिये।

इसलिये मद्यनिषेध की एक योजना बनाई जानी चाहिये। मैं यही चाहता हूँ कि असफलताओं से हमें डर कर हटना नहीं चाहिये। हमें रहीम के दोहे से सर्वथा उत्साह लेना चाहिये कि "तरूवर फल नहीं खाता है सरवर पियत न पानि"।

असफलताओं के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूँ कि बहुत सी चीजें असफल हो गई हैं। सहकारिता असफल हो गई। परन्तु क्या हमने देहातों की आर्थिक दशा सुधारने के लिये सहकारिता

†मूल अंग्रेजी में

कार्य को समाप्त कर दिया। रिजर्व बैंक दिन प्रति दिन इसके लिये धन व्यय कर रहा है। इसलिये असफलताओं से नहीं डरना चाहिये। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री मेरे संकल्प को स्वीकार कर लें।

†**श्री नन्दा** : मैं यह कह चुका हूं कि मेरा इस संकल्प की भावना से कोई विरोध नहीं है परन्तु इसके शब्द स्वीकार्य नहीं हैं। मैं श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत संशोधन को ठीक समझता हूं।

†**श्री सी० आर० नरसिंहन** : यदि माननीय मंत्री श्री के० पी० त्रिपाठी के संशोधन को स्वीकार करने को तत्पर हों तो मैं संशोधित संकल्प को स्वीकार कर लेता हूं। मेरा अन्तिम निवेदन है तथा आशा है कि समस्त सभा इस संशोधित संकल्प को स्वीकार करेगी।

†**सभापति महोदय** : श्री के० पी० त्रिपाठी का संशोधन इसलिये पहले प्रस्तुत नहीं किया गया क्योंकि वह देर से प्राप्त हुआ था। मैं अब इसको प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं परन्तु वह भाषण नहीं देंगे।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल संकल्प के स्थान पर निम्न रखा जाये :

"इस सभा की यह राय है कि मद्यनिषेध द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एक अभिन्न अंग समझा जाना चाहिये और वह सिफारिश करती है कि सम्पूर्ण राष्ट्र में, शीघ्रतापूर्वक तथा प्रभावोत्पादक रूप से मद्य-निषेध लागू करने के लिये योजना आयोग को आवश्यक कार्यक्रम बनाना चाहिये।"

सभापति महोदय ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया

†**डा० रामा राव** : मेरी प्रार्थना है कि इसको मतदान के लिये प्रस्तुत करने से पूर्व मेरा संशोधन भी पढ़ा जाये जिससे संभव है माननीय मंत्री उसको स्वीकार कर लें। उसमें रोज़गार के सम्बन्ध में बताया गया है।

†**श्री नन्दा** : मैं रोजगार के सम्बन्ध में अपने विचार बता चुका हूं। शेष संशोधन इस संशोधन के समान हैं।

सभापति महोदय ने श्री के० पी० त्रिपाठी का संशोधन मतदान के लिये रखा जो स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अन्य सभी संशोधन अवरुद्ध हैं।

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में संकल्प

†**श्री जी० डी० सोमानी** (नागौर-पाली) : मैं प्रस्ताव करता हूँ कि सभा की राय में केन्द्रीय राज्य सरकारों के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिये एक ऐसी समिति नियुक्त की जाये जिसके निर्देश पद इस प्रकार हों——उपक्रमों के विकास आदि की नीति निर्धारित करने की सिफारिश करे, इसकी जांच करे कि लागत पूंजी के अनुसार उनको लाभ होता है अथवा नहीं; इस की भी जांच करे कि व्यय लागत पूंजी के

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

अनुसार हो रहा है अथवा नहीं; इसकी भी जांच करे कि सभी व्ययों के पश्चात् उनमें से किसी को लाभ अथवा हानि होने को संभावना तो नहीं है; मूल्य निर्धारण नीति की जांच करना; लेखा रखने के तरीकों की जांच करना, इस की जांच करना कि किसी प्रकार पक्षपात पूर्ण व्यवहार तो नहीं किया जा रहा है, अन्य सुसंगत मामलों की जांच करना ।

जहां तक हमारे सरकारी उपक्रमों के कार्य संचालन का सम्बन्ध है सबका मतैक्य होगा कि इनका सुचारू रूप से कार्य होना चाहिये । इस सभा में कई अवसरों पर, कुछ सदस्यों ने इन उपक्रमों के कार्यसंचालनों की कमियों की ओर ध्यान आकर्षित कराया है । परन्तु मेरा विचार इनकी कमियों को बताना नहीं है मेरा केवल यह उद्देश्य है कि जब सरकारी क्षेत्र विस्तार किया जा रहा हो उस समय सरकार को इस प्रकार की सभी संभावित कार्यवाही करनी चाहिये जिससे जनता के धन की प्रत्येक पाई का उचित उपयोग हो ।

सब से पहले मैं सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की कुछ बुराइयों की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करा देना चाहता हूँ । प्रथमतः यह उपक्रम एकाधिकार के रूप में कार्य कर रहे हैं । और एकाधिकार के रूप में कार्यवहन से यह ज्ञात करना कठिन है कि सफलतापूर्वक कार्यवहन हो रहा है अथवा नहीं । प्रतिद्वन्द्विता के रूप में प्रबन्धकों को अपनी कार्यक्षमता बढ़ाने के लिये तत्पर रहना पड़ता है अन्यथा उनको अपना अस्तित्व समाप्त हो जाने का भय रहता है । परन्तु एकाधिकार के रूप में कार्य करने से अक्षमता की जानकारी होना नितान्त कठिन है, और जनता इस कारण सर्वदा इस उपक्रम की वस्तुओं के अधिक मूल्य ही देती रहेगी । इसके अतिरिक्त एक बात और है, गैर-सरकारी क्षेत्र में, प्रबन्धकों का कुछ जोखिम रहता है तथा इसीलिये उनका उत्साह बनाए रहता है परन्तु सरकारी उपक्रमों में यह वित्तीय उत्साह नहीं रहता है । इसीलिये मेरा यह विचार है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जब सरकारी क्षेत्र का विस्तार किया जा रहा है । यह आवश्यक है कि इन बुराइयों, अनियमिताओं आदि की जांच की जाये तथा विश्लेषण के पश्चात् इस प्रकार का प्रबन्ध बनाया जाए जिस से यथासंभव सभी कमियों को दूर किया जा सके ।

इस सम्बन्ध में इस सभा की प्राक्कलन समिति ने यह लिखा है कि राज्य औद्योगिक उपक्रमों के प्रबन्ध के ढांचे से कोई लाभदायक प्रयोजन पूर्ण नहीं हुआ है । ये उपक्रम मंत्रालयों के अधीन होते हैं तथा मंत्रालयों के विभागों के समान ही इन में भी काम किया जाता है । समिति का यह विचार है कि इन उपक्रमों में इस प्रकार का कार्यवहन उचित नहीं है तथा उत्पादन पर इसका प्रभाव पड़ता है यह प्रतिवेदन जून १९५५ में प्रस्तुत किया गया था । तथा इसकी सिफारिशों से यह निर्णय निकलता है कि हमें इन उपक्रमों के लिये शीघ्र कुछ ऐसी कार्यवाही करनी चाहिये जिससे धन का अपव्यय न हो ।

इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि जब से इन उपक्रमों ने सरकारी क्षेत्र में कार्य प्रारम्भ किया है तब से इनका काम समय से बाद होता रहा है । कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं जब कि इन उपक्रमों में उन उपबन्धों का लाभ नहीं उठाया गया है जोकि वित्त मंत्री जी इन के लिये वर्ष प्रति वर्ष करते रहे हैं । इसीलिये मूल योजना में निर्धारित उत्पादन लक्ष्य कभी भी पूर्ण नहीं हुआ । इस वर्ष के आय-व्ययक को देखने पर ज्ञात होता है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के लिये व्यवस्था कम कर दी गई है क्योंकि ये उपक्रम अपना काम करने में असफल रहे हैं ।

इसके अतिरिक्त इन उपक्रमों में मूल प्राक्कलन बहुत से मामलों में बढ़ गये हैं तथा इसी कारण यह निर्धारित पूँजी में अपना कार्यक्रम पूर्ण नहीं कर पाये हैं । उदाहरणतः सिंदरी उर्वरक कारखाने को ले लीजिये । मूलतः इस कारखाने का १०·५३ करोड़ रुपये का प्राक्कलन किया गया था परन्तु पूंजी व्यय २३ करोड़ रुपये हुआ । यह भी बताया गया था कि सिंदरी सम्पन्न

पूर्ण होने पर ३,५०,००० टन अमोनियम सल्फेट बनायेगा परन्तु यह अक्तूबर १९५१ में पूर्ण हो गया था और उत्पादन लक्ष्य की पूर्ति अक्तूबर १९५४ में हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मुझे यह भी जानकारी नहीं है कि सरकारी क्षेत्र में प्रारम्भ की गई किसी इकाई ने उत्पादन लक्ष्य प्रारम्भ होने के तुरन्त पश्चात् पूर्ण कर लिया हो। अमोनियम सल्फेट के मूल्य के सम्बन्ध में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मेरे विचार से सिंदरी कारखाने में इसका मूल्य ३१५ रुपये प्रति टन सिंदरी रेलवे स्टेशन पर पहुंचा कर है। उत्पादन मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि अन्य उर्वरक कारखानों का उत्पादन मूल्य १७५ रुपये प्रति टन होगा। परन्तु सिंदरी कारखाने में बने उर्वरक के दाम इतने अधिक हैं कि बेचारी गरीब जनता को पिसना पड़ता है।

†**उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी)** : मुझे खेद है कि मुझे बीच में बोलना पड़ा है। माननीय सदस्य जानते हैं कि गैर-सरकारी कारखाने जैसे आलेवय फैक्टरी में उर्वरक के मूल्य २५० रुपये प्रति टन हैं। हम सिंदरी के उत्पादन मूल्य से गैर-सरकारी कारखाने के उत्पादन मूल्य की तुलना कर सकते हैं। राजस्थान में स्थापित होने वाले जिस कारखाने को प्राक्कलनों की ओर उन्होंने निर्देश किया है उसके सम्बन्ध में इस समय बहुत कुछ कहा जा सकता है।

†**श्री जी० डी० सोमानी** : उनकी अपनी समिति द्वारा बताये गये प्राक्कलनों से मेरा सम्बन्ध है। गैर-सरकारी कारखाने में कुछ और कमियां होंगी परन्तु यह उत्पादन मंत्रालय द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ समिति की राय है। तथा उन्होंने बताया है कि उसका उत्पादन मूल्य लगभग १६० रुपये प्रति टन होगा।

दामोदर घाटी निगम को ले लीजिये। १९५४ में श्री पी० एस० राव के सभापतित्व में जांच समिति ने निगम के कुप्रबन्ध के सम्बन्ध में बताया कि कुप्रबन्ध के कारण कानोर परियोजना में १·६४ करोड़ रुपये की हानि हुई थी। समिति ने कोनार बांध की रूपरेखा के कई बार परिवर्तन किये जाने की भी आलोचना की है। अन्य परियोजनाओं के सम्बन्ध में भी मैं ऐसी बातें बता सकता हूं। भाकड़ा बांध के सम्बन्ध में यह ज्ञात होना अभी शेष है ही कि अनियमितताओं के कारण राजकोष को कितनी हानि हुई है।

औद्योगिक परियोजनाओं में मिर्जापुर के सीमेंट के कारखाने को ले लीजिये। इस कारखाने का ४·५ करोड़ रुपये पूंजी व्यय है और अनुमानित क्षमता १·५ लाख टन प्रति वर्ष है। मैं अपनी व्यक्तिगत जानकारी से यह बता सकता हूं कि गैर-सरकारी व्यक्ति इतनी ही धनराशि से, इससे आधी अवधि में, दो सीमेंट के कारखाने बना सकते हैं।

इसके अतिरिक्त नेपा के अखबारी कागज के कारखाने को लीजिये। यह कारखाना १९४७ अथवा १९४८ से बनाया जा रहा है। सात अथवा आठ वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी यह २५ टन प्रति दिन उत्पादन कर रहा है जबकि इसकी अनुमानित क्षमता १०० टन प्रति दिन थी।

आप अब अम्बर नाथ की मशीन टूल प्रोटो टाइप फैक्टरी को ले लीजिये। टाइम टेबल के अनुसार इस कारखाने में उत्पादन नवम्बर, १९५० में प्रारम्भ होना था तथा मई, १९५१ में पूर्ण उत्पादन करना था परन्तु कारखाना जनवरी, १९५३ में खुला। इसका यह कारण बताया गया कि भवन न बनने के कारण कारखाने को नियत समय पर नहीं चलाया गया। हिन्दुस्तान आवास कारखाना १९४८ के प्रारम्भ में स्थापित किया गया था परन्तु स्थापना के पश्चात् यह निर्णय किया गया

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जी० डी० सोमानी]

कि मूल योजना को छोड़ कर, नई खोज की जाये। इस प्रकार उत्पादन का कार्यक्रम पूर्णतया पुनरीक्षण किया गया। १९५४ में उत्पादन प्रारम्भ हुआ।

अम्बरनाथ के मशीन टूल प्रोटोटाइप फैक्टरी के सम्बन्ध में कई अनियमितायें बताई गई हैं। १९४९ की मई में एक विदेशी संस्था से समझौता किया गया था। समवाय को अधिकतम सीमा २·२ करोड़ रुपये की रखी गई थी। परन्तु समझौते में यंत्र, मशीन आदि के सम्बन्ध में कुछ नहीं दिया गया था। तथा व्यय के ब्योरे भी नहीं दिये गये थे। समझौते के नियमों के विरुद्ध इस विदेशी संस्था को अग्रिम रूप में धन दे दिया गया। प्रतिरक्षा मंत्रालय ने उन मूल्यों के औचित्य के सम्बन्ध में कोई नियन्त्रण नहीं रखा था जिन पर कि सामान खरीदा गया था, समझौते में भारतीय कर्मचारियों के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कहा गया था परन्तु १३ विदेशी अब भी वहां काम कर रहे हैं।

हीराकुड बांध परियोजना के सम्बन्ध में सिंचाई तथा विद्युत् उपमंत्री ने लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा था जिसमें अनियमिताओं के कारण कई पदाधिकारियों को सेवायुक्त करने के सम्बन्ध में बताया गया था। इन उदाहरणों से मेरा उद्देश्य सरकार का ध्यान इन अनियमितताओं तथा कमियों की ओर आकर्षित करना है जिसके सम्बन्ध में प्राक्कलन समिति ने भी बताया था।

इसलिये मैं सरकार को ऐसा प्रबन्ध का ढांचा बताना चाहता हूं जिसको कि उसे स्वीकार कर लेना चाहिये। इस समय तीन प्रकार का प्रबन्ध है। पहले रेलवे तथा डाक और तार विभाग, दूसरे संविहित निगम तथा तीसरे संयुक्त पूंजी समवाय। जैसा कि मैं बता चुका हूं सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम सरकार अथवा मंत्रालय के विभाग हैं। इनमें कोई स्वार्थता नहीं है। प्रबन्धक बोर्ड का सभापति या तो मंत्रालय का सचिव अथवा अन्य कोई वरिष्ठ पदाधिकारी होता है, तथा सरकारी पदाधिकारियों का बहुमत होता है।

भविष्य में जो ढांचा अपनाया जाना चाहिये उसके सम्बन्ध में मैं प्राकलन समिति के सोलहवें प्रतिवेदन में दिये गये विचार पेश करता हूं। मैं उनसे पूर्णतया सहमत नहीं हूं परन्तु इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान पद्धति के शीघ्र परिवर्तन की अपेक्षा है। उन्होंने कहा है कि वाणिज्यिक उपक्रम व्यापारिक सिद्धांतों के अनुसार ही चलने चाहिये। उनमें स्वायत्तता होनी चाहिये। मैं अब सरकार से यह जानना चाहता हूं कि नौ अथवा दस मास व्यतीत हो जाने के पश्चात् सरकार ने इस प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की है। प्राक्कलन समिति एक महत्वपूर्ण समिति है और इसके प्रतिवेदन पर सरकार को शीघ्रातिशीघ्र ध्यान देना चाहिये।

उत्पादन मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाली नैशनल इन्स्ट्रूमेन्ट फैक्टरी, कलकत्ता के सम्बन्ध में समिति ने बताया है कि इस समवाय में व्यापार, निर्माण, लाभ अथवा हानि किसी के भी लेखे नहीं रखे जाते हैं तथा पूंजी विवरण में पूंजी विनियोजन भी नहीं दिये जाते हैं, जिससे यह जानना असंभव है कि कारखाना लाभ पर चल रहा है अथवा हानि पर।

मेरे कहने का उद्देश्य केवल यही है कि सरकार को प्रबन्ध की इस प्रकार की पद्धति बनानी चाहिये जिससे अपव्यय की कोई संभावना न रहे। इसीलिये मैं चाहता हूं कि सरकार गंभीरतापूर्वक मेरे इस संकल्प पर विचार करे जिसके अन्तर्गत मैंने एक विशेषज्ञ समिति की नियुक्ति की मांग की है। यह समिति कमियों तथा अनियमितताओं को दूर करने तथा प्रबन्ध के ढांचे को ठीक करने के सम्बन्ध में सिफारिश करेगी जिससे हमारा लक्ष्य पूरा हो सके। इस मामले में देर नहीं होनी चाहिये तथा सबसे अधिक प्राथमिकता इसको दी जानी चाहिये यदि हम इस बात से सहमत हों, कि हमारे औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रम सुचारू रूप से चलें तो इस समिति के नियक्त होने में क्या बाधा हो सकती है ?

जहां तक समिति के सदस्यों तथा निर्देश पद का सम्बन्ध है इनको संकल्प के द्वारा संशोधित किया जा सकता है। अन्त में मैं सरकार को फिर विश्वास दिला देना चाहता हूं कि मेरा उद्देश्य केवल बताई गई बुराइयों को दूर करने का है।

अध्यक्ष महोदय ने उक्त संकल्प सभा के समक्ष रखा

†**श्री के० सी० सोधिया** (सागर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि मूल्य संकल्प के स्थान पर यह संकल्प रखा जाये कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के औद्योगिक तथा वाणिज्यिक उपक्रमों के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार करने के लिये अनुभवी तथा स्वतन्त्र व्यक्तियों की एक समिति नियुक्त की जाये जिसके निर्देशपद इस प्रकार हों, उपक्रमों के विकास आदि की नीति निर्धारित करने की सिफारिश करे, इसकी जांच करे कि व्यय प्राक्कलन के अनुसार हो रहा है, इस की कार्य क्षमता की जांच करे तथा सिफारिश करे किस प्रकार लाभ हो सकता है, मूल्यों सम्बन्धी नीति की जांच करे, लेखा पद्धतियों की जांच करें, तथा अन्य उचित मामलों की जांच करे। समिति को छः मास में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय ने मूल संकल्प के स्थान पर प्रस्तुत हुआ संशोधन सभा के समक्ष रखा

श्री के० सी० सोधिया : मैंने श्री सोमानी जी के प्रस्ताव को बहुत ध्यान से पढ़ा। मैं आपसे कहता हूं कि इस हाउस के किसी भी हिस्से को लें, इस सम्बन्ध में मेम्बरों के दो मत हो ही नहीं सकते। मैं सोमानी जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पार्लियामेंट में आखिरी वक्त में इस प्रस्ताव को पेश किया। मैं उन्हें धन्यवाद दूं या इस पार्लियामेंट के भाग्य को धन्यवाद दूं मैं कह नहीं सकता।

मान्यवर, मैं उन पुस्तकों को नहीं ले आया हूं जिन पुस्तकों के आधार पर यह बात निर्विवाद रूप से कही जा सके कि सरकार ने इन पांच सात या दस सालों में जो-जो उद्योग धन्धे खोले हैं उनमें बड़ी भारी पोल है। इस पोल का पता हर साल हमारे कंट्रोलर और आडिटर जनरल साहब लगाते हैं और भला हो इस हाउस की एस्टीमेट कमेटी का कि जिसने कई बार खूब छान बीन करके खुलासा किया है। मैं आपसे कहता हूं कि मैं उन उद्योगधन्धों के वार्षिक विवरण को और उनके नफे नुकसान के हिसाब को बड़े ध्यान से देखता हूं। इस हाउस में दो चार दस ऐसे सदस्य हैं जिन्हें उस हिसाबों को ध्यान से पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ होगा। वे सदस्य निःसन्देह यह स्वीकार करेंगे कि इन हिसाबों में, इन आंकड़ों में और छोर कहीं भी नहीं मिल सकता। लाखों की रकमें इधर से उधर उठा कर चुपचाप रख दी जाती हैं और साधारण विवेक बुद्धि का कोई भी सभासद उनको ठीक से समझ ही नहीं पाता।

इसलिये बड़े विचार के बाद मैंने अपने मित्र श्री जी० डी० सोमानी के इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद, उसमें कुछ कांट-छांट करी और कांट-छांट मैंने इसलिये की है कि आखिर में इतने बड़े भारी काम को देखने और जानने के वास्ते जो कमेटी मुकर्रर की जावेगी, उसको साल भर लग जाना एक साधारण बात है। अतएव मैंने सोमानी जी के प्रस्ताव में से जितने ऐवर रेडी प्लांस हैं, उनको हटा दिया है, उन गंदे कपड़ों को साफ करते समय हमारी नाक मारे बदबू के फट चुकी है, इसलिये मैं उनके बारे में कमेटी को फिर से बिठाने की सुवृद्धि को नहीं धारण कर सकता, इसलिये मैंने सिर्फ सरकार के वह कारखाने जिन कारखानों को कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (वाणिज्यिक उपक्रम) कहा जाता है, सिर्फ उन्हीं की जांच के वास्ते मैंने इस कमेटी को महदूद कर रक्खा है और इस बात का मेरे प्रस्ताव में जिक्र है कि यह कमेटी ६ महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट को हाउस के सामने पेश करे। यदि ऐसा हुआ

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० सी० सोधिया]

तो हम लोग इस पार्लियामेंट में आये हुए आदमी अपनी मेहनत को अपनी आंखों के सामने सफल होते देख सकेंगे। वहां यदि कमेटी मुकर्रर की गई और जैसा मेरे मित्र सोमानी जी ने अपने प्रस्ताव में इसके वास्ते कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है और अगर ऐसा हुआ तो इस हाउस का यह सौभाग्य नहीं हो सकेगा कि पांच साल में जिस बर्बादी को इसने अपनी आंखों से देखा उस बर्बादी को थोड़ा बहुत रोकने के प्रयास में जो कमेटी रिपोर्ट देती है, उस रिपोर्ट को भी अपनी आंखों के सामने देख लेता।

अध्यक्ष महोदय, मैं कौन-कौन सी अंडरटेकिंग्स (उपक्रम) को लूं, मुझे तो ऐसा दीखता है कि इस सरकार का हर एक मंत्री अपनी-अपनी सीट के नीचे २-२, और ४-४ कर्मशियल अंडरटेंग्स (वाणिज्यिक उपक्रम) को लेकर बैठा है और आप समझिये कि जब इस प्रस्ताव का प्रतिवाद हमारे सारे मिनिस्टर्स लोग एकदम से करेंगे वे इस हाउस के हिम्मत से हिम्मतवर मेम्बर के भी छक्के छूट जायेंगे। लेकिन मैं आपसे इस बात को कहता हूं कि मिनिस्टर साहब चाहे सब के सब क्यों न कहें, लेकिन मेरी अन्तर्रात्मा इस बात को स्पष्ट कहती है कि जिस तरीके से इस किस्म के कामों को चलाया जाना चाहिये, वह तरीका बिल्कुल अख्तियार नहीं किया जाता। बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर (गैर-सरकारी क्षेत्र) के आदमी अपने शेयर होल्डरों (अंशधारियों) के लिये जिम्मेदार हैं, यह पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) है, इस पब्लिक सेक्टर (सरकारी क्षेत्र) में जैसे १० लाख यहां वैसे १० लाख उधर, इसलिये मिनिस्टर साहब इन बातों के बारे में ज्यादा चिन्ता नहीं करते। मुझे जहां तक मालूम है हमारे वित्त मंत्री महोदय ने पिछले साल बजट के समय इस बात को कहा था कि भाई इनमें खामियां (कमियां) जरूर है और उनकी खामियों को निकालने के वास्ते कोई न कोई उपाय जरूर किया जायगा लेकिन आज साल के १२ महीने हो चुके, और इस पार्लियामेंट के समयकाल की अवधि भी अब निकट आ गई है तो भी मिनिस्टर साहब ने यह नहीं फरमाया कि वे किस तरह से इस मिसमैनेजमेंट (कुप्रबन्ध) को दूर करना चाहते हैं। मैं आपसे सच कहूं कि जब मैं इस बात का विचार करता हूं कि इस देश के करोड़ों आदमी जिनके सिर्फ खाने के वास्ते ज्वार की रोटी और नमक मिलता है, उनके पैसों को यह सरकार इकट्ठा करके इस तरह करोड़ों रुपये की बर्बादी करे, इस बात को देख करके मेरी छाती के ऊपर तो सांप लोट जाता है। मैं आपसे सच कहता हूं और मैंने देखा कि मेरा बहुत सारा समय प्रायः इन्हीं रिपोर्टों को ध्यान से पढ़ने में, इन कर्मशियल अंडरटेकिंग्स (वाणिज्यिक उपक्रम) के हिसाबों को समझने में जाता है लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं तो इस बात को समझ ही नहीं पाया कि आया यह कर्मशियल अंडरटेकिंग्स (वाणिज्यिक उपक्रम) इस देश की सबसे बुद्धिमान सरकार द्वारा चलाई जाने वाली चीजें हैं या सिर्फ गांवों के गंवारों द्वारा चलाई हुई चीजें हैं। मैं आपसे कहूं कि कौस्ट एकाउंट (लागत लेखा) आप देखिये। हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब के पास इतनी आर्डिनेंस फैक्टरीज हैं, इन आर्डिनेन्स फैक्टरीज में करोड़ों रुपये का माल तैयार होता है लेकिन कौस्ट एकाऊंट के बारे में आप पूछें तो मैं इस बात को कहूंगा कि उसके बारे में आज तक भी सच्चे दिल से इस चीज का कौस्ट एकाउंटिंग निकालने का कभी प्रयास नहीं किया गया और मैं आपसे कहूं कि इन्हीं की देखा-देखी हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स भी खूब अनापशनाप खर्चे करती हैं और खर्चा करने के बाद में १०-१० और १२-१२ साल के बाद में उनकी कर्मशियल अंडरटेकिंग्स (वाणियिज्क उपक्रम) में एक दमड़ी का भी फायदा नजर नहीं आता।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बता दूं कि हमारे टैक्सेशन एनक्वायरी कमिशन (का जांच आयोग) ने तीन बड़ी-बड़ी जिल्दें निकाली हैं और उन तीनों जिल्दों में उन्होंने एक चैप्टर (अध्याय) "नौ टैक्स रेवेन्यू" के बारे में लिखा है। मैं अपने मिनिस्टर साहबान से और खास कर वित्त मंत्री महादय से इस बात की सिफारिश करूंगा कि वह उस चैप्टर को ध्यान से पढ़ें और उसके मुताबिक यह जो १०० करोड़ से ज्यादा का खर्चा, १०० करोड़ से ज्यादा की पूंजी जो इस सरकार ने उन कारखानों में

लगाई है, उनसे इस देश के आदमियों को कितनी राहत मिलती है, कितनी उनको आमदनी होती है, एक्सचैकर (राजकोष) को उनसे क्या मिलता है, इस बात को ध्यान से देखने की कोशिश करें, तो मैं आपसे कहता हूं कि जिस रकम को हमने कमर्शियल अंडरटेकिंग्स (वाणिज्यिक उपक्रम) में लगाया है, उस रकम में से कम से कम ४ रुपये प्रति सैकड़े के हिसाब से ब्याज तो मिलना ही चाहिये, ऐसा तो नहीं कि हम बाजार में जा करके ४ रुपये सैकड़े के हिसाब से अरबों रुपया कर्ज लेते फिरें और इस देश की आने वाली संतान के ऊपर यह ब्याज का भार छोड़ जायें और मैं जानता हूं कि आपको शायद यह मालूम होगा कि ८० करोड़ रुपये सालाना का हमें ब्याज देना पड़ता है। इस ८० करोड़ रुपये सालाना ब्याज की जो रकम है यह आगे चल करके और कितनी बढ़ जायेगी और इस देश की भांति संतानों के ऊपर इसका कितना वजन होगा, इस बात को देखना चाहिये, अतएव मेरा यह कहना है कि इस विषय में आपको ज्यादा खामोशी आख्तियार नहीं करनी चाहिये । आप जो यह समझते हैं कि आपकी रिपोर्ट चूंकि अंग्रेजी में निकलती हैं इसलिये इस देश के सर्वसाधारण लोग उनको नहीं जान पाये हैं, सो बात नहीं है। इस देश के करोड़ों आदमी इस बात को जानते हैं कि इस सरकार का अंधाधुंध काम है, इसलिये इस अंधाधुंधी को आप रोकें और जैसा कि मेरे मित्र श्री जी० डी० सोमानी ने कहा है, एक कमेटी आप अविलंब बना दें, इसमें आपकी शान का कोई सवाल नहीं होना चाहिये और न सरकार की शान का ही कोई सवाल होना चाहिये । यह सरकार कांग्रेस की सरकार है जिस सरकार ने इस बात की कसम उठाई हुई है कि वह इस देश के आदमियों की तरक्की करेगी, इसलिये मंत्री महोदय को मेरी नम्र सलाह है कि इस कमेटी के निर्माण की बात को बिना चपड़ के स्वीकार कर लें और उसको आदेश दें कि वह अपनी रिपोर्ट को ६ महीने के भीतर तैयार करके पेश कर दे ताकि हम सब लोग इस बात को देख लें कि हां, हमारी सरकार वाकई (वास्तव) में गरीबों के हित के वास्ते उतनी ही तत्पर है जितना वह कहा करती है।

मेरे मित्रो, मैं आपसे इस बात की बिनती करूंगा कि आप इस प्रस्ताव ....

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को याद रखना चाहिये कि वह संसद में हैं।

†**श्री के० सी० सोधिया** : मैं समाप्त कर रहा हूं आप अधीर न हों।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी ४ मिनट शेष हैं।

†**श्री के० सी० सोधिया** : धन्यवाद ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें याद रखना चाहिये कि यह संसद् है और अध्यक्ष को सम्बन्धित करना चाहिये ।

श्री के० सी० सोधिया : इसलिये मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जो मैनेजमेंट (प्रबन्ध) की खामियां (कमियां) हैं, उनको आप देखें ।

जैसे आपने बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स बना रखे हैं, वह बोर्ड आफ डाइरेक्टर्स सिवा भत्ता खाने के और कोई काम नहीं करते । इस को आप देख लें। इसके सिवा आप मेहराबनी कर के अपने हिसाबों को इस तरह पास करावें कि जिसमें कोई कमी न रह जावे। हम थोड़ी अक्ल वाले हैं, कोई एकनामिस्ट (अर्थशास्त्री) नहीं हैं, न हम उतनी एकनामी समझते हैं जितने कि कम्पनी के लोग, लेकिन हम यह समझना चाहते हैं कि फलां कम्पनी ने या फलां अन्डरटेकिंग्स (उपक्रम) ने साल भर में हम को और इस देश के आदमियों को कौन सा फायदा पहुंचाया। लाभ की बात जाने दीजिये, अगर लाभ न भी हो, साल दो साल आप कह सकते हैं कि अभी वह नये-नये अन्डरटेकिंग्स (उपक्रम) हैं, ऐसी चीजें हम बना रहे हैं जो दूसरें आदमी इस देश में नहीं बनाते हैं, तो हमें इस बात की चिंता नहीं कि साल दो साल, चार साल हमें नफा न हो, आप की मोनोपली (एकाधिकार) तो है, जिन चीजों को आप बनाते

†मूल अंग्रेजी में

[श्री के० सी० सोधिया]

हैं अगर आप उन दूसरों को बनाने देंगे तो आपके कारखानों में किस किस्म की कार्रवाई होती है इसका भांडा फोड़ हो जायेगा, इसलिये आप वैसा न करें, लेकिन आप मेहरबानी करके इस बात को जरूर देखें कि आपके यहां कॉस्ट ऐकाउंटिंग सिस्टम कैसा है, आप कौन-कौन माल ऐसे मुहैया करते हैं जिन पर कुछ ड्यूटी नहीं लेते हैं, नाना प्रकार के कामों से कौन से नाना प्रकार के लोगों को फायदा पहुंचता है । आप इस बात को भी देखें कि जो आप का हिसाब है, वह बिल्कुल जायज हो ताकि सब बातें मालूम हो जायें और एक-एक कर के सरकार को भी पता लग जाय कि क्या फायदा उससे हुआ । तो यह सारी बातें होनी है और इन सारी बातों से सिवा जब वह कमेटी बनेगी तो उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट्स (उद्योगपति) भी रहेंगे और वह इस बात को बतायेंगे कि पहले जो कुछ हुआ, वह तो हुआ, लेकिन आगे चल कर इस काम को कैसे करना चाहिये ताकि हमारे पर जो यह टीका लगा चुका है कि हमें पब्लिक के पैसे की जितनी परवाह करनी चाहिये उतनी हम नहीं करते, वह कलंक का टीका दूर हो जाये । मेरी सरकार से इतनी ही गुजारिश है कि वह इस मामले में सतर्कता से काम ले और सतर्कता से काम ले कर एक कमेटी जरूर कायम करे जिस की रिपोर्ट छः महीने में मंगवाने की कोशिश की जाय । यदि ऐसा हो गया तो मुझे अपने पार्लियामेंट के मेम्बर होने का सन्तोष हो जायेगा कि मैं यहां पर आया था और यह काम यहां पर हुआ ।

†**श्री बोगावत** (अहमदनगर—दक्षिण) : यह व्यवसायिक समुदाय के एक व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत बड़ा ही महत्वपूर्ण संकल्प है । जब भी कभी सरकार किसी उपक्रम को अपने हाथ में ले तो सरकार का कर्त्तव्य हो जाता है कि उस उपक्रम के विनियोजन, कार्यवहन आदि के सम्बन्ध में जांच करे । जब से मैं इस संसद का सदस्य हुआ हूं तब से मैंने इन उपक्रमों का अध्ययन किया है और मैं इनके प्रबन्ध से बड़ा ही असंतुष्ट हूं । इसके अतिरिक्त मैंने इस सम्बन्ध की सूचना पंडित जी को भी दी है ।

यह ठीक है एक प्रतिभाशाली आई० सी० एस० अधिकारी मेज पर बैठ कर अच्छा काम कर सकता है परन्तु व्यापार में वह बेकार भी सिद्ध हो सकता है । रक्षा मंत्रालय के कारखानों को ले लीजिये । ये कारखाने वाणिज्यक आधार पर नहीं चलाये जा रहे हैं । यदि हम इस बात को देखें कि इन कारखानों का विनियोजन कितना है, इन्हें कितना सूद देना पड़ता तथा आय कर देना पड़ता, तो हमें यह जानकारी होगी कि ये कारखाने किस तरह घाटे पर चल रहे हैं ।

जहां तक नपा कारखाने का सम्बन्ध है । इसमें लाखों रुपयों का अपव्यय किया गया तथा इतने रुपये से दो कारखाने बनाये जा सकते थे । जब समवाय विधि-विधान की चर्चा हो रही थी उस समय हम सब अति लाभ के विरोधी थे परन्तु इन सरकारी उपक्रमों की जांच इस आधार पर क्यों न की जाये कि यह वाणिज्यक आधार पर चल रहे हैं अथवा नहीं ।

सामान्य आय-व्ययक पर बोलते समय मैंने बीमा समवायों के राष्ट्रीयकरण के सम्बन्ध में कहा था कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं परन्तु इनके राष्ट्रीयकरण से कोई लाभ नहीं है । यदि राष्ट्रीयकरण करना ही है तो इन उपक्रमों का करना चाहिये जो कि हानि पर चल रहे हैं । विमान निगमों का राष्ट्रीयकरण किया गया परन्तु इनमें भी हानि ही हो रही है । यदि इन सभी उपक्रमों का उचित प्रबन्ध नहीं किया गया तो देश को हानि ही होगी ।

हम द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा तृतीय पंचवर्षीय योजना के लिये धन एकत्रित करने के लिये जनता पर कर लाद रहे हैं । परन्तु इन उपक्रमों के प्रबन्ध को ठीक करके पर्याप्त धन बचाया जा सकता है । इन बातों पर सावधानी से ध्यान नहीं दिया गया है । अच्छे पदाधिकारी भी हो सकते हैं तथा इन्हीं पदाधिकारियों को जो ईमानदार हों इनमें रखना चाहिये । द्वितीय महा युद्ध के पश्चात्

†मूल अंग्रेजी में

लगभग सभी पदाधिकारी भ्रष्ट हो गये हैं और जब कोई रंगे हाथों पकड़ा जाता है तो अन्त में उसको छोड़ ही दिया जाता है। इसीलिये मेरा भी सुझाव है कि इस संकल्प के अनुसार एक समिति नियुक्त होनी चाहिये जो इन उपक्रमों की सभी कार्यप्रणाली की जांच करे, तथा इन उपक्रमों में बनाई गई वस्तुओं की अन्य कारखानों द्वारा बनाई गई वस्तुओं से तुलना करें। इस समिति की नियुक्ति से कई देश का बड़ा हित होगा क्योंकि इससे करोड़ों रुपये की बचत हो सकती है। इसलिये मेरा वित्त मंत्री से नम्र निवेदन है कि राष्ट्र तथा जनता के कल्याण के लिये वह एक समिति नियुक्त करें।

†**श्री टी० एन० सिंह** (जिला बनारस--पूर्व) : मेरे संशोधन का क्या हुआ ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य के संशोधन को मैंने अनियमित घोषित कर दिया है। वह अपने संशोधन के द्वारा यह चाहते हैं कि यह समिति गैर-सरकारी क्षेत्र जैसे सीमेंट, कागज आदि की कार्यप्रणाली की भी जांच करें। यह वर्तमान कल्प के क्षेत्र से बाहर की चीज है। यह संभव है कि कोई माननीय सदस्य सरकारी क्षेत्र के प्रबन्ध की शिकायत करे तो दूसरा माननीय सदस्य ऐसा संशोधन प्रस्तुत करे जिससे उस संकल्प का उद्देश्य ही समाप्त हो जाये। इसके अतिरिक्त यदि समिति नियुक्त हुई तो तुलनात्मक विचार तो अवश्य ही होगा।

†**श्री टी० एन० सिंह** : संकल्प सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों की जांच की अपेक्षा करता है। तथा इनमें सीमेंट, कागज आदि ऐसे उद्योग भी हैं जो गैर-संरकारी क्षेत्र में भी है। इसीलिये मैंने यह उचित समझा यह जांच सर्वथा पूर्ण हो इसलिये मेरा आपसे निवेदन हैं कि आप अपने निर्णय पर दूबारा विचार करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : यदि प्रश्न केवल सीमेंट उद्योग पर विचार का होता तो मैं निश्चित रूप से यह कहता कि सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार के उद्योगों पर विचार होना चाहिये। परन्तु मुख्य प्रश्न यह नहीं है कि सीमेंट अथवा कागज उद्योग में देश कब आत्म निर्भर होगा। यह प्रबन्ध के सम्बन्ध में प्रश्न है कि यह सही रूप में हो रहा है तथा इसको ठीक करने के लिये क्या कार्यवाही की जायेगी। यदि यह समिति नियुक्त की जायेगी तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन अवश्य किया जायेगा। अन्यथा यह किस प्रकार ज्ञात हो सकता है कि प्रबन्ध अच्छा है अथवा बुरा। इन परिस्थितियों में हम संकल्प की सीमा बढ़ा देंगे। यदि सभा समिति नियुक्त करने के पक्ष में नहीं हुई तो वह इस संकल्प को अस्वीकृत कर सकती है। मैं इस संशोधन को अनियमित घोषित करता हूं।

†**वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख)** : मैंने अत्यधिक विलम्ब कर दिया है। क्या राज्य सरकारों, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार की सीमेंट फैक्टरी अथवा मध्य प्रदेश सरकार का नेपा कागज मिल, द्वारा प्रबन्धित उद्योगों की ओर निर्देश किया जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे भी संदेह था। जब राज्य सरकार शब्द यहां हैं तो मैंने यह सोचा कि हम राज्य सरकारों को पर्याप्त धन दे रहे हैं। तो यह हमारा अधिकार है कि हम इसकी जांच करें कि जो धन हम इनको दे रहे हैं उसका उचित उपयोग भी हो रहा अथवा नहीं।

†**श्री सी० डी० देशमुख** : हम गैर-सरकारी क्षेत्र को भी धन दे रहे हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : राज्य सरकारें हमारे क्षेत्राधिकार से बाहर हैं। यह केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रबन्धित सरकारी क्षेत्र तक ही सीमित है।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी)** : क्या सरकारी क्षेत्र में गुप्त क्षेत्र भी सम्मिलित है। सरकारी क्षेत्र में, गुप्त क्षेत्र, जैसे आयुध निर्माणी भी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : यहां सरकारी क्षेत्र शब्द नहीं रखे गये हैं। इसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार शब्द हैं।

†**श्री टी० एन० सिंह** : मैं जानना चाहता हूं कि जो गैर-सरकारी उद्योग सरकारी सहायता पाते हैं, उनके सम्बन्ध में आपकी क्या राय है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर विवाद करना ठीक नहीं है। माननीय वित्त मंत्री ने मुझे बताया था कि राज्य सरकारों को धन दिया जाता है। इसलिये मैंने सोचा था कि उनकी भी जांच हो सकती है। परन्तु माननीय वित्त मंत्री ने शीघ्र ही बताया कि गैर-सरकारी क्षेत्र को भी धन दिया जाता है। राज्य के गैर-सरकारी उद्योग तथा राज्य द्वारा संचालित उद्योग में कोई विभिन्नता नहीं होनी चाहिये। इसलिये, यह संकल्प केवल केन्द्रीय सरकार द्वारा संचालित उद्योगों तक सीमित हैं।

†**श्री टी० एन० सिंह** : जहां तक बहु-प्रयोजनीय परियोजनाओं का सम्बन्ध है, ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसको अंशतः राज्य सरकार तथा अंशतः केन्द्रीय सरकार से वित्त न मिलता हो।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पर सभा अथवा समिति निर्णय करेगी, कि अंशतः राज्य सरकार तथा अंशतः केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त बहु-प्रयोजनीय परियोजना इसकी सीमा में है अथवा नहीं। यदि यह केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित तथा प्रबन्धित संस्था है तो कितनी भी छोटी क्यों न हो, केन्द्र उस पर विचार करेगा। समिति यदि नियुक्त हुई तो इन सब मामलों पर विचार करेगी।

†**श्री के० पी० त्रिपाठी** (दरांग) : जैसा कि मेरे अन्य मित्रों ने बताया, यह एक बड़ा ही महत्व-पूर्ण प्रश्न है। परन्तु मेरे मस्तिष्क में यह प्रश्न बार-बार उठ रहा है कि इस संकल्प के पीछे उद्देश्य क्या है। श्री सोमानी ने बताया है कि वह केवल कार्यक्षमता की जांच चाहते हैं। यदि उनका केवल यही उद्देश्य है तो मैं उनके साथ हूं, परन्तु इसका भी ख्याल रखना चाहिय कि हमारा राज्य एक समाजवादी राज्य होगा।

†**अध्यक्ष महोदय** : ५-३० बज चुके हैं। माननीय सदस्य अगले दिन अपना भाषण जारी रखें।

इसके पश्चात् लोक-सभा सोमवार, २ अप्रैल, १६५६ के साढ़े दस बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, ३१ मार्च, १९५६]

पृष्ठ

सदस्य का बन्दीकरण तथा दोषसिद्धि १६३७

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें बम्बई के मुख्य प्रेसीडेंसी मैजिस्ट्रेट से इस आशय का पत्र प्राप्त हुआ है कि बम्बई के कुछ क्षेत्रों में सम्मेलन बुलाने पर प्रतिबन्ध लगाने के पुलिस आयुक्त के आदेश का उल्लंघन करने के अपराध में श्री वी० जी० देशपांडे की दोषसिद्धि हुई है और उन्हें बंदी कर लिया गया है ।

स्थगन-प्रस्ताव १६३८–३९

श्री यू० एम० त्रिवेदी ने श्री बलरामदास टंडन के अनशन के बारे में अपने स्थगन-प्रस्ताव का उल्लेख किया । गृह-कार्य मंत्री (पंडित जी० बी० पन्त) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

अनुदानों की मांगें १६३७, १६३९–७५

पुनर्वास मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा हुई । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों का प्रतिवेदन स्वीकृत ... १६७५

अड़तालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प संशोधित रूप में स्वीकृत १६७५–८५

मद्यनिषेध के लिये अन्तिम तारीख नियत करने के बारे में श्री सी० आर० नरसिंहन् के संकल्प पर और आगे चर्चा हुई । इसके स्थान पर श्री के० पी० त्रिपाठी द्वारा प्रस्तुत किया गया संकल्प स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प विचाराधीन १६८५–९४

औद्योगिक तथा वाणिज्यिक राज्य उपक्रमों सम्बन्धी समिति की नियुक्ति के बारे में श्री जी० डी० सोमानी ने एक संकल्प प्रस्तुत किया । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

सोमवार, २ अप्रैल, १९५६ के लिये कार्यावलि—

पुनर्वास मंत्रालय तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय सम्बन्धी अनुदानों की मांगों पर चर्चा ।

M105LSD—190—1-11-57—GIPF